खण्ड-284, अंक-5
शुक्रवार, 22 ज्येष्ठ, शक संवत् 1892
(12 जून, 1970 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 284 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	४८९–४९३
श्री गेंदासिंह द्वारा मंत्रि-परिषद् से त्याग-पत्र देने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न ..	
(जारी)	४९३–४९४
प्रश्नोत्तर	४९४–५२०
उच्च पदाधिकारी, राजनीतिक व्यक्तियों के भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच अनुसंधान स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से कराने हेतु विधि निर्माण करने के सम्बन्ध में याचिका (याचिका समिति को निर्दिष्ट) ..	५२०–५२१
श्री गेंदा सिंह द्वारा मंत्रि-परिषद् से त्याग-पत्र देने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	५२१–५३१
श्री प्यारे लाल द्वारा स्वायत्त शासन मंत्री के विरुद्ध प्रश्नों के गलत उत्तर देने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (अनुज्ञा नहीं दी गयी)	५३१–५३३
१९७०–७१ के आय व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या २४---सहकारिता (स्वीकृति)	५३३–५७१
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	५७२
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें	५७२–५७५
राजकीय सीमेंट फैक्टरी डाला, मिर्जापुर के क्षेत्र में दो स्त्रियों के साथ सीमेंट फैक्टरी के तीन कर्मचारियों द्वारा कथित बलात्कार के बारे में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	५७५–५७८
नत्थियां	५७९–५८३

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, १२ जून, १९७०

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३६८

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, राजा
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदयनाथ, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैयाजी)
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्यानसिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त, श्री
कृष्ण चन्द्र, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णमगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णस्वरूप, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
खचेड़ सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री

गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंचलसिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायन सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नारायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्र मोहन श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तर सिंह, श्री
चिरंजी लाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० सन्ना)
जगननाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगमोहन वर्मा, डाक्टर
जगवीर सिंह, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह बिष्ट, श्री
तेजपाल, श्री
तेज बहादुर गंगवार, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोक चन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री

त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दल सिंगार, श्री
दीपनरायन बन, श्री
दीपनारायण मणि, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धर्म प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नंदसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
परमाईलाल, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारेलाल, श्री
प्रकाश नारायन गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार एडवोकेट, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बदन सिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री

बनारसी, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बांकेलाल, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भाभी, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरज ध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शी लाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पांडेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
राम कुंवर, श्री
रामकुमार, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
रामनिहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री

रामध्यारे, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
राममूर्ति "अंचल", श्री
रामरतन, श्री
राम रतन पांडेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
राम विलास पाण्डेय, श्री
राम शिरोमणि, श्री
रामसागर, श्री
राम सिंह, श्री
रामसिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हरख, श्री
राव अब्दुर्रफे खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूप राम, श्री
लक्ष्मण स्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजय शंकर सिंह, श्री
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्रनाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ति चरन पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराजसिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिव शंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शकरू श्री
शेर अली खां, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शोभनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेई, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, श्री

सरदार सिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखवीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीसिंह बिष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री
हुक्म सिंह, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट—खाद्य तथा रसद मंत्री, श्री बलदेव सिंह आर्य भी उपस्थित थे ।

श्री गेंदासिंह द्वारा मंत्रिपरिषद् से त्यागपत्र देने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों के बाद ।

श्री मंजूर अहमद—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लीजिये । कल माननीय गेंदासिंह ने चौधरी चरण सिंह को अपना इस्तीफा दे दिया है । मैं उसका स्वागत करता हूं । चौधरी चरण सिंह जी ने जो जालिमाना हुकूमत चला रखी थी. . . .

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये, प्रश्नों के बाद आप कहिये ।

श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

इस समय मैं कोई व्यवस्था देने वाला नहीं हूं ।

श्री रामकरन (गोरखपुर)---

एक कैबिनेट का मिनिस्टर यह चार्ज लगा रहा है कि हमारे मतभेद हैं इसलिये मैं इस्तीफा दे रहा हूं। चूंकि सब मिनिस्टरों की ज्वाइन्ट रेस्पांसिबिलिटी है इसलिये आज इस प्रदेश में कोई सरकार नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी भी नहीं हैं, इसलिये मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---

पहली बात तो यह है कि प्रश्नों से पहले कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाना चाहिये। दूसरी बात है कि जिन बातों को आपने कहा है उसी के बारे में एक विशेषाधिकार का प्रश्न आया है। वह बाद में लिया जायगा।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

श्रीमन्, एक सूचना मिली है कि चौधरी चरण सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। आप इसका पता लगा लीजिये। इस समय कोई सरकार नहीं है।

माननीय अध्यक्ष जी, इस समय कोई सरकार नहीं है, चौधरी साहब इस्तीफा देकर दिल्ली भाग गये हैं।

(व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

मैं ऐसा समझता हूं कि प्रशासन अस्त व्यस्त हो गया है। यह भ्रम दूर किया जाय। कोई सज्जन खड़े हों और वक्तव्य दे दें कि यह बात गलत है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

एक मंत्री अगर इस्तीफा देता है तो सब को देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वह मंत्री स्टेटमेंट देना चाहता है तो उसकी इजाजत मैं यहां दे दूंगा। वन मंत्री। (व्यवधान) अब सदन का कार्य चलने दें, मजाक हो गया।

प्रश्नोत्तर

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

शुक्रवार, १२ जून, १९७०

लखीमपुर खीरी में वन की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

**१---श्री करन सिंह (जिला खीरी)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखीमपुर खीरी में उत्तर खीरी वन खन्ड के रेंज पलिया नैपाल से मिली हुई रिजर्व वन की भूमि पर तीन हजार व्यक्तियों ने मई, १९७० में अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है और अपनी झोपड़ी बना ली है? यदि हां, तो शासन ने अनधिकृत कब्जे को दूर करने के लिये क्या सक्रिय कदम उठाया है?

वन मन्त्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)---

दिनांक १८-५-'७० को नैपाल से विस्थापित लगभग ३,००० भारतीय व्यक्तियों ने उत्तरी खीरी वन प्रभाग की पलिया रेन्ज के मझरा पश्चिम वन की लगभग ७० एकड़ वन भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है और वहां अपनी झोपड़ियां बना ली हैं। यह भूमि वन रहित है। लेकिन विस्थापितों के निकालने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री करन सिंह--

तीन हजार व्यक्तियों ने जंगल की ७८ एकड़ जमीन पर अपने रहने के लिये झोपड़ियां बना ली हैं। उन झोपड़ियों के बनाने में निश्चय ही लाखों पूरा फूस, लाखों कोरी बांस, हजारों थूनी, बमरा लगे होंगे। इनको कहां से इकट्ठा किया, कहां लाकर रखा, क्या वन विभाग को इसकी पूर्व सूचना मिली या नहीं और अगर मिली तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

मेरे पास जो सूचना है श्रीमन् उसके अनुसार ये सब चीजें नेपाल से लाये थे झोपड़ी बनाने के लिये।

श्री करन सिंह--

ये लोग नेपाल से विस्थापित भारतीय हैं यह कहने का सरकार के पास क्या आधार है ? क्या भारत सरकार ने नेपाल सरकार से कोई लिखा-पढ़ी की है और उसके बाद प्रदेशीय सरकार को कोई सूचना दी है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

केन्द्रीय सरकार को इसकी सूचना भेज दी गयी है और वहां से जांच-पड़ताल हो रही है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

क्या यह सही है कि चौधरी अतर सिंह मेरठ वाले ने अगुआ बन कर इन नक्सलाइट्स को दिल्ली ले गये और प्रधान मंत्री के साथ उनका फोटो खिचा ?

श्री अध्यक्ष--

इससे कोई फायदा नहीं है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

मैं दूसरा प्रश्न करता हूं। क्या माननीय मंत्री जी को इसकी जानकारी है कि जो मीटिंग हो रही थी तो तहसीलदार साहब गये लेकिन उन लोगों ने उनको कैम्प म घुसने नहीं दिया ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

ऐसी सूचना मेरे पास कोई नहीं है।

श्री करन सिंह--

क्या माननीय मंत्री जी उस गांव का नाम बताने की कृपा करेंगे और क्या उनको सूचना है कि ये लोग २४ घंटे पहरा लगाते हैं और कोई भी, सरकारी कर्मचारी भी बिना मुखिया की आज्ञा के गांव के अन्दर नहीं जा सकता ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

इस ग्राम का नाम तो कोई खास नहीं है लेकिन छुछरा रेन्ज के पास है और भारत और नेपाल के बार्डर पर है। चौबीसों घंटे पहरा लगाते रहते हैं और घेरे रहते हैं इसकी कोई सूचना मरे पास नहीं है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)–

इसकी स्थिति यह है कि जो गांव है उसका नाम इन्दिरापुरी रखा गया ह और कोई उसम घुस नहीं सकता बिला मुखिया की आज्ञा के । जो सूचना मिली ह उसक अनुसार अगुआ क छप्पर पर लिखा हुआ है इन्दिरा और माऊ, और दोनों क नारे लगते ह । तो दो प्रश्न बहुत महत्व के उठते हैं। पहली बात तो य कि इतनी बड़ी घटना हो गई और तीन हजार आदमी बस गये इतना सामान लाकर । तो पुलिस को पहल पहल कब पता चला और इतने आदमी इतने दिन से रह रहे हैं, उनके जो शिविर लगे हुए हैं नक्सलपंथियों के उसका खर्चा कौन देता है ? क्या कोई भारतवर्ष का राजनीतिक दल मिला हुआ है ? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर चाहता हूं ।

श्री अजीतप्रताप सिंह---

जैसा कि पहले कहा था, इसकी जो सूचना मिली है यह केन्द्रीय होम डिपार्टमेन्ट और प्रदेश के होम डिपार्टमेन्ट से बातचीत हो रही है कि कौन हैं वह लोग । बाकी यह जो पछा कि वह कैसे आबाद हैं तो यह जो जमीन ७० एकड़ की है यह खाली पड़ी हुई थी और हमारे जंगल का उन लोगों ने कोई भी नुक्सान नहीं किया है ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह भूमि वन विभाग की है या नहीं ? और यदि वन विभाग की है तो क्या वे लोग अनधिकृत कब्जा किए हुए हैं ? ऐसा है तो उनको अलग करने का सरकार ने कोई प्रयत्न किया है ?

श्री अजीतप्रताप सिंह---

यह तो बतला दिया कि वह जमीन वन विभाग की है और यह अनधिकृत उनका कब्जा है । हटाने के लिए विचार किया गया है । उस सम्बन्ध में जैसा मैंने अर्ज किया केन्द्र के होम डिपार्टमेंट और यहां के होम डिपार्टमेंट को लिख दिया गया है, वह कार्यवाही कर रहे होंगे ।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

इस बात को देखते हुए कि इस जमीन पर कोई जंगल नहीं है और इस बात को देखते हुए कि ये भारतीय विस्थापित लोग हैं, क्या सरकार इसको लीज पर देने की कृपा करेगी ?

श्री अजीतप्रताप सिंह---

जी नहीं ।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस जमीन के ऊपर यह कब्जा हुआ है तो कब्जा करने वाले नैपाल के बाशिन्दे हैं या उत्तर प्रदेश के ?

श्री अजीत प्रताप सिंह---

नैपाल के हैं ।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)---

मंत्री जी ने कहा कि वह जमीन खाली पड़ी थी इसलिए कब्जा में ले ली, तो क्या मंत्रीजी बतायेंगे कि जितनी जमीनें खाली पड़ी हों उस पर चाहे कोई कब्जा कर ले, सरकार को कोई एतराज न होगा ?

श्री अध्यक्ष---

उन्होंने बतलाया कि जिन्होंने अनधिकृत कब्जा ले लिया, उनको निकालने के लिए भी कार्यवाही हो रही है ।

श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)---

क्या मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि इस भूमि पर कब्जा करनेवाले नक्सलवादियों ने भारत की प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से आशीर्वाद लेकर कब्जा किया था और उनकी स्मृति में इंदिरापुरी उसका नाम रखा गया, तो उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने का वह विचार रखते हैं ?

श्री अजीतप्रताप सिंह---

श्रीमन्, यह सूचना मेरे पास नहीं है कि ये नक्सलवादी हैं या क्या हैं । हमारे पास सूचना यह है कि ये नेपाल से आकर आबाद हो गये हैं और उन्होंने उस जगह का नाम " इंदिरापुरी" रखा है या जो कुछ नाम रखा है, इसकी कोई सूचना नहीं है ।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि यह जो कब्जा कर रखा है उन लोगों ने वह उत्तर प्रदेश के निवासी है और पूर्वी अंचल के जिलों के निवासी हैं ?

श्री अजीतप्रताप सिंह---

मेरे पास जो सूचना है वह कहां-कहां के हैं, यह नहीं है बल्कि यह है कि वह नेपाल के हैं ।

श्री शिव कुमार (जिला सुल्तानपुर)---

मान्यवर, अभी मंत्री जी ने बताया कि ये नेपाल के निवासी हैं । तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि यहां पर भूमिहीनों की समस्या है, क्या सरकार उनको वहां से हटाने के लिये कोई कड़ा कदम उठाने के लिये तैयार है ?

श्री अजीतप्रताप सिंह---

जी हां ।

(व्यवधान)

श्री महरम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)---

अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है । प्रश्न यह है कि हम कई सदस्यों ने नियम ५१ के अन्तर्गत यह सवाल किया था, आपने एक माननीय सदस्य का स्वीकार कर लिया और बाकी के स्वीकार नहीं किये । मेरा निवेदन है कि जिन्होंने नियम ५१ के अन्तर्गत लिख कर दिया था और जानकारी रखते हैं उनको सदन में बोलने का मौका क्यों नहीं देते हैं ?

श्री अध्यक्ष---

खाली करन सिंह जी ने लिख कर दिया था ।

श्री करन सिंह---

सरकार की जानकारी के लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग वहां बस गये हैं उनमें से एक भी नेपाल से नहीं आया है । ये लोग ८ मई से पहले यहां पर आ गये थे । नेपाल की सरकार ने उनकी अनैतिक और नक्सलपंथी हरकतों के कारण वहां से हटा दिया था । नेपाल में भी ये लोग वन की जमीन पर बैठे थे । ये लोग इसी तरह की हरकतें करते जाते थे । ये लोग दिल्ली जाना चाहते थे और परमिट भी बन गया था

श्री अध्यक्ष—

आप इस पर प्रश्न करें ।

श्री करन सिंह—

मैं माननीय मंत्री जी की सूचना के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि नेपाल से हूट बनाने का कोई भी सामान अपने साथ नहीं लाये थे । जब तक ये लोग पलिया स्टेशन पर पड़े रहे भारत के खिलाफ ऐसे नारे लगाते रहे जिससे हमारे लिए और नैपाल के रिलेशन्स बिगड़ें । इस दृष्टिकोण से मैं सरकार और माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ये लोग जहां बसे हैं वह सारा का सारा लो लैंड है और पहली बरसात में पानी से भर जाता है.....

श्री अध्यक्ष—

आप इस पर प्रश्न पूछें ।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है । इनको मंत्री जी से सूचना मांगने का अधिकार है, वह मांगें, लेकिन इनको सूचना देने का अधिकार नहीं है ।

श्री करन सिंह—

इन बातों को देखते हुए क्या सरकार इस मामले में सम्पूर्ण जांच करवायेगी और बरसात होने के पहले उनको वहां से हटाने का प्रयत्न करेगी ?

श्री अजीतप्रताप सिंह—

मैंने पहले ही कह दिया है कि जांच कराई जा रही है । (व्यवधान)

श्री करन सिंह—

अध्यक्ष जी, मैं अपने प्रश्न का उत्तर सुन नहीं पाया ।

श्री अध्यक्ष—

पुनर्विचार कर लेंगे । जो उन्होंने पूछा है उनकी सूचना के हिसाब से आप फिर से इसकी दुबारा जांच करेंगे या नहीं ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

मान्यवर, अभी तो जांच जारी है और वह अभी चल रही है । विभाग के पास अभी कोई रिपोर्ट आई नहीं है ।

श्री करन सिंह—

हम लोग यह महसूस करते हैं कि वहां पर सर्चलाइट का एक शिविर है ।

श्री महरम सिंह—

१८ मई, १९७० को नैपाल से ३,००० व्यक्तियों ने खीरी के ग्राम पलिया के पश्चिमी भूमि पर कब्जा कर लिया है । मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उनको किस आधार पर विस्थापित कहा जा रहा है ? किस आधार पर वे शरणार्थी घोषित किये गये हैं ? क्या यह सूचना जिलाधीश के पास आई है अथवा नैपाल सरकार की है ? उनको शरणार्थी किस आधार पर घोषित किया गया है ?

श्री अजीतप्रताप सिंह---

यह जो सूचना मेरे पास है वह वन विभाग की सूचना है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)---

मान्यवर, यह केवल भूमिहीनों की ही समस्या नहीं है वरन् विदेशियों का भारत भूमि में अतिक्रमण का मामला है । वे यहां आ गये हैं । मान्यवर, इसको नियम ४९ में स्वीकार कर लें ।

श्री अध्यक्ष---

आप इसको नियम ४९ में विवाद के लिए दीजिए । प्रश्नों के लिए इतना समय नहीं दिया जा सकता है ।

वनस्पति घी के वितरण सम्बन्धी आदेश

**२---श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)---

क्या खाद्य मन्त्री जी कृपया दिनांक ४ जून, १९७० के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या २ के सन्दर्भ में बताने का कष्ट करेंगे कि अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में जो कहा गया है कि सरकार ने समय-समय पर जो इंस्ट्रक्शन दिये हैं क्या उसमें वनस्पति घी के वितरण सम्बन्धी भी कोई आदेश या इंस्ट्रक्शन दिये गये हैं ? यदि हां, तो वह क्या हैं ?

खाद्य मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)---

वह आदेश यह है कि जिला अधिकारी उपलब्धता को देखते हुए जहां तक हो सके अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को वनस्पति की उपलब्धता सुनिश्चित करें ।

लखनऊ के हरीचन्द इंटर कालेज के अध्यापकों द्वारा परीक्षा बहिष्कार

**३---श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर) (अनुपस्थित)---

क्या शिक्षा मन्त्री को इसकी जानकारी है कि लखनऊ स्थित हरीचन्द इण्टर कालेज के अध्यापक गत कई मास का वेतन न मिलने के कारण आज कल ७ मई,१९७० से परीक्षा बहिष्कार आन्दोलन कर रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार उनके बकाया वेतन के भुगतान के लिए क्या कार्य-वाही कर रही है ?

शिक्षा मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)---

परीक्षा बहिष्कार, आन्दोलन २१ मई, १९७० को समाप्त हो गया ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९ (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिया गया तारांकित प्रश्न]

परीक्षा पद्धति में परिवर्तन

*१---श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)---

क्या शिक्षा मन्त्री परीक्षाओं में बढ़ रही नकलें एवं हो रही हिंसा घटनाओं को देखते हुए परीक्षा पद्धति में कोई बदल करने का विचार कर रहे हैं ?

राज्य शिक्षा मंत्री (श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट)---

जी हां, इस प्रसंग पर माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा विचार किया जा रहा है ।

श्री कृष्ण स्वरूप—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि केन्द्रीय शिक्षा मंत्री श्री वी० के० आर० वी० राव ने इस सम्बन्ध में कोई पत्र प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी को लिखा है और सुझाव दिया है कि शिक्षा पद्धति में परिवर्तन हो जाय ? उनका क्या सुझाव है क्या इसको मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—

इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है जिसका माननीय सदस्य हवाला दे रहे हैं कि केन्द्रीय सरकार के शिक्षा मंत्री द्वारा प्राप्त हुआ है ।

श्री कृष्ण स्वरूप—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि आगामी परीक्षा सत्र से वह कोई इस प्रकार की नीति निर्धारित कर लेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

किस प्रकार की नीति ?

श्री कृष्ण स्वरूप—

मैं यह जानना चाहता था कि क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि आगामी सत्र की परीक्षाओं के पूर्व क्या कोई ऐसी नीति निर्धारित की गई है कि वे परिवर्तित रूप में होंगी ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—

श्रीमन्, मैंने अभी बतलाया कि इंटरमीडिएट बोर्ड के विचाराधीन यह मामला है और उन लोगों ने काफी विचार भी किया है और कई उनके सम्मुख सुझाव भी हैं । तो यह कहना बड़ा मुश्किल है कि कब तक यह काम हो जायगा ।

श्री ईश्वर दयाल त्यागी (जिला मेरठ)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि क्या इस सम्बन्ध में माध्यमिक शिक्षक संघ से भी कुछ सुझाव आए हैं और आए हैं तो क्या हैं ?

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट—

जी हां, कई सुझाव हैं जैसे प्राइवेट कैन्डीडेट्स का इम्तहान रैगुलर कैन्डीडेट्स के साथ नहीं होना चाहिए, जो पारिश्रमिक व्यवस्थापकों, निरीक्षकों और परीक्षकों को दिया जाता है वह पर्याप्त नहीं है, उसमें इजाफा होना चाहिए, विद्यार्थियों एवं अध्यापकों में सम्पर्क बनाने के लिए कक्षा में छात्र संख्या कम होनी चाहिए . . .

श्री अध्यक्ष—

आप सब न बतावें, इसमें बहुत समय लगेगा । संक्षेप में कहें ।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट—

इसी किस्म के सुझाव हैं ।

श्री रामकुमार शास्त्री—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या कालेज के अध्यापकों का कई हजार रुपया बाकी पड़ा है और उनके बच्चे भूखों मर रहे हैं इसी कारण वह लोग परीक्षा का बहिष्कार कर रहे हैं ?

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट—

इस किस्म की मेरे पास कोई सूचना नहीं है कि अध्यापकों को अवसर नहीं मिला इसलिए अपील कर रहे हैं।

श्री दीपनारायण मणि (जिला देवरिया)—

क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि शिक्षा स्थायी समिति ने यह सुझाव दिया है कि परीक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन इस प्रकार किया जाय कि हाई स्कूल की परीक्षा न हो बल्कि मन्थली टेस्ट हों और केवल इंटरमीडिएट की परीक्षा ली जाय ?

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट—

जी नहीं, मेरे पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है।

श्री बंशीधर पाण्डेय (जिला वाराणसी)—

इस बात को देखते हुए कि काउन्सिल में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने यह घोषणा की कि हम इंटरमीडिएट बोर्ड का बाइफरकेशन करके डिसेन्ट्रेलाइजेशन करना चाहते हैं, उसमें तो समय लगेगा, तो जहां तक पालिसी का सवाल है, क्या सरकार इम्तहान प्रणाली को समाप्त करने का विचार रखती है ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो बहुत बड़ी बात है। शिक्षा मंत्री जी होते तो जवाब देते।

श्री कृष्ण चन्द्र—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे.....

श्री रामविलास पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

पहले उन्हें कह लेने दीजिए। बीच में व्यवस्था का प्रश्न नहीं होगा।

श्री रामविलास पाण्डेय—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि अभी आपने बंशीधर पांडेय जी के प्रश्न पर यह कहा कि शिक्षा मंत्री जी नहीं हैं, यह जवाब नहीं दे सकेंगे। ऐसे ही जब गोरखपुर कांड का विषय आया था और माननीय उपमंत्री जी ने जवाब दिया था तो वह नहीं दे सके थे और उसे स्थगित करना पड़ा था। तो श्रीमान्, जब कोई जिम्मेदार आदमी यहां नहीं बैठता तो यह सदन क्यों चलाया जा रहा है, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। क्या यह सदन की कार्यवाही एक मजाक चल रही है ?

श्री अध्यक्ष—

जो प्रश्न व्यापक हो जाता है उसको मैं रोकता हूं। और कोई बात नहीं है। यह प्रश्न बहुत व्यापक हो गया था।

श्री कृष्ण स्वरूप—

जिस प्रकार से केन्द्रीय शिक्षा विभाग ने दोनों सदनों के सदस्यों की एक समिति इस बात के लिये गठित की है कि किस प्रकार से परीक्षा पद्धति को सुधारा जाय तो उसी प्रकार से माननीय शिक्षा मंत्री भी विधान सभा और विधान परिषद् के सदस्यों की सम्मिलित समिति इस बात के लिए गठित करेंगे कि जो इस बात पर विचार करे कि परीक्षा पद्धति को कैसे सुधारा जाय जिससे नकल और हिंसा की घटना कम हो ?

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट—

अभी ऐसी कोई विचार सरकार के सामने नहीं है ।

श्री दीप नारायण मणि—

लाखों लड़कों की परीक्षा का यह प्रश्न है । इसके पहले भी यह मसला यहां आ चुका है और इस सम्बन्ध में समिति की रिपोर्ट भी आ चुकी है, तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज शिक्षा मंत्री जी यहां मौजूद नहीं हैं तो जब वे आ जायं उस दिन तक के लिए आप इस प्रश्न को स्थगित करने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष—

यह हो गया है ।

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)—

मेरा व्यवस्था का यह प्रश्न है कि इधर से कई बार कहा गया लेकिन फिर भी आप इधर के लोगों को मौका नहीं देते । इधर के लोगों को मौका दीजिए ।

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न दूसरे का है । इधर से मौका अधिक दिया गया । अब इस पर १५ प्रश्न हो गये हैं । ७ प्रश्न से ज्यादा नहीं होने चाहिये लेकिन मैं ज्यादा लैटीट्यूड देता हूं, फिर भी प्रश्न पूछते जाते हैं तो इस तरह से ४, ५ प्रश्न से ज्यादा नहीं हो पायेंगे ।

श्री कृष्ण स्वरूप—

जब नीति सम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रश्न एजेन्डा पर होता है और विभाग के मन्त्री सदन में उपस्थित न रहें और विभाग के उपमंत्री या राज्य मंत्री उसका उत्तर देने में सक्षम न हों तो यह सदन का अवमान है । यह विशेषाधिकार का प्रश्न हो जाता है कि जो जानकारी हम लोग चाहें उससे हम वंचित रह जायं ।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं शिक्षा मंत्रीजी को सदन में उपस्थित रहना चाहिये क्योंकि उनके विभाग के महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

काशी कृषक इन्टर कालेज हरहुंआ, वाराणसी में गबन

*१—श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि काशी कृषक इन्टर कालेज हरहुंआ, वाराणसी के खिलाफ सन् १९६८ ई० फाइन्स के रुपये का फर्जी वाउचर बना कर गबन कर जाने के सम्बन्ध में सी० आई० डी० वाराणसी द्वारा जांच की जा रही है ? यदि हां, तो जांच कब पूरी होगी ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—

सी० आई० डी० की जांच पूरी हो चुकी है ।

श्री सजीवन लाल—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो सी० आई० डी० की जांच हुई है उससे क्या निकला ?

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट—
जांच से यह आरोप प्रमाणित नहीं हुआ।

श्री सजीवन लाल—
यह सी० आई० डी० की जांच किस अफसर ने की ?

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट—
अफसर का नाम तो इस समय नहीं है जिसके द्वारा जांच की गई है।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—
क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ तो वे कौन-कौन से आरोप थे जिनकी इन्क्वायरी सी०आई०डी० ने की ?

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट—
वहां के प्रबन्धक श्री कश्यप थे, उनको जब हटाया गया तो हमारे भूतपूर्व विधायक जो श्री ऊदल थे उनसे इन्क्वायरी करवाई, उनका आरोप था कि ३६९५ रुपये का कोई सामान नहीं खरीद गया इसी पर इन्क्वायरी कराई गई लेकिन इन्क्वायरी से मालूम हुआ कि अनियमितताएं तो कई थीं लेकिन आडिट रिपोर्ट में ऐसी बात नहीं थी, इस तरह से यह सामान जरूर खरीदा गया था।

श्री रामकुमार शास्त्री—
क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह सी० आई० डी० की जांच कब शुरू की गई थी ?

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट—
यह २२-११-६७ का किस्सा है जब आरोप सी०आई०डी० की जांच हेतु मुख्य सचिव को दिया गया था।

श्री रामकुमार शास्त्री—
मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जांच कब शुरू की गई थी ?

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट—
मैंने बताया कि सी०आई०डी० के द्वारा जांच हेतु २२-११-६७ को आरोप-पत्र मुख्य सचिव को दिया गया था लेकिन जांच कब शुरू हुई यह तारीख इस समय नहीं है।

श्री राम चरण—
सी०आई०डी० की रिपोर्ट से जाहिर है कि कोई गबन नहीं हुआ लेकिन विभागीय रिपोर्ट के अनुसार गबन हुआ है और इसी लिये यह सी० आई० डी० की जांच शुरू हुई तो क्या वह इन दोनों जांच रिपोर्ट्स को मिलाकर फिर से कोई जांच करायेंगे ताकि स्कूल का कल्याण हो सके ?

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट—
मैंने कहा कि कोई गबन का मामला नहीं मालूम हुआ और न विभाग ने ही गबन की बात कही है। केवल श्री कश्यप ने यह सवाल उठाया था जो वहां के प्रबन्धक थे। जब वे प्रबन्धक रहे तो उन्होंने कभी सवाल नहीं उठाया, बाद को उनको नो कान्फीडेन्स करके अलग कर दिया गया। जब फिर रामनारायण एडवोकेट हो गये तभी उन्होंने सवाल पैदा किया। दो तीन दफे देखते रहे, कभी उन्होंने नहीं कहा। सी०आई०डी० रिपोर्ट के अनुसार जांच की गई, तब भी कभी गबन का केस नहीं पाया गया। इसे गबन का केस कहना ही गलत है।

शिक्षा निदेशालय के कर्मचारियों का स्थायीकरण

*२—श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो पिछले ५ वर्षों से अस्थायी हैं? क्या सरकार इनको स्थायी करने की कोई योजना बना रही है? यदि हां, तो कब उसे लागू करेंगे?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—

ऐसे १२२ कर्मचारी हैं।

इनमें १३ कर्मचारियों के स्थायीकरण के मामले विचाराधीन हैं।

शासन की वर्तमान नीति के अनुसार प्रतिवर्ष कुछ अस्थायी पदों को, अगर भविष्य में उनको जनहित में चलते रहने की संभावना रहती है, स्थायी किया जाता है। जैसे ही स्थायी पद उपलब्ध होंगे इन कर्मचारियों के स्थायीकरण पर विचार किया जायेगा।

श्री रामगोपाल संड—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि शिक्षा निदेशालय में चार सौ कर्मचारी हैं और जो सरकार की ओर से सूचना दी गई है कि १२२ कर्मचारी अस्थायी हैं, इतनी बड़ी संख्या में एक चौथाई कर्मचारियों को पांच, दस और बारह वर्षों में अस्थायी रखा गया है, केवल १३ ही कर्मचारियों को स्थायी करने का विचार किया गया है? क्या सरकार विचार कर रही है कि बाकी कर्मचारियों को कब तक स्थायी किया जायेगा?

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट—

पिछले पांच वर्षों में १२२ तृतीय श्रेणी तथा १५ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं। १३ कर्मचारी ऐसे हैं जिनके स्थायीकरण के मामले विचाराधीन हैं। १९ तृतीय श्रेणी के कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने निर्धारित भरती परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करना उनके लिये आवश्यकीय है। शेष ९० कर्मचारी हैं जिनमें ७५ तृतीय श्रेणी के और १५ चतुर्थ श्रेणी के हैं। इतने स्थायी होने बाकी हैं। इस समय स्थायी पद और रिक्तियों के न होने के कारण यह स्थायीकरण नहीं किया जा रहा है। स्थायी करण का यह तरीका है कि हर तीन वर्ष में देखा जाता है कि जितने अस्थायी हों उनके दो-तिहाई पब्लिक सर्विस कमीशन के पास भेजे जाते हैं। जितनी जगहें होती हैं उन पर उनको लिया जाता है। तो जितनी जगहें होती जायेंगी उतने स्थायी किये जायेंगे।

श्री रामगोपाल संड—

अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर माननीय शिक्षा मंत्री जी ने इतना घुमा फिरा कर दिया है। मेरा कहना है कि १२२ कर्मचारी टेम्पोरेरी हैं ४५० में से। मैंने पूछा था कि कितने ऐसे हैं कि जो दस बारह साल से कार्य कर रहे हैं परन्तु अस्थायी रक्खे हैं? आपने उत्तर दिया कि ये तीन वर्ष के बाद रिव्यू होते हैं। क्या तीन वर्ष के बाद विचार करने जा रहे हैं या तीन महीने के अन्दर?

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट—

भविष्य में स्थायी पदों की रिक्तियां उपलब्ध होती रहेंगी तो उन पर शेष कर्मचारियों को स्थायी करने पर विचार होगा।

श्री रामगोपाल संड—

माननीय मंत्री जी ने अभी-अभी कहा कि शिक्षा निदेशालय में परीक्षा ली जाती है। मैं वहां की कर्मचारी यूनियन से सम्बद्ध हूं। ये कर्मचारी बारह चौदह साल से काम कर रहे हैं।

आप परीक्षा लेते हैं और उन्हें फेल कर देते हैं। जितने कर्मचारी पच्चीस साल की एज से ज्यादा हो गये हैं उन्हें परीक्षा में फेल कर स्थायी नहीं करेंगे, क्या ऐसा निर्णय सरकार ने लिया है ? यदि आप नहीं जानते हैं तो मेरे प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय। यह कहां का न्याय है कि जो कर्मचारी १२–१५ साल से कार्य कर रहा है आप उसकी परीक्षा लेते हैं ?

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट—

ऐसा कोई विचार सरकार का नहीं है।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि अस्थायी कर्मचारी कम से कम १०–१२ साल से हैं ? इसका मतलब यह है कि लोगों की भरती इसलिये की है कि वहां काम बढ़ गया है। तो क्या स्थायी पदों का सृजन वहां करेंगे ?

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट—

जी नहीं।

गोरखपुर जिले के विद्यालयों के कर्मचारियों को वेतन-भुगतान

*३—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

क्या शिक्षा मन्त्री जांच कर बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर से कितने विद्यालय के कर्मचारियों का वेतन जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा बांटा जाता है ? क्या इनमें स्वावलम्बी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, विशुनपुरा, गोरखपुर भी है ? यदि हां, तो क्या विद्यालय जाकर उक्त अधिकारी द्वारा वेतन भुगतान किया जाता है ? यदि, नहीं तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट—

जनपद गोरखपुर में पांच विद्यालयों का वेतन जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वितरित किया जाता है। इनमें स्वावलम्बी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, विशुनपुरा भी है। दूरी के कारण वेतन वितरण विद्यालय जा कर करने के स्थान पर चेक द्वारा किया जाता है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ५ विद्यालयों में से कितनों को केवल दूरी के आधार पर उपेक्षित रखा जाता है और उनमें ८–८ महीने तक भुगतान नहीं होता है ? जब कि जिला विद्यालय निरीक्षक को एक जीप गाड़ी उपलब्ध है आने जाने के लिये तो वे वहीं जाकर भुगतान क्यों नहीं करते हैं ?

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट—

क्योंकि यह विद्यालय बहुत दूर-दूर इलाकों में हैं, इन्सपेक्टर वहां पहुंच नहीं सकते हैं, और जांये तो समय बहुत चाहिये, इसलिये भुगतान चेक द्वारा ही होता है और उसमें अभी तक किसी की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या मेरी सूचना को सही मान कर मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे कि इनके पूर्व जो जिला विद्यालय निरीक्षक थे वे विद्यालयों में जाकर वहीं वेतन का भुगतान किया करते थे? और यदि हां, तो यह क्यों नहीं करते ? इसके अलावा जब उनको जिले में भुगतान लेने के लिये आना पड़ता है तो उसमें एक दिन खर्च हो जाता है, उसकी उनको स्पेशल कैजुअल लीव भी नहीं मिलती है, तो क्या इसकी भी व्यवस्था करेंगे ?

श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट—

यह विद्यालय उन इलाकों में पड़ते हैं जहां जाने के लिये कई नदी नालों को पार करना पड़ता है और उसमें समय काफी लगता है। इसीलिये चेक से भुगतान किया जाता है। यही व्यवस्था ठीक तरह से चल रही है, कोई शिकायत भी किसी की नहीं है, इसलिये इसको बदलने की आवश्यकता नहीं है।

श्री दीपनारायण मणि—

जब पहले वाले निरीक्षक विद्यालयों को जाकर भुगतान करते थे तो इनको क्या दिक्कत है? वही व्यवस्था आप अब क्यों नहीं कर देते?

श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट—

प्रधानाध्यापक ही सबका भुगतान ले जाते हैं, उन्हीं के नाम सब का एक चेक काट कर दे दिया जाता है। वह रुपया ले जाकर सब को बाट देते हैं।

*४—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

[वापस ले लिया गया।]

टिहरी गढ़वाल के रियासत कालीन विद्यालयों के शिक्षकों आदि का राजकीय सेवा में विलीनीकरण तथा एरियर्स का भुगतान

*५—श्री गोविन्द सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन की ओर से क्या कोई ऐसा आदेश पारित किया गया है कि टिहरी-गढ़वाल के रियासत कालीन प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों की सेवायें दिनांक १ दिसम्बर, १९४९ से राजकीय सेवा में विलय की जांय और उसी दिन से राजकीय वेतन-मान पर उनका वेतन-क्रम निर्धारित किया जा कर उन्हें उपरोक्त तिथि से एरियर्स दिये जायं? यदि हां, तो ये आदेश कब पारित किये गये थे और क्या दिनांक २८ अप्रैल, १९७० तक उपरोक्त सभी शिक्षकों को राजकीय सेवा में ले लिया गया है और उनको एरियर्स का भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट—

जी हां। राजाज्ञा १७ दिसम्बर, १९६४ के साथ पठित राजाज्ञा २ सितम्बर, १९६९ द्वारा आदेश जारी किये गये थे। विवादग्रस्त मामलों को, जो विचाराधीन हैं, छोड़कर शेष को राजकीय सेवा में विलीन कर लिया गया है और एरियर्स का भुगतान किया जा चुका है।

श्री गोविन्द सिंह—

कितने अध्यापकों को एरियर्स दिया जा चुका है, कितने मामले अभी विवादास्पद हैं?

श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट—

अब तक ६० को अवशेष वेतन दिया जा चुका है, कुल संख्या ४२४ थी।

श्री गोविन्द सिंह—

जो अध्यापक मैदानी इलाकों में ट्रान्सफर कर दिये गये हैं क्या उनको भी एरियर्स का भुगतान किया जायेगा?

श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट—

उत्तरकाशी के जो जिले हैं वह तो उत्तराखंड के अधीन आते हैं, उसमें शिक्षा विभाग सीधे कार्यवाही नहीं कर सकते। प्रिंसपल में यह बात मान ली गयी है कि मैदानी और पहाड़ी सभी इलाकों के टीचर्स को एरियर्स का भुगतान किया जायेगा।

श्री इन्द्रमणी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन अध्यापकों के मामले २०–३० साल पुराने हैं, उनमें से कुछ अध्यापक ऐसे हैं जो मर चुके हैं तो क्या सरकार उनके आश्रितों को भी अवशेष वेतन और भत्ता दिलाने की कृपा करेगी और इसके लिये नियमों में आवश्यक संशोधन करने की कृपा करेगी ?

श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट—

अवश्य ।

श्री गोविन्द सिंह—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो अध्यापक १ दिसम्बर, सन् ४९ के बाद रिटायर हो चुके हैं, क्या उनको भी सरकारी वेतन–मान और पेंशन देंगे ?

श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट—

अवश्य देंगे ।

प्रतापगढ़ जिले के राय बद्रीपाल सिंह इन्टर कालेज, बीरापुर के अध्यापकों को मंहगाई भत्ता

*६—श्री रामदेव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि प्रतापगढ़ जनपद के अन्तर्गत राय बद्री पाल सिंह, इन्टर कालेज, बीरापुर के अध्यापकों को वर्ष, १९६९–७० में स्वीकृत महंगाई भत्ता दिनांक २५ अप्रैल, १९७० तक नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार तत्काल महंगाई भत्ता दिलाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट—

केवल आठ अनुमोदित अध्यापकों का महंगाई भत्ता धनाभाव के कारण शेष है । इसे दिलाने का प्रयत्न जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा किया जा रहा है ।

श्री रामदेव—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि किन ८ अध्यापकों का महंगाई भत्ता कितना और कब से कब तक का शेष है ?

श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट—

ये नाम तो मेरे पास हैं, लेकिन हर एक के बारे में कि कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक का है, नहीं पता है । १३ आदमियों को दिया जा चुका है, ८ के केसेज विचाराधीन हैं और ३ का डी० आई० ओ० से एप्रूव नहीं हुआ है । यदि आप कहें तो मैं नाम पढ़कर सुना दूं ?

श्री अध्यक्ष—

नहीं, मैं इसकी इजाजत नहीं देता । आप उनको लिस्ट भेज दीजियेगा ।

श्री रामदेव—

मेरा प्रश्न केवल इतना है कि इन ८ अध्यापकों का महंगाई भत्ता कब से और कितना शेष है ?

श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट—

सूचना की जरूरत है ।

श्री रामदेव---

मेरे प्रश्न की यदि मंशा पूरी नहीं हुई तो पूछने से लाभ क्या। मंत्री जी कहते हैं कि उनको सूचना की आवश्यकता है। इस तरह से हम लोगों की और इन अध्यापकों की समस्यायें कैसे हल होंगी ?

श्री अध्यक्ष---

आप अपना प्रश्न बताइये किसका उत्तर नहीं मिला ?

श्री रामदेव---

इन ८ अध्यापकों को जिला विद्यालय निरीक्षक ने नियुक्त कब किया ?

श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट---

अनुमोदन २१-३-७० को हुआ है।

श्री रामदेव---

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि जिस तारीख को अनुमोदन किया गया है उसके ३-४ महीने पहले से ही सम्बन्धित प्रबन्धक समिति ने उनसे बार बार अनुनय विनय किया था कि इन ८ अध्यापकों का अनुमोदन कर दिया जाय और अंत में जब अनुमोदन का समय समाप्त होने लगा तब उनका अनुमोदन हुआ, इसीलिये उनको मंहगाई भता नहीं मिला ?

श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट---

ऐसी बात नहीं है। इन अध्यापकों को महंगाई भत्ता देने के लिये कई बार व्यवस्था कराई गई है और अब भी सरकार प्रबन्ध कर रही है। शिक्षा निदेशक, जिला विद्यालय निरीक्षक, प्रतापगढ़ और सम्बन्धित प्रबन्धक को लिखा जा चुका है कि इन सबको शीघ्रातिशीघ्र महंगाई भत्ता दिया जाय।

श्री रामगोपाल संड---

श्रीमन्, यह समस्या प्रान्त-व्यापी है, प्रबन्धक कभी विज्ञान का रुपया गबन कर लेते हैं और कभी महंगाई भत्ता नहीं देते, तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि जो निर्णय पूर्व सरकार ने लिया था कि अध्यापकों का वेतन सरकारी खजाने से भुगतान किया जायगा और शिक्षा सलाहकार समिति ने भी उसकी संस्तुति की है, मैं भी उसका सदस्य हूं, और श्री दीपनारायण मणि जी भी मेरे कथन की पुष्टि करेंगे, तदनुसार वेतन वितरण के संबंध में कार्यवाही की जाय कि सरकारी खजाने से अध्यापकों का वेतन और महंगाई भत्ता दिया जाय ?

श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट---

यह विषय सरकार के विचाराधीन है बहुत अरसे से। अन्तिम निर्णय अभी नहीं लिया गया है।

श्री रामदेव---

माननीय मंत्री जी क्या बतायेंगे कि जिन अध्यापकों को महंगाई भत्ता नहीं मिला है उनको कब तक मिल जायगा ?

श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट---

मैं अभी आपसे कह चुका हूं। पूरी कोशिश की जा रही है। सबको लिखा गया है।

श्री रामदेव—

मेरी व्यक्तिगत सूचना यह है कि जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय का बड़ा बाबू रिश्वतखोर है, जिन अध्यापकों ने उसको रिश्वत नहीं दी उन्हीं को महंगाई भत्ता नहीं दिया, मेरी इस व्यक्तिगत जानकारी पर क्या आप जांच करवा कर उसको बरखास्त करवायेंगे ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—

अगर आप लिखित मुझे देते हैं तो मैं जरूर कार्यवाही करूंगा ।

मथुरा जिले के विद्यालयों को मान्यता

*७—श्री कन्हैया लाल (जिला मथुरा)—

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि मथुरा जिले में वर्तमान जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यकाल में कौन-कौन से जूनियर हाई स्कूल एवं मान्टेसरी स्कूलों को मान्यता प्रदान की गई ?और कौन-कौन से मान्टेसरी स्कूल में जूनियर हाई स्कूलों के मान्यता हेतु प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं एवं अस्वीकार किये गये हैं ?

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट—

कुल ३१ जूनियर हाई स्कूल एवं ६ मान्टेसरी स्कूलों को मान्यता प्रदान की गई है । एक जूनियर हाई स्कूल का विषय विचाराधीन है। सुचना संलग्न 'क', 'ख', 'ग' तालिकाओं में दी है। किसी भी विद्यालय का प्रार्थना-पत्र अस्वीकार नहीं हुआ ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५७६–५८० पर)

श्री कन्हैयालाल—

श्रीमन्, जो यह तालिका 'क' है इसमें कुछ विद्यालय के नाम स्थायी मान्यता में हैं और कुछ के अस्थायी मान्यता में हैं । जिला विद्यालय निरीक्षक किसी को स्थायी मान्यता देते हैं, किसी को अस्थायी मान्यता देते हैं और किसी की मान्यता खारिज कर देते हैं । क्या यह कुछ सिद्धांतों पर आधारित है या इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स या दफ्तर की स्वीटविल पर निर्भर है ?

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट—

यह जो टेम्पोरेरी रेकगनीशन है डी० आई० ओ० एस० करते हैं । परमानेंट रेकगनीशन डिप्टी डाइरेक्टर रीजन करते हैं । जो स्थायी मान्यता दी गयी है डी०आई०ओ०एस० के यहां से दी गयी हैं और जो स्थायी.....

श्री अध्यक्ष—

पीछे उत्तर न दीजिये, मुझे उत्तर दीजिये ।

श्री कन्हैयालाल—

मैंने पूछा कि कुछ सिद्धांतों पर आधारित है या इच्छा पर निर्भर है, इसका उत्तर नहीं मिला ।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट—

इसके लिये सिद्धांत बने हुये हैं । उन कायदों के मुताबिक किया जाता है ।

श्री कन्हैयालाल—

सूची में स्थायी मान्यता दी गयी है आदर्श जूनियर हाई स्कूल, अणौग को और अस्थायी मान्यता दी गयी है जूनियर हाई स्कूल, दौलतपुर को जो नम्बर २७ पर है । इसी प्रकार ज्ञानदीप मांटेसरी स्कूल को स्थायी मान्यता दी गयी है और न्यु मांटेसरी स्कूल को अस्थायी

[श्री कन्हैया लाल]

मान्यता दी गयी है। जहां तक मेरी जानकारी है, न्यू मांटेसरी विद्यालय २० साल पुराना है और सभी शर्तें पूरी करता है और ज्ञानदीप मांटेसरी विद्यालय अभी खुला है।

इसी प्रकार जूनियर हाई स्कूल, दौलतपुर को १० साल से मान्यता मिली हुई है और सब शर्तें पूरी करता है, जब कि दूसरा स्कूल अभी खुला है। जो शर्तें पूरी नहीं करता है उसको स्थायी मान्यता दी गयी, जो शर्तें पूरी करता है उसको अस्थायी मान्यता दी गयी, इसका क्या कारण है ?

श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट—

यह तो ब्योरे का सवाल है। इसकी पूरी जानकारी अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो बाद में बतला दूंगा।

श्री कन्हैयालाल—

श्रीमन्, प्रश्न करने का मतलब नहीं हल हुआ।

श्री अध्यक्ष—

वह आपको भेज देंगे।

श्री कन्हैयालाल—

कृपा करके टाइम ले लें जब पूरी सूचना दे दें।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं, दो चार रोज में दे दीजिये।

श्री डूंगर सिंह बिष्ट (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि पहले जूनियर हाई स्कूल को मान्यता जिला विद्यालय निरीक्षक दे देता था किन्तु अब यह मान्यता देना उप-शिक्षा संचालक के अधीन कर दिया गया है। मान्यवर, इससे विद्यालयों को मान्यता मिलने में देरी हो जाती है। तो, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इसका क्या कारण था और क्या जिला विद्यालय निरीक्षक को पुनः यह अधिकार दिया जायेगा ?

श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट—

मान्यवर, जिला विद्यालय निरीक्षक ही मान्यता देता है किन्तु वह टैम्पोरेरी मान्यता देता है। परमानेंट मान्यता देने का केस डाइरेक्टर के पास ही आता है।

श्री डूंगर सिंह बिष्ट—

मान्यवर, मैं वही बात कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

अब प्रश्न का समय समाप्त हुआ।

डी० ए० वी० इन्टर कालेज, मथुरा के छात्रों को परीक्षा में बैठने से रोकना

*८—श्री कन्हैया लाल—

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि डी०ए० वी० इंटर कालेज, मथुरा के कितने छात्र इस वर्ष हाई स्कूल की परीक्षा से रोके गये ? क्या कोई ऐसा भी छात्र है जिसने

नोट— तारांकित प्रश्न ७ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

प्रैक्टिकल परीक्षा दे दी हो और लिखित में रोक दिया गया हो और जिसकी शिकायत जिला विद्यालय निरीक्षक को भी दी गई हो ? यदि हां, तो जिला विद्यालय निरीक्षक ने उस पर क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीपति मिश्र—

जी हां, तीन छात्र प्रधानाचार्य द्वारा रोके गये थे । इनमें से ऐसा कोई छात्र नहीं है जिसने प्रयोगात्मक परीक्षा दी हो और उसे लिखित परीक्षा से रोका गया हो । इस संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक के पास कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई ।

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों के शिक्षकों आदि के वेतन-मान में वृद्धि

*६—श्री रामपूजन पटेल (जिला इलाहाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में सभी प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक और कर्मचारियों के वेतन-मान में पिछले वर्ष संशोधन करके बढ़ाया गया है परन्तु अभी तक हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालय के अध्यापकों और कर्मचारियों का वेतन नहीं बढ़ाया गया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों और कब तक बढ़ाया जायेगा ?

समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती विद्यावती राठौर)—

हरिजन सहायक विभाग के अन्तर्गत चलाये जाने वाले प्राथमिक विद्यालय दो प्रकार के होते हैं, अर्थात् (१) राजकीय तथा (२) राजकीय सहायता प्राप्त स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा ।

राजकीय विद्यालयों के अध्यापकों एवं कर्मचारियों को तदनुसार राज्य कर्मचारियों के समान ही वेतन तथा महंगाई भत्ते दिये जाते हैं । सहायता प्राप्त संस्थाओं के अध्यापकों एवं कर्मचारियों को गत वर्ष शिक्षा विभाग के अन्तर्गत स्वीकृत की गई बढ़ोत्तरी के आधार पर वेतन-मान इत्यादि में वृद्धि का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

शिक्षा निदेशालय में हुई आशुलिपिकों की परीक्षा का निरस्त किया जाना

*१०—श्री श्याम सूरत उपाध्याय (जिला इलाहाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद में २२ जनवरी, सन् १९६९ को हुई आशुलिपिकों की परीक्षा का परिणाम अभी तक घोषित क्यों नहीं किया जा सका ? तथा उसे कब तक घोषित किया जायगा ?

श्री श्रीपति मिश्र———

परीक्षा को नियमानुकूल न पाये जाने के कारण निरस्त कर दिया गया है । अतः परीक्षाफल घोषित करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

शिक्षा निदेशालय के आशुलिपिकों का स्थायीकरण

*११—श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद में जो व्यक्ति अस्थायी रूप से आशुलिपिक के पद पर कार्य कर रहे हैं क्या उन्हें नियमानुकूल परीक्षा उत्तीर्ण किये बिना ही स्थायी किये जाने का निश्चय किया गया है? यदि हां, तो किस कारण ?

श्री श्रीपति मिश्र—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

शिक्षा निदेशालय में प्रभारियों के चुनाव की घोषणा

*१२—श्री श्यामसूरत उपाध्याय, श्री राम पूजन पटेल तथा श्री धर्मवीर—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद में प्रभारियों का जो चुनाव २९ अप्रैल, १९६८ को विभागीय समिति द्वारा हुआ था उसका पूरा चुनाव परिणाम अभी तक घोषित क्यों नहीं किया जा सका तथा उक्त परिणाम कब तक घोषित कर दिया जायगा?

श्री श्रीपति मिश्र—

आंशिक परिणाम घोषित होने की तिथि से तत्काल ही उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में समादेश याचिका चुनाव के विरुद्ध दाखिल कर दी गई थी तथा न्यायालय ने स्थगन आदेश पारित कर दिये थे । न्यायालय का अंतिम निर्णय २५ नवम्बर, १९६९ को प्राप्त हुआ ।

पूर्ण परिणाम घोषित करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

शिक्षा निदेशालय के आडीटरों का स्थायीकरण

*१३—श्री श्याम सूरत उपाध्याय श्री रामपूजन पटेल तथा श्री धर्मवीर—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद में १९६७ से ३० अप्रैल, १९७० तक कितने आडीटर अस्थायी पद पर कार्य कर रहे हैं ? उन्हें अब तक स्थाई क्यों नहीं किया जा सका और उन्हें कब तक स्थाई कर दिया जायगा ?

श्री श्रीपति मिश्र—

शिक्षा निदेशालय में निम्ननांकित वर्षानुसार उनके सम्मुख अंकित संख्या में आडीटरों ने अस्थायी पद पर कार्य किया है ।

वर्ष	संख्या
१९६७	१६
१९६८	७
१९६९	७
१९७०	१३

निदेशालय में आडीटरों के स्वीकृत पदों पर नियुक्ति हेतु अर्हतायें निर्धारित नहीं थीं जिसके कारण इन पदों पर समय समय पर केवल तदर्थ नियुक्तियां जनहित में अवाध गति से चलते रहने हेतु की गईं । अब अर्हतायें निर्धारित हो गई हैं । उन्हीं के आधार पर आडीटरों का नियमानुसार चयन एवं स्थायीकरण का प्रश्न विभाग के विचाराधीन है ।

जिला परिषद् आगरा, द्वारा पाठशालाओं को भवन निर्माण हेतु दिये गये अनुदान एवं अनुदानों का दुरुपयोग

*१४—श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बतान की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९६६-६७ में जिला परिषद्, आगरा को पाठशालाओं के भवन निर्माण हेतु कुल कितना अनुदान दिया गया ? तथा उक्त अनुदान में से कितना कितना धन किस-किस पाठशाला को दिया गया ?

श्री श्रीपति मिश्र—

कुल रु० ३६,८०० का अनावर्तक अनुदान निम्न रूप में स्वीकृत हुआ :—

१—बालक जूनियर हाई स्कूल, टूंडला	१५,००० रु०
२—कन्या जूनियर हाई स्कूल, शाहादरा	१५,००० रु०
३—जूनियर हाई स्कूल, एत्मादपुर	५,००० रु०
४—जूनियर हाई स्कूल, सहता ।	४,८०० रु०

*१५—श्री मलिखान सिंह—

क्या यह सही है कि जो अनुदान पाठशालाओं को दिया गया उसके अधीन भवन निर्माण में घोर भ्रष्टाचार हुआ है, धन का दुरुपयोग किया गया तथा भवन बिना बनाये भुगतान कर दिया गया है। यदि हां, तो क्या सरकार इन आरोपों की जांच करा कर उचित कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्रश्न १४ के उत्तर में उल्लिखित १,३,४ पर दिये गये जूनियर हाई स्कूलों के भवनों का निर्माण जिला परिषद द्वारा समाप्त हो चुका है । भ्रष्टाचार होने या धन के दुरुपयोग की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

राजकीय सी० टी० अध्यापकों की एल० टी० वेतन क्रम में पदोन्नति

*१६—श्री मनोहर लाल (जिला कानपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सी० टी० वेतन-क्रम वाले राजकीय अध्यापकों की एल० टी० वेतन-क्रम में कब उन्नति की गई ? क्या सभी सी० टी० वेतन-क्रम वाले अध्यापकों की उन्नति कर दी गई है । यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

सूचना निम्नांकित रूप में है:—

भाषा सी०टी० —१९६३, १९६६, १९६८
सामान्य सी०टी— १९६६
व्यायाम सी० टी०— १९६५
प्रसार अध्यापक सी०टी०—१९५९, १९६५
शिल्प शिक्षक सी०टी०—१९५५

एल०टी० वेतन क्रम के रिक्त पदों के ३० प्रतिशत पद पदोन्नति और ७० प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा भरें जाते हैं । विभिन्न विषयों में जब रिक्त पद उपलब्ध होते हैं तो पदोन्नति इसी के अनुसार दी जाती है। १९६९ तक उपलब्ध ३० प्रतिशत पदों पर पदोन्नति दी जा चुकी है। भविष्य में इसी नीति के अनुसार कार्यवाही होगी ।

खीरी के राजकीय दीक्षा विद्यालय में मारपीट

*१७—श्री मनोहर लाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय दीक्षा विद्यालय, खीरी के प्रधानाध्यापक ने १९६८-६९ में विद्यालय के कर्मचारियों, विद्यार्थियों व अध्यापकों के साथ मारपीट की ? यदि हां, तो उस पर विभाग ने क्या कार्यवाही की ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं ।

कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

गोंडा के जिला विद्यालय निरीक्षक को दिये गये एल० टी० प्रशिक्षण से मुक्ति हेतु प्रार्थना-पत्र

*१८—श्री रामदेव—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतलायेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक, गोंडा के नाम १९६७ ई० से आज तक एल० टी० प्रशिक्षण मुक्ति के लिये गोंडा जनपद के विभिन्न विद्यालयों से कितने प्रार्थना-पत्र प्रेषित किये गये थे ? इस संबंध में कितने को मुक्ति मिल गई है तथा कितने को नहीं मिली है ? मुक्ति प्राप्ति एवं अप्राप्ति के कारण क्या हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जिला विद्यालय निरीक्षक, गोंडा को तीन प्रार्थना-पत्र १९६७ से अब तक प्रेषित किये गये थे । एल० टी० प्रशिक्षण से मुक्ति किसी अध्यापक को भी नहीं मिली । मुक्ति न मिलने के कारण न्यूनतम योग्यता न होना तथा प्रार्थना-पत्र निर्धारित प्रपत्र पर न होना है ।

तराई भावर के कृषकों की कठिनाइयों पर कार्यवाही

*१९—श्री इन्द्र लाल (जिला नैनीताल)—

क्या वन मंत्री बतायेंगे कि दिनांक ३ फरवरी, १९७० को राज्य की वन स्थायी समिति की बैठक में तराई भाबर के कृषकों की हक–हकूक तथा वन–बन्दोबस्त संबन्धी कठिनाइयों पर समिति को जो सुझाव दिये गये थे उस पर शासन ने क्या कार्यवाही की ?

श्री अजीतप्रताप सिंह—

तराई भावर के कृषकों की हक-हकूक तथा वन बन्दोबस्त संबंधी कठिनाइयों पर वन स्थायी समिति की दिनांक ३ फरवरी, १९७० की बैठक में लिये गये सुझावों पर की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५८१–५८२ पर)

[१२ जून, १९७० के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

पशुपालन विभाग में द्वितीय श्रेणी के राजपत्रित अधिकारियों का चयन

*१—श्री राम गोपाल संड—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पशुपालन विभाग में कितने राजपत्रित अधिकारी श्रेणी दो (क्लास टू) के हैं ? उनमें कितने स्थायी हैं ? क्या यह सत्य है कि १९६२ के बाद पशुपालन विभाग के राजपत्रित अधिकारी क्लास टू के पदों पर किसी का चयन नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

पशुपालन मंत्री (डाक्टर सीताराम)—

पशुपालन विभाग में श्रेणी दो के कुल ८६ राजपत्रित अधिकारी हैं जिसमें २१ स्थायी हैं । १९६२ के बाद भी श्रेणी दो के पदों का चयन किया गया है । प्रश्न नहीं उठता ।

नये वेतन क्रम के अनुसार इलाहाबाद के अध्यापकों को प्राप्य धनराशि का रोकना

*२—श्री रामगोपाल संड—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला इलाहाबाद के जिला विद्यालय निरीक्षक ने एक आदेश द्वारा सभी प्रधानाचार्यों को आदेश दिया है कि उनके विद्यालयों को भेजी गई वह धनराशि जो नये वेतन-क्रम के अनुसार उन्हें मिलनी चाहिये, उसे प्रधानाचार्य जिला विद्यालय

निरीक्षक के नाम से जमा कर दें ? इसे अध्यापकों को न दें ? यदि हां, तो क्यों ? क्या आदेश की प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्रश्नगत आदेश विद्यालय के प्रधानाचार्य को नहीं बल्कि प्रबन्धकों को दिया गया है ।

यह आदेश इसलिये दिया गया है क्योंकि अध्यापकों के लिये स्वीकृत धनराशि का भुगतान पुनरीक्षित वेतन-क्रम में उनका वेतन निर्धारण हो जाने पर ही किया जाना है।

जी हां, आदेश की प्रतिलिपि† सदन की मेज पर रखी है ।

लखनऊ जिले के पिछड़े वर्ग के छात्रों को अनुदान प्राप्त होने में विलम्ब

*३--श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि सन् १९६९-७० में लखनऊ जिले के विभिन्न स्कूलों व कालेजों में पढ़ रहे पिछड़े वर्ग को कितना नान-रिकरिंग अनुदान दिया गया ? क्या सरकार को यह भी मालूम है कि अनुदान पाने वाले बहुत से छात्रों को अभी तक रुपया नहीं मिला ? यदि हां, तो रुपया न मिलने का कारण क्या है और इस बिलम्ब के लिये कौन जिम्मेदार है ?

श्रीमती विद्यावती राठौर--

वर्ष १९६९-७० में लखनऊ जिले के विभिन्न स्कूलों व कालेजों में पढ़ रहे पिछड़े वर्ग के छात्रों को आनवर्तक अनुदान देने के लिए रु० ३७,०६२ स्वीकृत किया गया ।

इसके वितरण के विषय में सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*४--श्री नसीउद्दीन सिद्दीकी--

[१० वें गुरुवार के ता० प्र० सं० १०५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

रायबरेली तहसील के कृषकों को तालाबों से सिंचाई व चरागाह आदि की सुविधा

*५--श्री शिवप्रसाद पाण्डिया (जिला रायबरेली)--

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला रायबरेली-तहसील व परगना सलोन के ग्राम गोडवा हसनगंज, सैदपुर, कमालापुर, खोंजापुर धरई व पक्सरांवा इत्यादि के किसानों को उनमें स्थित जंगल विभाग में तलाबों से सिंचाई आदि की सुविधा उपलब्ध है ?

श्री अजीतप्रताप सिंह;--

ग्राम पक्सरावां को छोड़कर प्रश्न में उल्लिखित सभी ग्रामों के वन विभाग की भूमि में स्थित तालाबों से सिचाई की सुविधा किसानों को अभी पूर्ववत् उपलब्ध है ।

ग्राम पक्सरावां में वन विभाग की कोई भूमि नहीं है ।

*६--श्री शिवप्रसाद पांडिया--

क्या मंत्री जी उपरोक्त गांवों के चरागाह गलियारा, खरिका व खलिहानों को जो जंगल विभाग की सीमा में आ गये हैं किसानों को उपयोग में लाने की अनुमति देंगे ?

श्री अजीतप्रताप सिंह--

ग्राम पक्सरावां को छोड़कर प्रश्न में उल्लिखित सभी ग्रामों में चरागाह, गलियारा खरिका व खलिहानों की सुवधियें अभी किसानों को पूर्ववत् उपलब्ध हैं ।

---

†छापी नहीं गई ।

*७—श्री राम देव—

[१२वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

*८—श्री जंगबहादुर यादव—

[१२वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

बहराइच-गोंडा रोड पर सरकारी वाहन के दुर्घटना ग्रस्त होने की जांच

*९—श्री सूरजलाल गुप्त (जिला गोंडा)—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिनांक २५ अगस्त, १९६८ को बहराइच-गोंडा रोड के १५वें मील पर सरकारी वाहन नं० यू० पी० एल० ५७९७ दुर्घटना ग्रस्त हो गई थी ? यदि हां, तो उस समय गाड़ी कौन चला रहा था ? उल्लिखित दुर्घटना के कारणों एवं सही तथ्यों की प्राप्ति के लिये कोई विभागीय जांच उपनिदेशक, मत्स्य, लखनऊ से कराई थी ? उक्त जांच में कौन दोषी पाया गया तथा दोषी व्यक्ति पर क्या कार्यवाही की गई है ?

डाक्टर सीताराम—

२५ अगस्त, १९६८ को बहराइच-गोंडा रोड के १५वें मील पर सरकारी वाहन नं० यू० पी० एल० ५७९७ दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुई। लेकिन यह सही है कि २४ अगस्त, १९६८ को यही वाहन बहराइच-गोंडा रोड के १५वें मील पर दुर्घटनाग्रस्त हुई। उस समय गाड़ी तत्कालीन सहायक निदेशक, मत्स्य, बहराइच चला रहे थे। उस दुर्घटना की जांच उप-निदेशक, मत्स्य मुख्यालय से कराई गई थी। उक्त जांच में तत्कालीन सहायक निदेशक, मत्स्य दोषी पाये गये थे। उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही शासन के विचाराधीन है।

वन खण्ड, हलद्वानी के लापता फारेस्ट गार्ड के परिवार को सहायता

*१०—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या वन मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि टांडा सेक्शन वृक्षारोपण वन खण्ड, हलद्वानी का जो फारेस्ट गार्ड दिनांक २१ मई, १९६९ की शाम से अपनी चौकी पर नहीं पहुंचा और जिस को मरा हुआ समझ लिया गया उसके परिवार को क्या सहायता दी गई है ? उसकी मृत्यु के सम्बन्ध में क्या तथ्य प्रकाश में आये ?

श्री अजीतप्रताप सिंह—

१०—टांडा सेक्शन वृक्षारोपण वन खण्ड, हलद्वानी के श्री पृथ्वीधर फारेस्ट गार्ड दिनांक २१-५-६९ से अपनी चौकी पर से लापता हैं पर उन्हें अभी तक मृतक नहीं समझा गया है क्योंकि पुलिस अभी इस मामले में छानबीन कर रही है और जब तक पुलिस की रिपोर्ट नहीं मिल जाती तब तक यह नहीं समझा जा सकता है कि इस फारेस्ट गार्ड की मृत्यु हो गई है। लापता फारेस्ट गार्ड के बच्चों को वन विभाग के कैनिंग बैनिवोलैन्ट फंड से पहले एक मुश्त रु० ६० सहायता के रूप में दिये गये। इसके बाद दिनांक १-७-६९ से ३०-९-६९ तक ३० रु० माहवार दिये गये। दिनांक १-१०-६९ से रु० ४० माहवार सहायता के रूप में दिये जा रहे हैं।

*११—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या वन मन्त्री यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस फारेस्ट गार्ड की धर्मपत्नी को उसका प्राविडेंड फंड, ग्रेच्युटी तथा फैमिली पेंशन दे दिये गये हैं ?

श्री अजीतप्रताप सिंह—

जी नहीं।

जिला शाहजहांपुर के ग्राम सुजानपुर में वन विभाग की जमीन पर चकबन्दी

*१२—श्री सुरेन्द्र विक्रम, श्री रामकुमार शास्त्री, श्री राम विलास पांडेय तथा श्री गोपालदत्त (जिला पिथौरागढ़)—

क्या वन मन्त्री को पता है कि ग्राम सुजानपुर, तहसील पुवायां, जिला शाहजहांपुर में २२२ एकड़ ६६ डेसिमल चकबन्दी विभाग द्वारा गत जून, १९६९ में वन विभाग को दे दिया गया, किन्तु अभी तक इस जमीन पर कब्जा वन विभाग का नहीं हो सका ? यदि हां, तो क्यों ?और जो फसल उस जमीन पर खड़ी थी वह किस की थी, उसे वन विभाग ने क्यों नहीं कटवाई ?

श्री अजीतप्रताप सिंह—

ग्राम सुजानपुर, तहसील पुवायां, जिला शाहजहांपुर में वन विभाग की २२२.६६ एकड़ भूमि पर चकबन्दी की कार्यवाही चल रही है। उपरोक्त भूमि के सम्बन्ध में चल रहे चकबन्दी के वादों का निस्तरण अभी नहीं हो पाया है। अतएव वन विभाग द्वारा जमीन पर कब्जा करना व फसल कटवाने का प्रश्न अभी नहीं उठता।

*१३—श्री रामपति तथा श्री हरिवंश सहाय—

]१२वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

*१४—श्री महरम सिंह—

[१२वें शुक्रवार के लिये स्थगित[

*१५—श्री गोपाल दत्त—

[१२वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

अनुसूचित एवं जन जाति के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति की दरें

*१६—श्री चिरंजीलाल (जिला एटा)—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि अनुसूचित एवं जन जाति के विद्यार्थियों को इस समय सरकार द्वारा जो छात्रवृत्ति जूनियर हाई स्कूल से लेकर गेजुएट कक्षाओं तक दी जा रही है उसकी दर क्या है ?

श्रीमती विद्यावती राठौर—

जूनियर हाई स्कूल तथा हाई स्कूल कक्षाओं में छात्रवृत्ति की दरें निम्न प्रकार हैं—

कक्षा ६	.. ..	६ रु० प्रति मास
कक्षा ७ व ८	.. ..	८ रु० प्रति मास
कक्षा ९ व १०	.. ..	१२ रु० प्रति मास

दशमोत्तर कक्षाओं में छात्र-वृत्ति की दरें भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई हैं जो संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५८३ पर)

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के एक हजार मासिक आय वाले अभिभावकों के बच्चों को छात्रवृत्ति की सुविधा

*१७—श्री चिरंजीलाल—

क्या यह सही है कि अखिल भारतीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ, लखनऊ द्वारा दिनांक ९ अप्रैल, १९७० को यह प्रस्ताव पारित करके सरकार को

[श्री चिरंजी लाल]
भेजा गया है कि उपरोक्त जाति के ऐसे अभिभावकों के बच्चों का जिनकी मासिक आमदनी १,००० रु० हो और जिन्हें ३–४ बच्चे पढ़ाने होते हों छात्रवृत्ति दे दी जाय ? यदि हां, तो कब से सरकार यह सुविधा देगी ?

श्रीमती विद्यावती राठौर—

जी हां । प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ।

पूर्वी वृत्त के अरण्यपाल द्वारा गोंडा जिले में तथा मुख्य अरण्यपाल द्वारा हल्द्वानी डिवीजन में शिकार खेलना

*१८—श्री सुरेन्द्र विक्रम, श्री गोपाल दत्त, श्री विश्राम दास (जिला इलाहाबाद), श्री कृष्णकान्त (जिला सीतापुर), श्री रामविलास पांडेय तथा श्री राम कुमार शास्त्री—

क्या वन मन्त्री को पता है कि अप्रैल, १९७० के पहले पखवाड़े में श्री बी० पी० श्रीवास्तव, कन्जरवेटर, गोरखपुर ने गोंडा जिले के सुहिलवा तथा नन्दमेहरा शूटिंग ब्लाकों में शिकार खेला और एक शेर, दो चीतल जिनके पेट में बच्चे निकले, १ नीलगाय तथा मुर्गे और तीतर मारे ? जबकि वन अधिकारियों को दिसम्बर, १९६७ के बाद शिकार खेलने की आज्ञा दी नहीं थी ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

श्री बी० पी० श्रीवास्तव, अरण्यपाल, पूर्वी वृत्त ने अप्रैल, १९७० के पहले पखवारे में अपने अधिकार क्षेत्र के वनों के निरीक्षण के दौरान, पूर्वी सोहलवा आखेट क्षेत्र में एक शेर, एक नर चीतल तथा एक सुअर मारा । उन्होंने नन्दमेहरा आखेट क्षेत्र में शिकार नहीं किया । उन्होंने कोई ऐसा चीतल, जिसके पेट में बच्चा रहा हो, नील गाय, मुर्गे तथा तीतर नहीं मारे । यह कथन सही नहीं है कि दिसम्बर, १९६४ के बाद वन अधिकारियों को शिकार खेलने की आज्ञा नहीं थी ।

*१९—श्री सुरेन्द्र विक्रम, श्री गोपालदत्त, श्री विश्रामदास, श्री कृष्णकान्त, श्री रामविलास पाण्डेय, तथा श्री राम कुमार शास्त्री ।

क्या वन मंत्री को यह भी जानकारी है कि चीफ कन्जरवेटर ने जनवरी, १९७० के पहले पखवाड़े में हल्द्वानी डिवीजन के चकता, ज्वालासाल, नन्धौर, बाराकोली तथा घाटा शूटिंग ब्लाकों में शिकार खेला और नन्धौर नदी में डाइना माइट द्वारा मछली मारी गई है ? यदि हां, तो शिकार का विवरण क्या है, कितनी विभागीय गाड़ी इस्तेमाल हुई तथा कौन-कौन से जानवर मारे गये ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

मुख्य अरण्यपाल ने जनवरी, १९७० के पहले पखवाड़े में हल्दवानी डिवीजन के चकाता, ज्वालासाल, नन्धौर तथा बाराकोली शिकार खण्डों में कोई शिकार नहीं खेला । घाटा नाम का कोई शिकार खण्ड नहीं है । नन्धौर नदी में डाइनामाइट द्वारा मछली नहीं मारी गई । लाल कुआं पड़ाव में कैम्प स्टाफ के लिये एक चीतल तथा एक सुअर डौली प्लांटेशन क्षेत्र में मारा गया था । कोई आयोजित शिकार नहीं खेला गया । शिकार के लिये विभागीय गाड़ियां इस्तेमाल नहीं की गई ।

मूक-बधिर विद्यालय की स्थापना

*२०—श्री रामचरण तथा श्री हरिवंश सहाय (जिला देवरिया)—

क्या सरकार बतायेगी कि कोई मूक तथा वधिर विद्यालय पूर्वी उत्तर प्रदेश में खोला जायगा ? यदि हां, तो कहां और कब से ?

श्रीमती विद्यावती राठौर—

चालू वित्तीय वर्ष में एक मूक-वधिर विद्यालय प्रदेश में खोला जायगा किन्तु किस जगह खोला जायगा यह अभी विचाराधीन है ।

आगरा विश्वविद्यालय द्वारा पूरक परीक्षाओं की समाप्ति

*२१—श्री शिव कैलाश (जिला बाराबंकी) तथा श्री हरिवंश सहाय—

क्या शिक्षा मन्त्री बतायेंगे कि आगरा विश्वविद्यालय ने बी० ए०, बी०एस-सी० एवं बी० काम० की पूरक परीक्षायें समाप्त करने का निर्णय लिया है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां। आगरा विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद् ने यह निर्णय लिया है कि १९७१ की भाग १ परीक्षा तथा १९७२ की भाग २ परीक्षा से पूरक परीक्षा समाप्त कर दी जाय।

*२२-२३—श्री राममूर्ति 'अंचल'—

[१२वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

उप-शिक्षा निदेशक, बरेली के स्थानान्तरण को निरस्त करना

*२४—श्री जगदीश गांधी—

क्या सरकार यह बतायेगी कि मांडलिक उप-शिक्षा निदेशक, बरेली का स्थानान्तरण पिछले वर्ष किस आधार पर किया और स्थानान्तरण के एकाएक ही निरस्त करने के क्या कारण थे ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्रशासकीय कारण से स्थानान्तरण किया गया था, लेकिन जब यह ज्ञात हुआ कि उनको सेवा निवृत्त होने में केवल ६ माह शेष हैं और उनके जो लड़के फाइनल में पढ़ रहे हैं उनके स्थानान्तरण से उनकी पढ़ाई पर कुप्रभाव पड़ेगा, उनका स्थानान्तरण निरस्त कर दिया गया।

*२५—श्री दीपनारायण मणि—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*२६—श्री बांके लाल तथा श्री हरिवंश सहाय—

[स्थगित]

*२७—श्री रामदेव—

[१२ वें शुक्रवार के लिय स्थगित]

*२८—श्रीमती शकुंतला देवी तथा श्री गंगा प्रसाद—

[११ वें गुरुवार के प्र० सं० ६५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

स्नातकोत्तर कालेजों के अध्यापकों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत वेतन-क्रम का दिया जाना

*२९—श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत वेतन क्रम रु० ७००–११०० उत्तर प्रदेश के स्नातकोत्तर कालेजों में विभागाध्यक्षों के अतिरिक्त दूसरे योग्य एवं वरिष्ठ अध्यापकों को २५ प्रतिशत की सीमा में नहीं दिया जा रहा है, जबकि केंद्रीय सरकार भी इसके लिये स्वीकृति दे चुकी है ? इस संबंध में राजाज्ञा प्रसारित होने में क्यों विलम्ब हो रहा है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां ।

विषय के सभी पहलुओं पर विचार कर इसका परीक्षण किया जा रहा है ।

*३०--श्री लालसा--

[१२ वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

*३१-३३--श्री नित्यानन्द स्वामी--

[सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित]

उच्च पदाधिकारी, राजनीतिक व्यक्तियों के भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच अनुसंधान, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से कराने हेतु विधि निर्माण करने के सम्बन्ध में याचिका

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से ऐसी विधि का निर्माण करने के सम्बन्ध में, जिसके अन्तर्गत उच्च पदाधिकारी राजनैतिक व्यक्तियों के भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच अनुसंधान, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से की जा सके, श्री टम्बरेश्वर प्रसाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं । सेवा में आदरणीय विधान सभा···

श्री अध्यक्ष--

आप याचिका उपस्थित करते हैं इतना कह दें फिर वह कमेटी में जायेगा ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (लिला बस्ती)--

मान्यवर, इससे पहले जितनी याचिकायें प्रस्तुत की गई हैं वे सब यहां पर पढ़ी गई हैं .....

श्री अध्यक्ष--

जी नहीं, यह बात नहीं है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, यह छोटी-सी याचिका है । जब तक यह यहां पर पढ़ी न जाय तब तक यह मालूम कैसे होगा कि इसमें क्या है ।

श्री अध्यक्ष--

रूल यह है कि याचिका उपस्थित करने वाले सदस्य अपने को निम्न रूप के कथन तक ही सीमित रखेंगे ।

"मैं··· के सम्बन्ध में याचिका देने वाले (ली) द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।"

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, जो चीज किसी नियम या ऐक्ट में दी हुई होती है और जो प्रोहिबिशन उस म होता है उसे नहीं किया जाता है ।

श्री अध्यक्ष--

नियम २४३ में आगे दिया हुआ है--"प्रत्येक याचिका नियमों के अधीन उपस्थित किय जाने के उपरान्त समिति को निर्दिष्ट की जायेगी ।" आगे यह है, "अध्यक्ष को यह सिफारिश कर सकेगी कि याचिका अस्वीकार कर दी जाय यदि वह नियमों के अनकूल न हो, और ऐसी दशा में

अध्यक्ष उसे अस्वीकार करेंगे" । यह निदेश दे सकेगी कि याचिका सविस्तार अथवा संक्षिप्त रूप में परिचालित की जाय । तो परिचालित तब किया जाय जब वह समिति कह दे कि यह सदन में परिचालित की जाय ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं और उसके बाद मैं बैठ जाऊंगा । मान्यवर, इसमें लिखा है कि "अध्यक्ष को यह सिफारिश कर सकेगी कि याचिका अस्वीकार कर दी जाय यदि वह नियमों के अनकूल न हो..." वैसे श्रीमन्, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा ।

श्री अध्यक्ष—

समिति के कहने पर याचिका परिचालित की जायेगी ।

श्री गेंदासिंह द्वारा मन्त्रि-परिषद् से त्याग-पत्र देने के सम्बन्धमें व्यवस्था का प्रश्न—(क्रमागत)

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी–गढ़वाल)—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । आज हम लोगों को मालूम हुआ है कि मंत्रि-मंडल के एक सदस्य ने इस्तीफा दे दिया है । तो मान्यवर, इन कारणों को इस सदन को जानने का अधिकार है कि किन कारणों से मंत्री जी ने इस्तीफा दिया है । आप कृपया मंत्रि-मंडल के किसी सदस्य से इस बात स्पष्टीकरण करावें कि क्या यह सच है कि मंत्रि-मंडल के एक सदस्य ने इस्तीफा दिया है ? यदि हां, तो वे कौन-कौन से कारण हैं ? सदन को अवगत कराया जाय ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

इसके साथ ही मैं एक निवेदन और यह कर दूं । आज अखबार म निकला है कि कुछ सरकार की अनियमितताओं की वजह से उस मंत्रि-परिषद् के एक सदस्य ने इस्तीफा दिया है। इस के अतिरिक्त चीनी मिलों के टेक-ओवर के बारे में भी लोगों की विचार-भिन्नता है । इसमें पालिसी की बात थी । तो यह चीज सदन में आनी चाहिये । क्या कारण है जिस वजह से प्रशासन इस वक्त व्यस्त हो रहा है, मंत्रिमंडल के सदस्य जो मुख्य मंत्री यहां रिप्रेजेंट करते हों वह अपने विचार रख देते ?

श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

आज अखबार में गेंदासिंह जी के इस्तीफे की खबर पढ़ी । इससे पहले कई मंत्री चौधरी चरणसिंह के जालिमाना व डिक्टेटराना हरकत से ऊब कर परेशान थे । उनको यह मुगालता था कि ये किसानों के दोस्त हैं, लेकिन जब उनको जानकारी हो गयी कि किसानों के साथ दुश्मनी का काम किया जा रहा है तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया । अब ऐसी हालत में जब कोई सरकार नहीं रह गई है और मुख्य मंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया है तो सदन नहीं चलना चाहिये क्योंकि इस वक्त कोई सरकार नहीं है ।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

देश के दो प्रमुख अखबारों का विज्ञापन मुख्य मंत्री द्वारा रोक लिया गया था उसके संबंध में गेंदासिंह जी ने इस्तीफा दिया है, इस संबंध में भी आप उनसे स्पष्टीकरण दिलवा दें ।

श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)—

गेंदा सिंह जी के इस्तीफे के बारे में पौने ९ बजे जो न्यूज रिले थी उसमें कहा गया था कि मंत्रि–परिषद् में कुछ गड़बड़ी है इसलिये इन्होंने इस्तीफा दिया। सुबह 'स्वतंत्र भारत' अखबार में पढ़ा कि उन्होंने कुछ इस कारण इस्तीफा दे दिया कि ५ तारीख को कैबिनेट की मीटिंग थी उसमें शुगर मिल नैशनलाइजेशन पर कोई निर्णय नहीं हो पाया और १० तारीख के लिये वह मामला टाल दिया गया था और १० तारीख को जो मीटिंग हुई मंत्रि परिषद् की उसमें उनकी इच्छा के प्रतिकूल फैसला हुआ, जिसके कारण उन्होंने यह इस्तीफा दे दिया। अपोजीशन का चार्ज ठीक था कि नैशनलाइजेशन का नारा केवल चुनाव की तैयारी के लिये तथा पैसा कमाने के लिये दिया जा रहा है। तीसरा सवाल यह भी था कि दो प्रमुख अखबारों को विज्ञापन देना बन्द कर दिया गया था मुख्य मंत्री के द्वारा जब कि सूचना मंत्री गेंदा सिंह जी स्वयं थे। (व्यवधान–शोरगुल)

श्री अध्यक्ष—

कृपा करके बैठिये।

श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)—

मेरी बात खत्म नहीं हुई। सूचना मंत्री चाहते थे कि पक्षपातपूर्ण व्यवहार न किया जाय अखबार वालों के साथ और यह भी कारण है उनके इस्तीफा देने का। तो इस संबंध में आप उनसे बयान दिलवायें।

श्री राम विलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

पहले आप बैठिये। मुझे उत्तर देने दीजिये।

श्री रामविलास पांडेय—

मुझे नई बात कहनी है।

श्री अध्यक्ष—

पहले आप बैठें। मैं पहली बात का फैसला दे दूं। ये जितने प्रश्न उठाये गये हैं, अखबारों की खबरों के आधार पर उठाये गये हैं। वैसे तो अखबारों के ऊपर यह सदन नहीं चलता है इसलिये उसके ऊपर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। इसलिये इस वक्त जितने प्रश्न उठाये गये हैं उनमें कोई भी व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। दूसरी बात यह कि अगर किसी सदस्य ने जिन्होंने मंत्रिपद से त्याग-पत्र दिया है, उनको अध्यक्ष की सम्मति से अपने त्याग-पत्र के स्पष्टीकरण व व्यक्तिगत वक्तव्य देने का अधिकार होगा। जिसने त्याग-पत्र दिया है उसको पहले मुझसे सम्मति लेनी चाहिये कि वे इस सदन में अपना वक्तव्य देंगे। जो वक्तव्य दिया जाय उससे एक दिन पहले उसकी एक प्रति अध्यक्ष और सदन के नेता को भेजी जायेगी। नियमावली के नियम २७६ में स्पष्ट दिया हुआ है मंत्री का वक्तव्य जिन्होंने पद त्याग किया है"(१)किसी सदस्य को जिन्होंने मंत्रिपद का त्याग किया हो, अध्यक्ष की सम्मति से अपने त्यागपत्र के स्पष्टीकरण में एक व्यक्तिगत वक्तव्य देने का अधिकार होगा। जिस दिन वक्तव्य दिया जाय उससे एक दिन पहले, उसकी एक प्रति अध्यक्ष और सदन नेता को भेजी जायेगी, परन्तु लिखित वक्तव्य

की अनुपस्थिति में ऐसे वक्तव्य की मुख्य बातें या उसका सार अध्यक्ष और सदन नेता को, जिस दिन वक्तव्य दिया जाय, उस से एक दिन पहले भेजा जायेगा ।

(२) ऐसा वक्तव्य प्रश्नों के अनन्तर और दिन की कार्यवाही आरम्भ होने से पूर्व दिया जायेगा ।

(३) ऐसे वक्तव्य पर कोई विवाद नहीं होगा, परन्तु कोई मंत्री तत्संगत वक्तव्य दे सकेंगे ।"

पहले मंत्री का वक्तव्य यहां आना चाहिये । आप किसी मंत्री को जबरदस्ती नहीं कह सकते कि तुमको वक्तव्य देना पड़ेगा । वह मंत्री जिसने इस्तीफा दिया है, अगर वह वक्तव्य देना चाहे तो अध्यक्ष की सम्मति से वह वक्तव्य देगा कि उसने क्यों इस्तीफा दिया है । इसलिये आपको यह सुझाने की या जबरदस्ती तय कराने की जरूरत नहीं है कि वह वक्तव्य देगा । वह खुद ही अगर चाहेगा तो वक्तव्य देगा । अगर कोई दूसरी बात हो गयी, फर्ज कर लीजिये कि उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्यों साहब आपने तो इस्तीफा दे दिया था, फिर उसे क्यों वापस ले लिया । लेकिन जब तक वे मंत्री अपना वक्तव्य नहीं देते हैं, तब तक एकदम से इस प्रश्न को उठाने का प्रयत्न न करें ।

(व्यवधान)

श्री कृष्णचन्द्र (जिला झांसी)—

मान्यवर, आपसे एक स्पष्टीकरण मैं यह चाहता हूं कि माननीय सूचना मंत्री का इस्तीफा कल शाम को ४ बजे हुआ जब कि यह सदन चल रहा था और साढे ५ बजे माननीय मुख्य मंत्री ने समाचार–पत्र सम्वाददाताओं को यह कहा कि मैंने यह इस्तीफा मंजूर नहीं किया है । मान्यवर, इसमें दो महत्वपूर्ण बातें हैं । जब सदन चल रहा हो उस समय समाचार-पत्रों को कोई वक्तव्य दे देना और इस सदन को विश्वास में न लेना, मैं समझता हूं कि यह ब्रीच आफ प्रिविलेज नहीं भी है। तो ब्रीच आफ कांस्टीट्यूशनल इम्प्रोप्रायटी जरूर है । दूसरा प्रश्न यह भी है कि आज हम लोगों को समाचार-पत्रों से ही ज्ञात हुआ है कि माननीय गेंदा सिंह के पास जब समाचार-पत्रों के सम्वाददाता गये तो उन्होंने भी कारणों को बताने से इंकार तो किया लेकिन उन्होंने यह माना कि मैंने इस्तीफा दे दिया है । तो अब एक बड़ा ही सैद्धांतिक प्रश्न पैदा होता है कि जब सदन चल रहा हो और यह सदन कल ६ बजे तक चला था उस समय ४ बजे से ६ बजे के बीच में माननीय मंत्री जी का इस्तीफा हो गया और उनका वक्तव्य हो गया और माननीय मुख्य मंत्री ने भी स्वीकार कर लिया संवाददाताओं के सामने कि इस्तीफा उन्होंने दिया है लेकिन मैंने मंजूर नहीं किया है ।

मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि यह सदन का अवमान है या नहीं या यह कांस्टीट्यूशनल इम्प्रोप्राइटी है या नहीं ? इस विषय में मैं आपसे स्पष्ट निर्णय चाहता हूं । इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ब्रिटिश हाउस आफ कामन्स में यह परम्परा रही है कि जब सन् ३६ में किंग एडवर्ड अष्टम ने एब्डीकेट किया । उस समय इंग्लैन्ड के प्रधान मंत्री श्री स्टेनले बाल्डविन थे । जब वे पार्लियामेंट जा रहे थे तो इग्लैन्ड के समाचार पत्रों ने उनसे पूछा कि किंग एडवर्ड ने एब्डीकेट किया है या नहीं, तो बाल्डविन ने उनको कुछ बताने से इंकार कर दिया और कहा कि इसकी घोषणा तो मैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में ही करूंगा । उन्होंने अखबारों के संवाददाताओं को कुछ नहीं बताया और पार्लियामेंट में ही उन्होंने घोषणा की कि किंग एडवर्ड ने ऐब्डीकेट कर दिया है । यह हाउस आफ कामन्स की परम्परा रही है। इसके प्रकाश में मैं स्पष्ट निर्णय चाहता हूं कि माननीय गेंदासिंह का जो कार्य है और माननीय मुख्य मंत्री जी का जो कार्य है वह कांस्टीट्यूशनल इम्प्रोप्रायटी है या नहीं ?

श्री गोविन्द सिंह---

श्रीमन्, इसी संबंध में एक दृष्टिकोण तो माननीय शर्मा जी ने बताया । एक दूसरा दृष्टिकोण यह है कि कल ही इस सदन के सामने जब आयुर्वेदिक कालेजों को किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने की बात थी, उस पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने यहां सदन में कुछ भी बताने से इंकार कर दिया । लेकिन आज अखबारों में देखा कि आयुर्वेदिक कालेजों को गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से संबद्ध कर दिया गया है । इस प्रकार की घोषणा, जब कि सदन चल रहा हो, सदन के अन्दर न की जा कर अखबारों में सदन के बाहर कर दी जाय, क्या यह सदन का अवमान नहीं है, इस पर आप व्यवस्था दें ।

श्री अध्यक्ष---

यह दूसरा सवाल है ।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

श्रीमन, में एक स्पष्टीकरण चाहता हूं वह यह हैं कि माननीय गेंदासिंह ने जो इस्तीफा दे दिया है उससे यह जाहिर होता है कि कुछ मूलभूत प्रश्न हैं जो पालिसी से संबंधित हैं चाहे तो वह नेशनलाइजेशन आफ शुगर मिल्स की कमेटी से संबंधित हो, चाहे समाचार-पत्रों में विज्ञापन न देने के संबंध में हो, या आयुर्वेदिक कालेजों को सम्बद्ध किये जाने से संबंधित हो, ये ऐसे विषय हैं जिनके ऊपर केबिनेट में आपस में विरोध है । इसलिये मैं आपके द्वारा यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि इस वक्त एक कैबिनेट के मंत्री ने स्तीफा दे दिया है और क्योंकि कैबिनेट की ज्वाइंट रेस्पांसिबिलिटी है, इसको देखते हुए जनता में एक भ्रम पैदा हो गया है कि उत्तर प्रदेश में कोई सरकार चल रही है या नहीं और कैबिनेट अपनी ज्वाइंट रेस्पांसिबिलिटी को मेनटेन कर रहा है या नहीं ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---

अध्यक्ष जी, यह बहुत सही बात है कि माननीय गेंदा सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया और माननीय मुख्य मंत्री जी ने उस पर टिप्पणी भी कर दी है, जो अनुचित है । इसके बारे में माननीय कृष्णचन्द्र शर्मा जी ने हाउस आफ कामन्स का हवाला भी दिया कि किस प्रकार से वहां के प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में एनाउन्स करने से पूर्व अखबारों को खबर नहीं दी । सचमुच यह बहुत उच्च परम्परा है । चौधरी चरण सिंह से उस परम्परा के पालन की अपेक्षा करना फालतू की बात है । यह बात बहुत जरूरी है कि रिजाईनिंग मिनिस्टर के कुछ कारण तो अवश्य होते हैं लेकिन उन्होंने अखबार वालों को कारण नहीं बताया । लेकिन यहां की कार्यवाही में उन्होंने एक शब्द कहा था और कहते-कहते रुक गये । उन्होंने कहा कि यह बात ठीक नहीं है कि गवर्नमेंट ने टाइम्स आफ इंडिया और नव भारत टाइम्स के एड-वर्टिजमेंट को काटा । लेकिन यह बात गवर्नमेंट ने कुछ हेस्ट में जरूर कर दी । माननीय कृष्णानन्द राय जी को मैं इसके लिये बधाई देता हूं कि उन्होंने गेंदासिंह जी को झटका दिया कि वे जो चरणसिंह जी के ऐबों को बचा रहे थे, उनसे पिंड छुड़ा कर उनके पिंजड़े के बाहर निकलने का फैसला ले लिया । मैं माननीय गेंदासिंह जी को भी बधाई देता हूं कि उनसे जो सही बात कही गयी उसको उन्होंने मान लिया । अभी मुझे मालूम हुआ बहुत सीक्रेट कि तीन मंत्रियों ने और रिजाइन कर दिया । अगर कोई विधेयक होता तो मैं मान लेता लेकिन बजट है जिसमें गवर्नमेंट की नीतियां परिलक्षित होती हैं और बजट के बीच में मंत्रियों में इस कदर भगदड़ मचे, कैबिनेट की ज्वाइंट

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

रेस्पांसिबिलिटी न हो कर अलग-अलग हो रही है, तो रियासत हुसैन साहब ने जो प्रश्न उठाया कि केबिनेट इस वक्त होमोजिनस नहीं है····

(व्यवधान)

आपकी इन बातों से तो मैं बैठने वाला नहीं हूं । आप सारे लोग चिल्लाते रहें तो मैं बैठने वाला नहीं हूं । अध्यक्ष जी, आप कह सकते हैं, ये सब के सब चिल्लायें तो इनको तो मैं कुछ समझता नहीं हूं । तीन मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। इसलिये मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आज आप सेशन टालें और मंत्रिमंडल की बैठक करायें और आप भी उसमें उपस्थित हो जायं । (घोर व्यवधान)

श्री ईश्वरदयाल त्यागी (जिला मेरठ)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि जैसे ही आज सदन की कार्यवाही शुरू हुई और प्रश्न होने लगे तो उसी वक्त माननीय मंजूर अहमद और दूसरे माननीय सदस्यों ने माननीय गेंदा सिंह, सूचना मंत्री के इस्तीफे का जिक्र किया । जैसा कि नियम है कि प्रश्नों से पहले कोई व्यवस्था का प्रश्न न उठाया जाय····

श्री अध्यक्ष—

पिछली बात छोड़िये, अब बताइय····

श्री ईश्वरदयाल त्यागी—

जो सदस्य जोर से बोलने लगते हैं आप उन्हें इजाजत दे देते हैं । मैं इस बात पर व्यवस्था चाहता हूं कि जब आप माननीय सदस्यों को इजाजत नहीं देते और वह जोर से बोलने लगते हैं फिर आप उनको सुनना शुरू कर देते हैं । तो आप इस पर व्यवस्था दें कि जो माननीय सदस्य आपकी आज्ञा के बगैर बोलें वह सदन का अवमान होता है । जहां तक गेंदा सिंह जी के इस्तीफे का सवाल है उसका कोई असर ही नहीं पड़ रहा है । वह तो उन्होंने दे दिया है, मंजूर हो या न हो तो इस अनावश्यक विषय पर सदन का टाइम····

(घोर व्यवधान)

श्री शिवकुमार (जिला सुल्तानपुर)—

वैधानिक रूप से आपको कोई सूचना नहीं दी गयी है कि गेंदासिंह जी ने इस्तीफा दिया है । अगर उन्होंने दिया भी होता तो प्रोसीजर यह है कि मुख्य मंत्री जी राज्यपाल को फारवर्ड करते या गेंदा सिंह जी सदन में बताते और तब कोई बात होती····

(घोर व्यवधान)

(कई सदस्य एक साथ खड़े हो कर बोलते रहे)

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा करके बैठें ।

कृषि मंत्री (श्री शिवराज सिंह)—

मान्यवर, क्या इस व्यवस्था पर डिबेट करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

जी नहीं ।

(व्यवधान)

श्री रामविलास पांडेय---

मैं व्यवस्था चाहता हूं । माननीय शिवराज सिंह, कृषि मंत्री गुस्से में माइक टेढ़ा कर के बोलते रहे और आस-पास के सदस्यों को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि तुम बोलोगे गेंदा बाबू के इस्तीफे के संबंध में ।

श्रीमन्, गेंदाबाबू ने इस्तीफा दिया है । 'आल इंदिरा रेडियो' पर भी खबर आयी है । वह खबर पत्रकारों को भी बतायी गयी । अगर नहीं उन्होंने इस्तीफा दिया है तो कोई मंत्री साहस कर के क्या यह कहने के लिये तैयार हैं हाउस में कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है ....

श्री अध्यक्ष---

व्यवस्था क्या है ? व्यवस्था मुझे करनी है ।

श्री रामविलास पांडेय---

आज पत्रकारों के सामने यह पूछे जाने पर कि गेंदा बाबू ने इस्तीफा दिया है, कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी ने कहा कि 'ऐसे तो देते रहते हैं इस्तीफा, उसकी कोई अहमियत नहीं है' ।

(शेम शेम की आवाजें)

और मान्यवर, इनका दिमाग खराब हो गया है, हौसला बढ़ गया है और नतीजा यह है कि सदन..... (व्यवधान) गवर्नमेंट का कोई संयुक्त उत्तरदायित्व नहीं है । तीन मंत्री इस्तीफे दे चुके हैं.....इंदिरा जी को माओ का संदेश आया है कि वेट करो, इंतजार करो, वह भी सामने आने वाला है और जब स्थिति ऐसी डांवाडोल है तो मैं समझता हूं सदन आज आप बरखास्त कर दें । जब स्थिरता आ जायगी, मंत्रिमंडल के वरिष्ठ लोग बैठने लगेंगे एक दूसरे की आलोचना में, गेंदा सिंह ने इसलिये इस्तीफा दिया कि सरकार.....

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष---

व्यवस्था का कौन-सा प्रश्न है ....

(व्यवधान)

१५ मिनट के लिये मैं सदन को स्थगित करता हूं ।

(इस समय १२ बज कर ३० मिनट पर सदन स्थगित हुआ और १२ बज कर ४५ मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री रामकुमार शास्त्री---

अध्यक्ष महोदय, मुझे यह निवेदन करना है कि आपने व्यवस्था दी कि रिजाइन करने वाले मिनिस्टर साहब को चाहिये कि नेता सदन को अपना वक्तव्य दें और साथ ही साथ उसकी एक प्रति आपको भी दें । बड़ी विषम परिस्थिति पैदा हो गई है । यह मेरी जानकारी है कि बहुत से मंत्रियों ने चाहा कि वह अपना इस्तीफा वापस ले लें, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया । इसके साथ-साथ मेरी यह भी जानकारी है कि मंत्री महोदय श्रीमन् के सचिव के कार्यालय में बैठे हुए थे और रोष में थे । परिस्थिति बड़ी विषम हो गई है । बजट सैशन चल रहा है । इस वक्त इतने बड़े मसले को इधर-उधर टाल देना मैं समझता हूं प्रदेश के हित में न होगा । इसलिये इसका स्पष्टीकरण हो ही जाना चाहिये कि वह कौन-कौन सी गंभीर परिस्थितियां थीं जिनके कारण माननीय गेंदासिंह जी ने अपना इस्तीफा दिया । मैं समझता हूं कि चीनी मिलों का मसला है, दो अखबार बन्द कर दिये गये और बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है । कैबिनेट रैंक के किसी मंत्री को इसका स्पष्टीकरण करना चाहिये ।

राजस्व मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था के बारे में भी कह रहा हूं और माननीय सदन से भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमको यह सदन चलाना है। इसलिये जो नियम हैं, जो हम लोगों ने स्वयं बनाये हैं, उन नियमों का हमें पालन करना चाहिये। सब से पहला नियम जिसमें व्यवस्था दी गई है वह यह है कि जब तक किसी माननीय सदस्य का नाम लेकर पुकारा न जाय, वह खड़े तो हो सकते हैं, लेकिन बोल नहीं सकते, लेकिन इसका पालन नहीं होता है और गड़बड़ी होती है। तो मैं पहली प्रार्थना यह करूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, आप यह व्यवस्था दें कि जब तक आप किसी माननीय सदस्य को नाम से न पुकारें कोई बोलेगा नहीं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

(एक सदस्य को सम्बोधित करते हुए) आप क्यों बोल रहे हैं, मैं आप को बोलने की इजाजत नहीं दे रहा हूं। माननीय चतुर्भुज शर्मा बोल रहे हैं।

श्री चतुर्भुज शर्मा---

और अगर कोई बोलेगा तो वह प्रोसीडिंग में नहीं लिखा जायेगा। अगर वह चीज सदन के बाहर जायेगी तो ब्रीच आफ प्रिविलेज होगा। श्रीमन्, आज अभी बड़े जोर से शोर हुआ, आपको थोड़ी देर के लिये सदन स्थगित करना पड़ा। श्रीमन्, इसमें कौन-सी चीज ऐसी है जो अखबारों की बिना पर यहां पर इतनी बातें कही गईं। मान लीजिये अगर किसी माननीय मंत्री ने इस्तीफा दिया तो यह इस्तीफा देना उनका काम था, लेकिन अभी यह तय नहीं हुआ कि मंत्रि-परिषद् से अलग हो गये। माननीय श्रीपति मिश्र ने भी इस्तीफा दिया था वह भी अखबारों में आया। हमारे गेंदा सिंह जी ने भी इस्तीफा दिया। अगर उन्होंने इस्तीफा दिया है तो दिया है। अखबारों में मैंने भी पढ़ा कि उन्होंने कहा कि इस्तीफा मैंने दिया है। तो अगर उन्होंने इस्तीफा दिया तो इस्तीफा देना ही वाकया है और इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ यह भी एक फैक्ट है।

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि उसके ऊपर फिर और अर्थ लगाया जाय, इनसुनिएशन लगाया जाय यह ठीक नहीं है। एक तो कैबिनेट की बात कही गई। मंत्रि-परिषद् की बैठक हुई थी लेकिन श्रीमन्, उसका एक अलग प्रोसीजर है। उसमें की जितनी चीजें.....

(व्यवधान)

कहने की हों वही सदन में कही जायं। यह कहा गया कि चीनी मिलों का मामला चल रहा था और उसी पर मंत्रि-परिषद् में मतभेद हुआ और इस कारण उन्होंने इस्तीफा दिया है। मैं श्रीमन्, वहां की कोई गोपनीय बात नहीं कहना चाहता हूं लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि श्री गेंदासिंह जी का अथवा किसी और मंत्रि-परिषद् के सदस्य का जहां तक चीनी मिलों का मसला है उसमें रत्ती भर भी फर्क नहीं है।

कई सदस्य---

फर्क है।

श्री कृष्णानन्द राय---

माननीय अध्यक्ष जी, व्यवस्था का प्रश्न है....(व्यवधान)....मैं चुप था लेकिन माननीय मंत्री जी सरासर झूठ बोल रहे हैं।....(व्यवधान)....हमारा निवेदन यह है कि या तो गेंदा सिंह जी आकर कहें कि मतभेद नहीं है या माननीय मुख्य मंत्री जी कहें कि मतभेद नहीं है। यह बीच में क्यों खड़े हो गये।

(व्यवधान)

श्री चतुर्भुज शर्मा---

मैं स्वयं एक व्यवस्था चाह रहा था और माननीय कृष्णानन्द जी राय उस व्यवस्था को जानते हैं कि जब मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं तो उनको भी मौका मिलता और वह बाद में कहते ।

(व्यवधान)

श्री बंशीधर पांडेय---

अध्यक्ष जी, हम इनको नहीं सुनना चाहते हैं । मुख्य मंत्री जी कैबिनेट के अध्यक्ष हैं और यहां उपस्थित हैं वह बोलें । इनकी क्या हैसियत है ?

श्री अध्यक्ष---

वह भी मंत्री हैं ।

श्री रामविलास पांडेय---

माननीय रावत जी जवाब दे रहे थे और आपने उनको मना कर दिया ।

(व्यवधान)

श्री चतर्भुज शर्मा---

मेरी भी गेंदा सिंह जी से रोज बात होती है और मंत्रि-परिषद् में भी उनसे बात हुई ।

(व्यवधान)

श्री राम करन (जिला गोरखपुर)---

प्वाइंट आफ आर्डर है । इनकी गेंदा सिंह जी से बात होती थी । तो क्या मंत्री जी की सलाह से ही उन्होंने इस्तीफा दिया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

श्रीमान ने नियम पढ़ कर बतलाया कि मंत्रि-परिषद् का कोई सदस्य इस्तीफा देता है तो क्या प्रोसीजर है, उसका क्या तरीका है ? नियम के अनुसार उसमें कार्यवाही होगी अगर वह इस्तीफा है लेकिन उसकी वजह से यहां बिना वजह और चीजों को पैदा करके

(व्यवधान)

मैं चाहूंगा कि इस विषय पर अब कोई चर्चा सदन में न होनी चाहिये जब तक कि नियम के अनुसार मंत्री महोदय स्वयं आपसे इस बात की आज्ञा न मांगें । उनका किन कारणों से और किस पर मतभेद है यह जब तक वह स्वयं इसको न बतायें सदन में चर्चा का विषय नहीं हो सकते हैं । मान्यवर, मैं इस विषय पर आपकी व्यवस्था चाहूंगा कि चर्चा इस सदन में नियम के अनुसार होनी चाहिये । मंत्री महोदय जिन्होंने इस्तीफा दिया है सबसे पहले वह अपनी बात कहें और उनके बाद फिर दूसरे लोग कह सकते हैं जिसका वह जवाब देंगे । इस प्रकार से यहां पर चर्चा करके मंत्री जी का हक छीना जा रहा है । वह अपनी बात स्वयं सदन में कहें । इस कारण मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था चाहूंगा कि इस विषय पर यहां चर्चा न हो ।

श्री अध्यक्ष---

किसी सदस्य को जिन्होंने मंत्रिपद का त्याग किया हो, अध्यक्ष की सम्मति से अपने त्यागपत्र के स्पष्टीकरण में एक व्यक्तिगत वक्तव्य देने का अधिकार होगा । जिस दिन वक्तव्य दिया जाये उससे एक दिन पहले, उसकी एक प्रति अध्यक्ष और सदन के नेता को भेजी जायेगी, परन्तु लिखित वक्तव्य की अनुपस्थिति में ऐसे वक्तव्य की मुख्य बातें या उसका सार अध्यक्ष और सदन

नता को, जिस दिन वक्तव्य दिया जाय उससे एक दिन पहले भेजा जायेगा। ऐसे वक्तव्य पर कोई वादविवाद नहीं होगा, परन्तु कार्यवाही आरम्भ होने से पूर्व दिया जायेगा। यह तो नियम है। इसलिये इसके ऊपर जब तक मंत्री जी मौजूद न हों वक्तव्य देने के लिये, मुझ से इसकी इजाजत न ले लें इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिये। मैंने शुरू में कह दिया था। आपका कर्त्तव्य है, जिस नियम को आपने स्वयं बनाया है, उसका पालन करें और आगे की कार्यवाही आरम्भ होने दें।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

प्रश्न जिनसे संबंधित है वह तो आये नहीं और चतुर्भुज शर्मा जी उनके लिये कैसे वक्तव्य दे रहें हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैं उनको बुलाऊंगा।

श्री मोहनलाल कपूर—

कल जिस समय सदन चल रहा था उस समय लगभग ४ बजे के करीब उन्होंने इस्तीफा दिया और हमारे मुख्य मंत्री जी ने साढ़े ५ बजे पत्रकारों को इसकी सूचना दी उस समय भी सदन चल रहा था, तो क्या उसकी सूचना वह सदन में नहीं दे सकते थे? मुख्य मंत्री जी यहां पर मौजूद हैं और उनको सूचना देनी चाहिये कि यह ठीक है या नहीं।

श्री अध्यक्ष—

मैं उसकी इजाजत नहीं देता हूं और मैं व्यवस्था देता हूं। श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा ने प्रश्न उठाया था कि यहां पर ४ बजे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। यह ठीक है कि मुख्य मंत्री जी को यह कहना चाहिये था कि अमुक मंत्री ने इस्तीफा दिया है या नहीं। पत्रकारों से उन्होंने कहा करीब साढ़े ५ बजे उस समय सदन चल रहा था। पत्रकारों के पूछने पर उन्होंने कहा कि इस्तीफे को मैंने मंजूर नहीं किया। इग्लैंड का उदाहरण दिया कि वहां के राजा ने इस्तीफा दे दिया था। वहां के प्राइम मिनिस्टर से पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा और सदन में जाकर इस बात की घोषणा करूंगा फिर आप लोग इसको जान सकेंगे। यह प्रश्न इस प्रकार का कई दफे उठ चुका है। मैंने यह कह दिया था कि यह चीज जो है वह विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं है और यह एटीकेट का सवाल है कि उनको सदन में यह पहले बताना चाहिये। मैंने कहा था कि अगर कोई महत्व की घटना है तो सदन में सूचना दे दें, पहले यहां स्टेटमेंट दे दें। जिस वक्त यह प्रश्न उठाया गया मैं फैसला देने वाला था पर पहले मुझको उनसे दरियाफ्त करना था कि आपने ऐसा स्टेटमेंट दिया है या नहीं, गेंदासिंह से भी और नेता सदन से भी। मैंने कहा था कि पूछ-ताछ हो जाने पर ही मैं अपना कोई फैसला दे सकता हूं। अगर वह स्वीकार करते हैं कि उन्होंने महत्व का स्टेटमेंट दिया है तो यह एटीकेट की बात होगी। अगर मुख्य मंत्री कोई स्टेटमेंट देना चाहते हैं तो दें। अगर दिया होगा तब कह देंगे कि दिया और नहीं दिया होगा तो कह देंगे कि नहीं दिया। मैं उनसे पूछूंगा और माननीय गेंदासिंह से भी पूछूंगा कि उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया या नहीं।

मुख्य मंत्री (श्री चरणसिंह)—

अध्यक्ष महोदय, आपने अगर मैं गलत नहीं समझा हूं, यह रूलिंग दे दी है कि अगर कोई सवाल पूछा जाय चाहे वह डिक्लेयर्ड पालिसी से संबंधित हो अथवा नहीं तो आप कहते हैं कि वह एटीकेट के खिलाफ है। यह कोई पालिसी की बात नहीं है। अगर कोई करेस्पान्डेन्ट पूछे कि आपने किसी मंत्री का इस्तीफा मंजूर किया अथवा नहीं तो मैं उससे क्या कह सकता हूं।

(व्यवधान)

[श्री चरण सिंह]

मैं यह स्वीकार करता हूं कि जहां पर नीति की बात है उसके बारे में आर्डर रूलिंग दे भी चुके हैं और जहां पर ऐसी कोई बात है वहां पर विशेषाधिकार की बात नहीं है बल्कि एटीकेट की बात है। अगर यह पूछा जाय कि आपने किसी मंत्री के इस्तीफे को स्वीकार किया या नहीं।

श्री अध्यक्ष---

मैंने यह नहीं कहा। उन्होंने उदाहरण दिया।

श्री चरण सिंह---

मैंने जो बयान दिया है वह यह कि मैंने उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया और अगर मैं यह कहूं कि एटीकेट के खिलाफ मैंने कोई काम नहीं किया तो क्या यह ठीक नहीं होगा ?

श्री अध्यक्ष---

ऐडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में कोई एटीकेट की बात नहीं है और नीति के सम्बन्ध में हो सकती है।

श्री प्यारेलाल (जिला मेरठ)---

कल सबेरे जब आयुर्वेदिक और यूनानी कालेज के बारे में प्रश्न चल रहे थे तब मुख्य मंत्री जी ने विद्यार्थियों के बारे में कोई भी सूचना देने से इनकार कर दिया था।

श्री अध्यक्ष---

मेरे पास यह प्रिविलेज का सवाल आया है। मैं इसको देखूंगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

मान्यवर, जहां तक कि मुख्य मंत्री की नियुक्ति का सवाल है वह राज्यपाल महोदय उनका चयन करते हैं और उनको शपथ दिलाते हैं परन्तु अन्य मंत्रियों के बारे में जब मुख्य मंत्री जी अपनी सिफारिश अन्य मंत्रियों के बारे में राज्यपाल को देते हैं तब वे उनको भी शपथ दिलाते हैं। इस प्रकार से नेता का साथियों पर और साथियों का नेता पर पूर्ण विश्वास होता है और इसी प्रकार से मंत्रिमंडल चलता है। लेकिन यहां पर यह देखने में आया है कि यहां पर विशेष परिस्थिति पैदा हो गई है.....

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री धर्मसिंह)---

मान्यवर, जब आपने अपनी एक रूलिंग दे दी है तब माननीय सदस्य किस प्वाइन्ट पर बोल रहे हैं ?

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि प्रदेश में जो विशेष परिस्थिति है कोई भी मुख्य मंत्री होता तो वह उसका फुल एक्सप्लायटेशन करता। मुख्य मंत्री जी भी उसी तरह से फुल एक्सप्लाइटेशन कर रहे हैं....

श्री अध्यक्ष---

आप व्यवस्था का प्रश्न पूछिए।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

श्रीमन्, ऐसी परिस्थिति में उनको यह एडवान्टेज मिल गया तो वह समझ बैठे हैं कि उनको हर हालत में सहयोग मिलेगा और सहयोगी दल उनको बरदाश्त करेंगे चाहे जैसे वह चलें...

श्री अध्यक्ष---

आपके विशेषाधिकार के प्रश्न में यह चीज आयी है इसलिए मैं इसको व्यवस्था का प्रश्न नहीं मानता ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मान्यवर, मंत्रि-मंडल के सदस्यों में एक अर्से से मरमरिंग चल रही थी, अब खुलकर सामने आ गयी । खाली इंडीकेंटी ही नहीं बल्कि बी० के० डी० के सदस्य भी....

श्री अध्यक्ष---

आप तो बहस कर रहे हैं । यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

तो यदि मंत्रिमंडल आपस में इस तरह बंटा हो क्या इस तरह की स्थिति रहते हुए सदन विधिवत् चलाया जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष---

जब तक मंत्रिमंडल की आपसी फूट सदन में नहीं आती और सदन में वह प्रश्न नहीं उठता तब तक यह प्रश्न नहीं उठाया जा सकता । आपका जो व्यवस्था का प्रश्न है वह अव्यवस्थित है । मैं इजाजत नहीं देता ।

श्री प्यारेलाल द्वारा स्वायत्त शासन मंत्री के विरुद्ध प्रश्नों के गलत उत्तर देने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष---

अब मैं विशेषाधिकार का प्रश्न ले रहा हूं । यह प्यारेलाल जी का है कि कल दिनांक १०-६-७० के विधान सभा के उपवेशन में सदन के समक्ष माननीय स्वायत्त शासन मंत्री श्री अतीकुर्रहमान जी ने श्री रामचन्द्र विकल, सदस्य, विधान सभा के एक प्रश्न के जवाब में बताया कि जिन लोगों की जगह छोड़ी गयी है उनमें कब्रिस्तान है, मस्जिद हैं, मंदिर हैं, चर्च है और स्कूल है । यह कथन बिलकुल असत्य है । माननीय मंत्री जी ने जानबूझ कर सदन को गुमराह करने के लिये ऐसी बात सदन के समक्ष कही है । दूसरी बात उन्होंने कही कि श्री प्यारेलाल शर्मा, सदस्य, विधान सभा, के अनशन करने पर मुख्य मंत्री जी ने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया कि इन जमीनों के बारें में कार्यवाही करते समय श्री शर्मा से भी परामर्श किया जाएगा । जबकि दिनांक ६-६-७० को माननीय मुख्य मंत्री के कक्ष में मुख्य मंत्री, स्वायत्त शासन मंत्री, स्वायत्त शासन सचिव, एडमिनिस्ट्रेटर, गाजियाबाद और मेरे बीच गाजियाबाद के सम्बन्ध में विचार-विमर्श हुआ था । इस प्रकार उपरोक्त बयानों से माननीय स्वायत्त शासन मंत्री, श्री अतीकुर्रहमान जी ने सदन का स्पष्टतया अवमान किया है और सदन का विशेषाधिकार भंग किया है । अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस मामले को विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द करने की कृपा करें । तो यह उन्होंने भेजा है । अब वह कृपा कर बतावें कि इसमें कौन सी चीज ऐसी है जिसको आप कहते हैं कि विशेषाधिकार की अवहेलना हुई ।

*श्री प्यारेलाल (जिला मेरठ)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस में जो माननीय मंत्री जी ने यह जवाब दिया है कि कब्रिस्तान, मस्जिद, मन्दिर, चर्च और स्कूल की जगह छोड़ी गयी यह गलत है, ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी गयी । सिर्फ उन्हीं आदमियों की जगह छोड़ी गयी जो मंत्रियों के दोस्त् थे या जिनकी मंत्रियों

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री प्यारेलाल]

तक पहुंच थी जैसे कैलाश प्रकाश जी ने अपने मित्र सेठ जयप्रकाश और छबीलदास की छुड़वाई, चौधरी साहब ने बनवारी लाल, आर्य प्रतिनिधि सभा की छुड़वाई और तेजासिंह, नेहरू कोआपरेटिव सोसायटी की छुड़वाई । इसी तरह से मंगला प्रसाद जी ने टाटा आयल कम्पनी की छुड़वाई । तो जिन लोगों की मंत्री तक पहुंच हो गयी उन्हीं की जमीन छोड़ी गयी । तो मंत्री जी ने जो मंदिर, मस्जिद वगैरह की जमीन छोड़ने की बात कही वह बिलकुल गलत है क्योंकि इनकी एक इंच भी नहीं छूटी, न एक्वायर हुई, और जहां एक्वायर हुई वह राजी होकर दे दी गयी, छोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता । दूसरी गलतबयानी मंत्री जी ने यह की कि उन्होंने कहा कि ऐसा आश्वासन नहीं दिया गया जबकि इन जमीनों के बारे में ६-६-७० को मुख्य मंत्री जी के कक्ष में एक कमेटी बनी जिसमें टाउन प्लानर, एडमिनिस्ट्रेटर और जिलाधीश रखे गए जो इस बात को देखें कि कौन जमीन छोड़ी जाय और कौन नहीं । तो इस तरह के जवाब देकर माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी ने सदन को गुमराह किया और सदन का अवमान किया । इसलिए विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है ।

श्री अध्यक्ष—

इस में यह उत्तर है कि जिन लोगों की जमीन छोड़ी गई है उनमें कब्रिस्तान है, मस्जिद है, मन्दिर है, चर्च है और स्कूल है । उनकी जमीन छोड़ी गई है । जो आधी सरकारी या सरकारी इमारतें हैं उनकी जमीन को छोड़ा गया है । साथ ही लेबर डिपार्टमेंट, यू० पी० इंडस्ट्रियल कारपोरेशन की जमीन छोड़ी गई है । जो कंस्ट्रक्टेड एरिया था यानी इमारतें जहां बन गई थीं उनकी जमीन छोड़ी गई है । आबादी वाला एरिया भी इसके लिये मौजूं नहीं था इसलिये उसको भी छोड़ दिया गया है । जिस जमीन के बारे में आपने पूछा था उसका उन्होंने जवाब दिया है ।

दूसरी बात यह है कि मैंने आपसे कहा कि कोई मीजू का भी उत्तर जो यहां पर मंत्री देते हैं वह वही उत्तर देते हैं जो उनके पास सूचना आती है। उसके आधार पर ही वह उत्तर यहां देते हैं । अगर कोई कमी रह जाय उन उत्तरों में तो आप प्रश्न कर सकते हैं लेकिन इन उत्तरों के ऊपर विशेषाधिकार का प्रश्न उठता नहीं है । यदि स्पष्टीकरण चाहें तो आप अल्पसूचित तारांकित प्रश्न कर के करा सकते हैं । इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं देता ।

श्री प्यारे लाल—

कंस्ट्रक्शन के बारे में दूसरी बात कही थी · · · ·

श्री अध्यक्ष—

मैंने कह दिया कि यह उससे सम्बन्धित नहीं था ।

श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)—

यह विशेषाधिकार का प्रश्न जो शर्मा जी ने उठाया । मैं यह जानना चाहता हूं कि मन्दिर या मस्जिद की कोई जमीन क्या एक्वायर की जा सकती है ?

श्री अध्यक्ष—

यह बहुत पुरानी बात है । जब एक्वायर की गई उस वक्त अगर गलती हो गई तो बाद में उसको दुरुस्त किया जा सकता है । अगर कोई मस्जिद की जमीन है और बाद को वह गलती से एक्वायर हो गई तो उसको दुरुस्त किया जा सकता है ।

जो और सूचनायें मेरे पास आई हैं वह देर से आई हैं । मैं उनको देख नहीं पाया हूं इसलिये उनको मैं अगली बैठक में लूंगा । एक प्रश्न मैंने ले लिया है और दूसरे प्रश्न जब बुधवार को यह सदन बैठेगा उस दिन लूंगा ।

श्री कृष्णानन्दराय (जिला गाजीपुर)---

श्रीमन्, एक घंटा प्वाइन्ट आफ आर्डर के उठाने में चला गया। मैं यहां पर मौन बैठा रहा। मैंने एक विशेषाधिकार का प्रश्न दिया था जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप उस पर विवाद होने दें और आप उस पर ठीक से निर्णय दें तो इस सदन में बड़ी शान्ति और व्यवस्था उत्पन्न हो सकती है।

श्री अध्यक्ष---

आप बाद को मुझसे इसके विषय में डिस्कस कर लें।

१९७०-७१ के आय-व्यय क में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या २४-सहकारिता

*सहकारिता मंत्री (श्री लक्ष्मी शंकर यादव)---

अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २४-सहकारिता के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,७६,८०,७०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(इस समय १ बजकर १७ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुये।)

श्रीमन्, विभाग की ओर से जो पुस्तिका बंटी है उसमें बहुत विस्तार में सारी चीजें दी गई हैं और मैं ज्यादा समय न लेकर कुछ खास बातों का ही जिक्र करूंगा। खास तौर से जिन चीजों की अक्सर सदन में चर्चा हुआ करती है उनके बारे में मैं थोड़ा जिक्र करना चाहता हूं। सब से पहले तो आप इस में पढ़े होंगे और माननीय सदस्य इस में देखें होंगे कि यह सहकारिता आन्दोलन प्रदेश में काफी फैला हुआ है, उसके बहुत विस्तार में न जाकर मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि हमारी कारोबारी पूंजी ३४८ करोड़ ५० लाख रुपया है और हमारे यहां ३८,३७० समितियां हैं और ७५ लाख ४० हजार उन के सदस्य हैं। साथ ही जितने भी काम इस विभाग से होते हैं वे खास तौर से कृषकों की कृषि उत्पादन बढ़ाने के लक्ष्य से ही प्रेरित होते हैं और इसी चीज को दृष्टिकोण में रखकर बीज, खाद व ऋण की शक्ल में सहायता दी जाती है। वैसे जैसा कि मैंने पहले कहा मैं खास तौर से उन बातों को कहना चाहता हूं जिन को कि यहां खास तौर से अधिक चर्चा होती है। एक तो यह कहा जाता है कि चुनाव वगैरा कोआपरेटिव के अधिकारी सही तौर पर नहीं होने देते और कुछ बात की जाती है कि राजकीयकरण इस में होना चाहिये।

साथ ही यह भी कहा जाता है कि विभाग का रजिस्ट्रार ही सब कुछ होता है और उन्हीं का फैसला किसी भी झगड़े या मामले में अंतिम हो जाता है। अभी इस वक्त जो अधिनियम इस संबंध में लागू है वह २६ दिसम्बर सन् ६८ से लागू है और उस के अन्तर्गत बनाये गये नियम ३१-१२-६८ से लागू हुये। उसमें माननीय सदस्य देखें होंगे कि जहां तक वेस्टेड इन्टरेस्ट्स का सवाल है वह यह है कि २ टर्म्स से ज्यादा किसी भी संस्था का कोई डायरेक्टर नहीं हो सकता और उस में यह भी है कि कहीं पर कोई समिति हो तो उसके क्षेत्र के अन्दर अगर कोई सदस्य कोई ऐसा काम करता है जिस को कि वह समिति भी करती है तो वह भी उस समिति का डायरेक्टर नहीं हो सकता।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लक्ष्मी शंकर यादव]

इसी तरह से जहां तक शासकीयकरण का सवाल है, इसके पहले का जो कानून था हर शीर्षस्थ संस्था में आफिसर ही यानी विभाग का रजिस्ट्रार ही अध्यक्ष होता था और दूसरी संस्थाओं का अध्यक्ष जिलाधीश हुआ करता था । लेकिन अब इस नये कानून से कोई सरकारी अधिकारी किसी भी सहकारी संस्था का अध्यक्ष नहीं हो सकता । कुछ जगह बाकी हैं वर्ना शीर्षस्थ संस्थाओं के चुनाव हो चुके हैं । और सभी में गैरसरकारी लोग उसके अध्यक्ष हैं और एक बात चलती है चुनाव के सिलसिले की और अब कोई कोआपरेटिव विभाग से चुनाव नहीं होता । सारे अख्तियार जिलाधीश को हैं । यही नहीं चुनाव का जो झगड़ा होता है उसमें भी कोआपरेटिव विभाग का कोई आदमी या कोई अफसर उसका फैसला नहीं करता बल्कि उसका फैसला जिलाधीश महोदय करते हैं । साथ ही जितने भी नीचे से सवाल आते हैं, यह सही है, उनकी अपील होती है रजिस्ट्रार के यहां लेकिन ऐक्ट में प्राविधान है कि उनके ऊपर न्यायाधिकरण बनाया जाय, जो बन गया है। अब जो रजिस्ट्रार का फैसला होगा उसकी भी अपील ट्रिब्यूनल में हो सकेगी । इसलिये इन तमाम चीजों से अब यह कह सकते हैं कि जिन चीजों की ज्यादा चर्चा होती है उन तमाम चीजों पर काफी सुधार हो चुका है ।

दूसरी बात जिसकी तरफ में माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह यह है कि अब तक इन संस्थाओं से जो भी ऋण किसान को दिया जाता था वह हैसियत के हिसाब से होता था । लेकिन आज अब शासन का इस तरह का इरादा है और किसी को जिसमें उत्पादन शक्ति है उसकी उत्पादन शक्ति के हिसाब से उसे ऋण दिया जा सके । इसकी तरफ मैं विस्तार से न कहकर इशारतन कहना चाहता हूं कि पहले भूमि विकास बैंक के जरिये लोगों की जमीनें बंधक रखकर कर्ज दिया जाता था । जो पहले नियम था वह यह था । भूमिधरी के लिये भूमिधरी का जो लगान होगा उसके चार सौ गुने पर जितनी कीमत आयेगी उसका पचास फी सदी ही केवल किसानों को कर्जे के रूप में मिल सकेगा । सीरदारी के लिये तो लगान का दो सौ गुना और उसका केवल चालीस प्रतिशत ही किसान को मिल सकता था । अगर किसी के पास कम खेत हैं या छोटा काश्तकार है उतने में इस हिसाब से अगर वह उस अपनी योजना को लगा न सके तो इसके माने उसको इसका फायदा नहीं होता था । पहली जो चीज इसमें की है वह यह कि जिससे और छोटे काश्तकारों को लाभ हो सकेगा । वह यह हुई कि चार सौ गुने से उसको बढ़ाकर ५३३ गुना कर दिया गया भूमिधरी और सीरदारी दोनों में । और दोनों में अगर किसी छोटे काश्तकार को पचास फी सदी करने में भी उसके पास इतना रुपया नहीं होता कि उसकी योजना में लग सके तो सरकार की तरफ से गारन्टी है कि ७५ फीसदी दिया जा सके ।

अगर उससे भी किसान सफल नहीं हुआ तो एक दूसरी चीज भी चलाई गई है। जो छोटे काश्तकार हों वे सब इकट्ठे मिलकर जिस काम को करना चाहें, पंपिंग सेट हो या चाहे कुछ भी हो वे अपनी जमीन को बंधक रख कर ले सकें जिसे संयुक्त ऋण योजना कहा जाता है । इस योजना से जो छोटे-छोटे काश्तकार हैं वे भी ऋण पा सकते हैं और उससे चाहे वे पंपिंग सेट्स लगा सकते हैं, चाहे छोटे ट्रैक्टर्स खरीद सकते हैं और उससे लाभ उठा सकते हैं । साथ ही अल्पकालिक ऋण में भी यह व्यवस्था की गयी है कि गन्ने के लिये ५०० रुपये प्रति एकड़ तथा दूसरी फसलों के लिये २५० रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से ऋण मिल सकता है । यह रकम पहले १,५०० तक मिल मिल सकती थी, अब उसकी लिमिट को बढ़ा कर ५ हजार तक कर दिया गया है तथा जिले के अफसर की सफारिश पर यह ऋण १० हजार तक स्वीकृत किया जा सकता है ।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

यह पिछले बजट की बहुत पुरानी बातें कह रहे हैं, कोई नयी बात कहें ।

श्री लक्ष्मीशंकर यादव––

आप कृपया सुनिये सब बता रहा हूं । संयुक्त ऋण योजना जो हमने शुरू की है वह पहले नहीं थी । इस योजना के अन्तर्गत १९६७-६८ में छोटे काश्तकारों के ७२ मामले आये जिनको ४६,२९,००० रुपये दिये गये । १९६८-६९ में १९५१ मामले थे जिनको १,१७,०६,००० रुपये संयुक्त ऋण द्वारा दिये गये । १९६७-६८ में २,३१६ आदमियों को तथा १९६८-६९ में ५८५३ आदमियों को इसका लाभ हुआ । इसके अलावा भूमि विकास बैंक योजना द्वारा ६१ करोड़ २६ लाख रुपया बांटा गया । इसमें ९ करोड़ ६ लाख रुपया ३ एकड़ से कम जोत वाले काश्तकारों को दिया गया । १३ करोड़ २१ लाख रुपया ३–५ एकड़ तक के किसानों को दिया गया । जितना रुपया इस योजना के अन्तर्गत बैंक द्वारा दिया गया उसका ३६ प्रतिशत रुपया ५ एकड़ तक के किसानों को दिया गया है ।

भ्रष्टाचार की बात कही गयी । उपाध्यक्ष महोदय यू० पी० कोआपरेटिव बैंक द्वारा करीब ८० करोड़ रुपया बांटा जाता है । इस बैंक से रुपया जिला बैंक को जाता है, वहां से प्रारम्भिक समितियों को जाता है और फिर वापस भी इसी प्रकार होता है। इतने बड़े लेनदेन में कुछ न कुछ गड़बड़ी या गोलमाल हो ही जाती है । सहकारी समितियों का कारोबार इस समय, उपाध्यक्ष महोदय, ९० ३४८ करोड़ ५० लाख के करीब है । इसमें आप देखें कि १२ लाख का गबन है । यह जाकर ०.०३४ प्रतिशत यानी एक हजार में ३४ पैसे के बराबर पड़ता है । जो यह गबन हुआ है उसके लिये हम उचित कार्यवाही कर भी रहे हैं । इसमें काफी वसूल हो भी जायेगा । मगर फिर भी यह दुख की बात है, यह जितना भी हुआ । वह भी नहीं होना चाहिये ।

श्री रामदेव (जिला प्रतापगढ़)––

यह जो गबन मंत्री जी ने बताया वह समूचे उत्तर प्रदेश का है या कुछ जिलों का है ? जिन जिलों में गबन हुआ है, किन्तु वहां पर आपके विभाग ने या आपने जांच ही नहीं किया है, क्या उसके भी आंकड़े हैं आपके पास ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव––

यह समूचे उत्तर प्रदेश का है । उसके लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं । एक तो यह है कि कोशिश की गई है कि कुछ ब्लाकों को लेकर वहां जितना स्टाफ है उसके जरिए से किया जाए । हर कमिश्नरी में एक जिले का एक ब्लाक लिया गया था और उसका शत-प्रतिशत सत्यापन अर्थात् वेरीफिकेशन किया गया था । उससे कुछ चीजें निकली हैं । योजना चल रही है, कोशिश यह है कि उस योजना को और आगे बढ़ाया जाए, उसमें कुछ और लोग लग सकें तो अच्छा रहे । इतने लोग हो सकें कि हर जिले में योजना चल सके तो जितने हमारे मामले दबे पड़े हैं, वे सामने आ सकेंगे और उन पर कार्यवाही हो सकेगी । उस पर ऐसा प्रयास हो रहा है और साथ ही यह भी है बहुत गबन अक्सर इस तरह से हुआ करता था, जैसा सभी माननीय सदस्यों को मालूम है, कि किसी भी प्रारम्भिक समिति में प्रस्ताव पास हो जाता था, जो किसान कर्जा लेने वाला होता था, उसकी दरख्वास्तें आती थीं, दो आदमी अथोराइज्ड हो जाते थे कि जिला बैंक में जाकर रुपया लावें । वह लौटकर आएं, किन्तु यदि वे किसान को रुपया नहीं देते थे तो उसका मतलब यह होता था कि उन्होंने रुपये का गबन कर लिया ।

कभी-कभी यह भी देखा गया कि जितने लोगों का प्रस्ताव यह रहा, उसके अलावा भी कुछ लोगों का नाम वह बाद में बढ़ा लेते थे और उनका भी रुपया जिला बैंक से वे ले लेते थे । इसके लिए यह सोचा गया है कि हर सदस्य को चेक के द्वारा रुपया दिया जाएगा वह इस तरह से

[श्री लक्ष्मीशंकर यादव]

सोसाइटी के नजदीक जो ब्रांच बैंक की होगी, उसमें उसका हिसाब होगा और जिसकी दरख्वास्त आवेगी कर्ज के लिए वह बजाए इसके कि जिले में जाए, हर व्यक्ति को वह वहां की चेक दे देंगे और वह बैंक से चेक भुनाकर पैसा प्राप्त कर लेगा। उनको शिनाख्त आदि कराने में भी अब दिक्कत नहीं है। इसके लिए सोचा गया कि हर सदस्य की दो फोटू होंगी, एक बैंक में होगी और एक उसकी फोटू उसके पासबुक में होगी। साथ ही उनके दस्तखत या निशानी अंगूठा भी बैंक में भी रहेगा और पास-बुक में भी रहेगा। इस तरह से उनकी दिक्कतें भी समाप्त हो जाएंगी और गबन व भ्रष्टाचारी भी सम्भावना नहीं रहेगी।

हमारे प्रदेश में जितनी शाखाएं हैं-जिला कोआपरेटिव बैंक की वे १६१ हैं और ५५ हमारे जिला बैंक हैं, उनके साथ भी शाखाएं लगी हुई हैं। जहां तक जगह का सवाल है, केवल २१६ जगहों पर हमारे बैंक्स हैं, जहां पर चेकों के जरिए लोग जाकर पैसा भुना सकते हैं। ये, इतने बड़े सूबे के हिसाब से कम हैं, इसमें कोई शक नहीं है। १० शाखाएं हम और खोलने जा रहे हैं, वे मिलकर भी इस चेक योजना को चलाने के लिये नाकाफी होंगी। इसलिये हम प्रयत्न कर रहे हैं कि जितना अधिक से अधिक हो सके हम शाखाएं खोलें।

मैं यह भी मानता हूं कि अगर किसी काश्तकार को थोड़ी दूर जाकर भी अपना पैसा मिल जाए तो---जहां किसी का मूल ही गायब हो जाता है उसको दो चार रुपये खर्च करके पैसा मिल जाता है तो हित ही है। लेकिन अगर बहुत कम शाखाएं होंगी तो बहुत दूर तक जाना मुश्किल होगा। इसके लिये प्रयत्न किया जा रहा है, चूंकि शाखाएं कम हैं इसलिए बता नहीं सकते कि किन जिलों की कितनी सोसाइटियों में हम लागू करेंगे। वैसे इरादा है कि जितनी सोसाइटियों में हम कर सकें उतनी जगहों पर करें। जिले-जिले में बैंक हैं वहां शाखा लागू कर देंगे। लेकिन जिस जिले में बैंक की शाखा कम हैं वहां दिक्कत होगी। उसका निश्चय किया जायगा कि बैंक के कितने मील के रेडियस में जो सोसाइटी पड़ती हों उनके लिए हो, वह चेक के जरिये कर्जा ले सकें। ऐसा सोचा गया है। जो इस तरह के गबन हो जाया करते थे उनके गबन की गुंजायश नहीं रह जायगी। सवाल यह पैदा होता है कि आज से जो कर्ज दिया जायगा उसमें चेक के जरिये देकर सही है कि हम गबन रोक सकेंगे। लेकिन जो तमाम पुराने मामले पड़े हुए हैं उनका भी सवाल है। एक तो विभागीय कर्मचारियों की एक टीम बना कर ब्लाक में सोसाइटी के हर मेम्बर के पास जायेंगे और सेंट परसेंट वेरीफिकेशन कर रहे हैं। लेकिन साथ ही जितने मामले हुए, पुलिस के पास रिपोर्ट लिखायी गयी, ७८६ एफ० आई० आर० लाज हैं, उनमें ४५० तीन साल से पुरानी हैं लेकिन आज तक कार्यवाही नहीं हो सकी। इतने दिनों से कोई कार्यवाही न हो, दिन बीत जाने पर कार्यवाही होती है तो नतीजा यह होता है कि उस मुकदमें का साबित होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस लिए इस पर यह विचार हो रहा था, ऐसी योजना सोची जा रही है और की जायगी कोई विशेष प्रकार की कोई पुलिस लगायी जाय जो कि इस कार्य को करे।

जितने मामले आज तक पड़े हैं सबका पूरा इनवेस्टीगेशन कर सकें। तफतीश करने के बाद अदालत में भेज कर उस पर फैसला हो जायगा। जितने मामले पड़े हैं उनमें बहुतों का इस तरह से निपटारा हो जायगा और आगे चेक के जरिये दिया जायगा जिससे कोई गबन नहीं हो सकेगा। ऐसी उम्मीद है। वैसे तो विस्तार से इस किताब में दिया हुआ है लेकिन एक और चर्चा हुआ करती है उपभोक्ता आन्दोलन के बारे में। हमारे यहां सारे सूबे में ४८ कंज्युमर स्टोर्स हैं और पांच विभागीय भंडार हैं जिनको सुपर मार्केट कहते हैं। १९६२ में जब चीन का आक्रमण हुआ तो यह हुआ कि लोगों को सामन नहीं मिल सकेगा, या ज्यादा दामों पर मिलेगा इसलिए सरकार ने कंज्युमर मूवमेंट को चलाया था और हमारे इतने कंज्युमर स्टोर्स या सुपरमार्केट कायम किये गये आज उनकी हालत यह कहूंगा अच्छी नहीं है।

करीब दो तीन साल पहले, स्टोर या विभागीय भंडार घाटे पर चल रहे थे। उसके कारण ये हैं। एक तो चीजों के दाम बहुत गिरे। दूसरे जितनेलोग काम करने के लिये भेजे गये, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि उनमें जानकारी नहीं थी। जानकारी न होने से, चीजों के भाव गिर जाने से काफी नुकसान हुआ क्योंकि स्टाक काफी जमा कर लिया था इस खयाल से कि मुनाफा होगा। अब किसी में घाटा और किसी में लाभ हुआ लेकिन अब सभी में सुधार हो रहा है खास तौर से ५ सुपर मार्केट्स में जहां हालत बहुत खराब थी उनमें भी सुधार हो रहा है।

कानपुर में ऐसी आशा करते हैं कि जरूर मुनाफा होगा। देहरादून व मेरठ में भी सुधार हुआ है और आशा की जाती है कि इन दोनों में भी मुनाफा हो जाय और अगर घाटा होगा तो बहुत कम होगा। इलाहाबाद की हालत अच्छी नहीं थी लेकिन वहां हालत सुधर रही है। पहले से कुछ न कुछ सुधार हुआ। इतनी बात जरूर है जिस नीयत से और जो सोच कर सरकार ने इस आन्दोलन को चलाया था उसमें अवश्य कुछ सफलता मिली। मुख्य बात यह थी कि लोगों को सामान मिल सके, दाम ज्यादा न देने पड़ें। यह ठीक है कि ये मुनाफे पर नहीं चलते ज्यादा मुनाफा न सही कम ही हो लेकिन अगर नहीं होता है तो एक न एक दिन ये जरूर बैठ जायेंगे और जिस नीयत से काम किया गया है वह पूरा नहीं हो सकेगा। मुनाफा तो होना ही चाहिये लेकिन फिर भी इतना अवश्य है कि आज हमारे कंज्यूमर मूवमेंट की हालत ऐसी होते हुए भी इतना काम यह आन्दोलन कर रहा है कि दाम नहीं बढ़ने पाते या कोई सामान दब नहीं पाता। कोई भी अगर सामान कहीं लेना चाहे तो उससे दाम बढ़ा कर नहीं लिये जायेंगे और न वह यह सोचेगा कि सामान दबा लिया जाय क्योंकि दूकानदार को यह डर लगा रहता है कि अगर ग्राहक वापस हो गया तो यह जाकर सुपर मार्केट से ले लेगा। इतना काम तो वह कर ही रहा है। हां, मुनाफा होने पर ही हम इसे आगे चला सकेंगे और उसके लिये प्रयत्न भी कर रहे हैं और उस ओर हम बढ़ रहे हैं।

एक और चीजो में निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि पार साल एफ० सी० आई० ने गल्ला खरीदने का काम पी० सी० एफ० को हमारे प्रदेश को दिया था और उसका कारण यह था कि गल्ला खरीदा जाय ताकि किसानों के गल्ले के दाम गिरने न पायें और अच्छी कीमत उनको मिल सके। इस साल भी यह काम पी० सी० एफ० को दिया गया है। इस साल यह टार्गेट ७५ हजार टन है। इस काम के लिये २७३ बीज गोदाम, १७१ क्रय-विक्रय समितियां तथा २ जिला फेडरेशन कर रहे हैं और अब तक ३० हजार टन गल्ला खरीदा जा चुका है। पारसाल भी इस काम में काफी सफलता मिली, किसानों को इससे लाभ हुआ और इस साल भी उम्मीद है कि ३० हजार टन के ऊपर गल्ला खरीदा जा सकेगा।

दूसरी बात जो मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं वह यह है और जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया कि छोटे काश्तकारों की तरफ आज ज्यादा ध्यान दिया जाता है। सिंचाई के साधनों को जुटाने के लिये मैंने निवेदन किया कि छोटे से छोटा काश्तकार भी उसका लाभ उठा सकता है और इसके कार्य के लक्ष्य को भी काफी बढ़ाया जा रहा है। १९६९–७० में इसके लिये २० करोड़ रुपये का लक्ष्य था और अबतक कोई ६१ करोड़ २६ लाख रुपये लघु सिंचाई योजना में खर्च हो चुके हैं। १९७०–७१ में ७० करोड़ रुपया बांटने का लक्ष्य है जिससे अनुमानतः लगभग ३० हजार ट्यूबवेल, २२ हजार पंपिंग सेट, २० हजार रहट और ३५ हजार कुयें लगाने की योजना है और साथ ही १२०० ट्रैक्टर भी इस योजना के अन्तर्गत खरीदे जायेंगे।

इस तरह से आप देखेंगे कि जहां तक सिंचाई का सवाल है लघु सिंचाई योजना में भूमि विकास बैंक की तरफ से प्रदेश में काफी काम हो रहा है और खास तौर से प्रदेश के ४२ जिलों में एकाधिकार है। इन ४२ जिलों के लघु सिंचाई के जितने भी कार्य हैं वे सभी भूमि विकास बैंक द्वारा किये जायेंगे। साथ ही आगे भी चौथी पंच वर्षीय योजना में इन कार्यों के लिये

[श्री लक्ष्मीशंकर यादव]

जो टार्गेट रखा गया है वह १४० करोड़ रुपया ऋण के रूप में है। ऐसे ही जो और भी कर्जे हैं जो अल्पकालिक या फसली हैं उनमें ७५ करोड़ का लक्ष्य है और मीडियम ऋण का लक्ष्य १० करोड़ रुपये का है।

छोटे काश्तकार या जिनके पास कोई भी भूमि नहीं है उनको भी सहकारिता आन्दोलन से लाभ होगा। इसका प्रयत्न किया गया है कि इसके जरिये से हमारे गांवों में जो भूमिहीन हैं या बहुत थोड़ी जमीन वाले हैं जिनको कि गांवों में कुछ काम नहीं मिलता है कस्बों और शहरों में रिक्शा चलाते हैं तथा जो पैसे वाले होते हैं वे रिक्शा खरीदकर इन लोगों को किराये पर देते हैं इसको समाप्त करने के लिये अब सहकारी संस्थाओं की तरफ से पैसा या रिक्शा खरीदकर दिया जायेगा और उनसे थोड़ा-थोड़ा करके लेकर थोड़े ही समय में ये रिक्शापुलर्स उस रिक्शे के मालिक हो जायेंगे। इस प्रकार की हमारे प्रदेश में ८ समितियां बन चुकी हैं। यह एक नई योजना शुरू की गई है और सारे प्रदेश में इन समितियों को खोलने की कोशिश हो रही है। जहां इन लोगों को रिक्शे का किराया देना पड़ता है वहां इस प्रकार की समितियों के सदस्य बनकर रिक्शा लेकर अपनी कमाई का लाभ उठा सकते हैं। (व्यवधान) किन्तु यह सोचा गया कि उनको सुविधायें मिलनी चाहिए।

मैंने तो यहां तक सुना है कि यदि यहां पर एक आदमी १०० रिक्शों के लिए आता है और उसे इनको २४ घंटे की जरूरत है तो उसे एक रिक्शे का २४ घंटे के हिसाब से ४ रु० देना पड़ता है। हो सकता है कहीं कम भी हो, और यह भी हो सकता है कि कहीं इससे भी ज्यादा हो। जो पुराने रिक्शे होंगे उनका कम होगा और जो नये होंगे उनका ज्यादा होगा। तो इस प्रकार १०० रिक्शों के २४ घंटे का किराया १२० रुपया वह एक दिन में कमा लेता है और उसे रिक्शे का पूरा-पूरा दाम मिल जाता है।

एक तरफ तो एक पैसे वाला है जिसने १०० रिक्शे रख लिये हैं, उसको तो ४०० रुपये रोज बैठे हुए मिले और दूसरी तरफ एक रिक्शे वाला है और जो चौबीस घंटे के लिये रिक्शा किराये पर लिये हुए है, पहले तो इसकी जान इसी चिन्ता में लगी रहेगी कि ४ रुपये पैदा करके मालिक को देना है और फिर ४ रुपये अपने खाने-पीने के लिये कमाने जिससे रिक्शा को चला सके और इस तरह से ८ रुपये का इन्तजाम यह कर लेगा तब उसका ध्यान अपनी बीबी बच्चों की तरफ जायेगा जो उसके घरों में पड़े हुए हैं। मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ा शोषण है और इस सम्बन्ध में जितना किया जा सके उतना करना चाहिये।

यह नहीं, हमारे जितने सहकारी बैंक हैं और दूसरे बैंक हैं—जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, वे ११ जिले लिये हैं जिनमें हमारी समितियों को कर्ज देंगे। उनको यह भी कार्य करना चाहिये और जितनी उनकी सहायता की जा सके करनी चाहिये ताकि ज्यादा से ज्यादा रिक्शा समितियां बन सकें और रिक्शे खरीद सकें। यह जरूर है कि जितना आगे रास्ता बनायेंगे, जिनकी दिलचस्पी के वह खिलाफ है, वे उसमें बाधक बनेंगे। लेकिन इस चीज को तमाम लोग सोच लें कि जब कोई बाधा नहीं होगी तभी आप गरीबों की मदद करने में सफल हो सकते हैं।

साथ ही मैं बुलन्दशहर का कुछ जिक्र कर देना चाहता हूं, विस्तार में नहीं जा सकता हूं। बुलन्दशहर जिले में कपास ज्यादा पैदा होता है। वहां के काश्तकारों को ज्यादा लाभ हो सके इसके लिये वहां एक स्पीनिंग मिल खोलने की योजना है। वह करीब-करीब बन कर तैयार है। वैसे तो उसमें २५ हजार तकुए लगाने की योजना है लेकिन अभी पैसे की कमी है तो पहले ७,५०० तकुए ही लगाये जायेंगे और उसे बहुत जल्दी ही प्रारम्भ करा देने का इरादा है। साथ ही हमारे फेडरेशन ने बदायूं में एक वनस्पति तेल की फैक्टरी खोली है। उसमें जहां तक तेल निकालने का प्रश्न है, वह करीब करीब शुरू है।

ऐसे ही दूध बांटने के लिये जितनी मिल्क यूनियन की डेरीज हैं, उनमें सब से बड़ी कानपुर की डेरी है। मैं मानता हूं कि कानपुर में भी जिस हिसाब से हालत है, पिछले कुछ महीने पीछे उसमें काफी घाटा हो गया। मई १४ नवम्बर से उसमें शुरुआत हुई। जब से वह चली और दूध इकट्ठा करने व उसके बांटने का कार्य शुरू हुआ। आज वहां १२ हजार लिटर दूध बांटा जा रहा है। ऐसे ५० हजार लिटर दूध प्रतिदिन बांटने का इरादा है लेकिन जो प्लांट लगा है वह काफी बड़ा है जिससे करीब डेढ़ लाख लिटर दूध प्रति दिन कानपुर शहर में बांटा जायेगा। जब यह योजना पूरी हो जायेगी तब यह सम्भव होगा। मेरी तरफ से ऐसा प्रयत्न किया जा रहा है कि हम ५० हजार लिटर दूध प्रति दिन बांटने की क्षमता तक पहुंच सकें जिससे घाटा का जो सवाल है वह समाप्त हो जाय।

दूसरी जो दूध की योजनायें हैं, कई नयी है––मथुरा में, देहरादून में, हल्द्वानी में, ये बननी थीं और शुरू हो गयी हैं। हल्द्वानी में विस्तार भी हो रहा है और गोरखपुर में भी मेरा ऐसा अन्दाजा है, उसके चेयरमैन साहब भी यहीं रहे, वह बहुत जल्दी प्रारम्भ हो जायेगा। और एक बरेली में है। साथ ही जो बन रही हैं उनके अलावा चौथी पंचवर्षीय योजना में एक योजना फैजाबाद के लिये रखी गयी है जिस पर ५० हजार रुपया खर्च होगा। उसकी सर्वे का कार्य चल रहा है। जब वह समाप्त हो जायगा, आगे की कार्यवाही की जायगी।

साल भर से ज्यादा हो गयी एक चर्चा और चल रही है। एक आन्दोलन सा बन गया है। सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि हमारे यहां के सुपरवाइजर्स ने एक आन्दोलन चलाया कि उन को सरकारी कर्मचारी मान लिया जाय। बहुत से रिप्रेन्जेन्टेशन्स दिये गये। मैं अभी पूरी तरह से कह तो नहीं सकता कि उसकी अन्तिम शकल क्या होगा लेकिन उस पर विचार किया जा रहा है और अगर कोई खास दिक्कत और कहीं से नहीं आ गयी तो उनका सरकारीकरण हो सकेगा। टाइम के बारे में मैं अभी नहीं बता सकता। यह तो मने पहले ही निवेदन कर दिया कि बहुत से इम्प्लीकेशन्स होते हैं, फाइनेंशियल वगैरा, उन तमाम चीजों पर विचार करके उसको अन्तिम शक्ल दी जायगी। और उसके बाद पैसे का भी इन्तजाम किया जायगा।

बकाया का भी एक बहुत बड़ा सवाल है। उसके लिये यह सोचा जा रहा है कि रिकवरी आफीसर्स बनाये जायं और उन को स्टाफ दिया जाय, अमीन वगैरा जो तेजी से रिकवरी का कार्य कर सकें।

जो स्कीम जिनसे किसानों को लाभ नहीं हो रहा है, या उनको पैसा नहीं मिलता, उन तमाम की रोक के लिये चैक लाला सिस्टम जारी किया जा रहा है। पुराना पैसा जो फंस पड़ा है या बहुत सी ऐसी समितियां हैं जो कार्य नहीं कर रही हैं उनके लिये कर्मचारियों को एक टीम नियत की जा रही है जो उनका वेरीफिकेशन करेगी जो मामले पड़े हैं उनको विशेष पुलिस के द्वारा उनकी तफतीश करायी जायगी। इस विभाग में सब से ज्यादा भ्रष्टाचार की बात कही जाती है, यद्यपि इतना वहां है नहीं। फिर भी उस पर रोक लगाये जाने की कार्यवाही की जा रही है। मैं समझता हूं कि इसमें माननीय सदस्य हमारा सहयोग देंगे, उससे हमारे प्रदेश को लाभ होगा।

श्री कृष्णानन्दराय (जिला गाजीपुर)

श्रीमन्, एक जानकारी माननीय मन्त्री जी वे दें कि थोड़े से सरकारी कर्मचारियों द्वारा जो भ्रष्ट आचरण किया जाता है और उसमें लखनऊ के बड़े लोगों का भी हाथ रहता है, मैं उसका एक उदाहरण देना चाहता हूं। गाजीपुर जिले में दुद्धी एक कोआपरेटिव फेडरेशन है जो कि बहुत अच्छी हालत में चल रहा है। न उसमें कोई चोरी है न गबन और वह आदवासियों का संघ है जो आदिवासियों ने आर्गेनाइज किया है। उस संघ के मन्त्री एक आदरणीय विधायक हैं––माननीय राम प्यारे जी। वह भी उसी वर्ग से हैं और उत्तर प्रदेश की विधान सभा में

[श्री कृष्णानन्द राय]

अपने वर्ग के अकेले विधायक हैं। जब से माननीय मन्त्री जी ने चार्ज लिया उसके बाद उन्हीं के जिले के एक माता प्रसाद असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं मिर्जापुर आये और पता नहीं इनके इशारे पर या लखनऊ के किसी इशारे पर दूधी सहकारी संघ को सुपरसीड कर दिया और एक आदमी के कब्जे में दे दिया और राम प्यारे जी को सेक्रेटरीशिप से हटा दिया और जौनपुर के रामअवध सिंह को जो माल मंत्री से संबंधित हैं सेक्रेटरी बनाने जा रहे हैं। हम लोगों को बड़ी तकलीफ है कि इस प्रकार पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन किया जाता है माननीय मंत्री जी के इशारे पर और और सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट आचरण करते हैं और सारा पैसा खाने का प्रबन्ध करते हैं। क्या माननीय मन्त्री जी इस सारे केस का पता लगायेंगे कि माननीय राम प्यारे जी को क्यों सेक्रेटरीशिप से हटाया गया और दूधी सहकारी फेडरेशन को क्यों सुपरसीड किया गया और आप ही के जिले के ए० आर० को वहां भेजने का क्या कारण है?

श्री उपाध्यक्ष—

इसका अगर मंत्री जी जवाब दे देंगे तो क्या आप की तरफ से आश्वासन होगा कि फिर इस को नहीं उठायेंगे ?

श्री विश्वनाथ कपूर—

हम लोग नहीं उठायेंगे अगर आश्वासन दे दें।

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

पहली बात तो यह है कि जिस बात को उन्होंने रखा वह हमारे सामने की है नहीं। जहां तक ए० आर० का सवाल है, यह सही है कि वह हमारे जिले के रहने वाले हैं। राम अवध सिंह कौन है, मैं उनको जानता नहीं। उन्होंने कहा कि मुझसे सम्बन्धित हैं मैं जानता भी नहीं कि वह कौन हैं ? साथ ही मेरे आने के पहले यह सारा मामला हो चुका था। इसके अलावा, मौजूदा अधिनियम के पहले सेक्रेटरी आपरेटरी हो जाया करते थे संस्थाओं में। लेकिन अब अधिनियम यह है कि जो वहां का बोर्ड होता है उसको अख्तियार होता है पेड सेक्रेटरी मुकर्रर करने का। रजिस्ट्रार केवल उसकी स्वीकृति दे सकता है उन बातों को देख कर जो किसी के सेक्रेटरी होने के लिये नियत की गयी हैं। लेकिन वैसे मैं सारी चीजों का पता लगाऊंगा कि कैसे सुपरसीड हुआ और क्या हुआ ? इसका मैं पूरा आश्वासन देता हूं कि जरूर पता लगाऊंगा।

श्री कृष्णानन्द राय—

मैं यह मानता हूं कि नियमों के अनुसार बोर्ड आफ डायरेक्टर्स को अधिकार है सेक्रेटरी नियुक्त करने का। लेकिन जब आप बोर्ड आफ डायरेक्टर्स को सुपरसीड करके एक आदमी के हाथ में दे दें और फिर सेक्रेटरी को निकलवा दें तो यह गलत चीज हो जायेगी .....

श्री उपाध्यक्ष—

यह बहुत व्यक्तिगत हो जाता है।

श्री विश्वनाथ कपूर—

इनको बोर्ड ने ही सेक्रेटरी बनाया था।

श्री उपाध्यक्ष—

अपनी बात आप कह चुके। मैं समझता हूं कि मंत्री जी ने उस पर इतना कहा है कि अकस्मात अगर कोई सवाल उठा दें तो मैं उसे काफी समझता हूं।

*श्री सतीश चन्द्र (जिला एटा)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २४-सहकारिता के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(श्री कृष्णानन्द राय तथा श्री वंशीधर पांडेय ने सदन त्याग किया।)

श्री लक्ष्मीशंकर यादव--

मैंने पहले ही कह दिया कि मैं सारी चीजों का पता लगाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष--

आप कहते हैं, लेकिन सुनते नहीं हैं। आंख वही देखती है जो दिमाग दिखाता है और दिमाग वही दिखाता है जो उसमें है।

श्री सतीश चन्द्र--

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक सहकारिता की भावना का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि सदन का कोई भी सदस्य इस बात से असहमत नहीं होगा कि सहकारिता प्रदेश के उत्थान के लिए बहुत आवश्यक चीज है। लेकिन जिस तरह से कार्य किये जाते हैं और वह जिस तरह से अपने-अपने राजनीतिक लाभ के लिए अथवा व्यक्तिगत लाभ के लिए लोग काम करते हैं उससे वातावरण इतना दूषित हो जाता है और भ्रष्टाचार इतना बढ़ जाता है कि उसको दूर करना असंभव हो जाता है। जो जहां तक सिद्धान्त का सवाल है सहकारिता आनी चाहिए, कुछ बातों में इससे बहुत लाभ हो सकता है और सहकारिता के सिद्धान्त के अनुसार और छोटे किसान के लिए और छोटे और गरीब आदमियों के लिए सहकारिता की भावनाओं को जगाकर उनको कोआपरेशन से काम करने की आदत लेकर हम काम करें तो निश्चय ही सब का हित हो सकता है, लेकिन जिस तरह की बातें चल रही हैं उनसे कहना पड़ेगा कि बहुत सी बातें गलत हैं। यद्यपि मंत्री जी ने जो बातें बताई हैं और कई सुझाव ऐसे रखे हैं जिन से भ्रष्टाचार को समाप्त करने की कोशिश की गयी है, उसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहूंगा कि रिक्शा वालों के लिये और सुपरवाइजरों के लिए मंत्री जी ने जरूर रखा है, उसके लिए मैं उन्हें बधाई दे सकता हूं किन्तु जब तक पूरा भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होता और कार्य अच्छी तरह से नहीं चलता तब तक पूरी जिम्मेदारी आपकी है। इन सब कमियों को दूर किया जाय।

"Committee on Co-operative Credit."

जहां तक सहकारिता के उद्देश्य का सवाल है श्री बी० एल० मेहता की अध्यक्षता में एक १९५९ में बनी और जून, १९६० में भारत सरकार ने यह डायरेक्शन ईश्यू की थी--

"In organizing village societies, the aim should be to ensure viability with the inclusoin of the smallest number of villages necessary, so that the Co-operative Society achieves both viability and the essential characteristics of co-operation, namely voluntary basis, close contact, social cohesion, and mutual obligation."

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)--

इसको हिन्दी कर दीजिये।

श्री सतीश चन्द्र--

जहां तक भावनाओं का प्रश्न है वह समझा दिया जायगा जहां तक "वालंटरी बेसिस" का संबंध है तो जहां तक प्रैक्टिकल रूप इसका आता है तो हमारी समितियों में सहकारिता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सतीशचन्द्र]

के जितने भी अंग हैं उनमें देखा जाता है कि किसान अभी तक इतना शिक्षित नहीं हुआ है, उसको अभी तक नहीं बताया गया है, अथवा उसमें अन्तःप्रेरणा से सहकारिता के लिए काम करने के लिए उसके अन्दर भावना पैदा नहीं हुई है। तो जहां तक सिद्धान्तों का प्रश्न है, यह वालंटरी बेसिस पर काम करे, ऐसी बात नहीं है। सुपरवाइजर गवर्नमेंट की योजना है, इस हैसियत से जाते हैं और जब स्वार्थ सामने आता है, किसान को लगता है कि हमें बीज और खाद मिल जायगा, और सहूलियतें मिल जायंगी तो वह चला जाता है। और मेम्बरशिप का रुपया भी वह स्वार्थ के लिए जमा करता है, अन्तःप्रेरणा से जमा नहीं करता है। इसलिए इन भावनाओं को जगाने की जरूरत है। इसलिए अन्तःप्रेरणा जब तक किसान की जाग्रत नहीं होगी तब तक सहयोगी सहकारिता का सिद्धान्त सफल नहीं होगा।

क्लोज कंटेक्ट का जहां तक सवाल है, जब तक एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना नहीं होगी तब तक यह नहीं हो सकता है। अब तक हम इस भावना में शून्य हैं। हम सदन के बहुत जिम्मेदार सदस्य हैं और समाज की पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है इसलिए हमारी जिम्मेदारी के हिसाब से और समाज के हित की दृष्टि से कार्य होना चाहिये, तब यह सहकारिता आगे बढ़ सकती है। आखिरी चीज है म्युचुअल कोआपरेशन की। यह भी नहीं हो रहा है। जो चार बातें भारत सरकार ने कही हैं वे शून्य की स्थिति में हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो डाइरेक्टिव भारत सरकार ने इशू किये हैं उनको ध्यान में रखते हुए जनता के कल्याण के लिये उनका अधिक से अधिक प्रसार किया जाय तब कल्याण हो सकता है।

जहां तक समितियों के कार्य करने का सवाल है, इसमें भी सुधार की आवश्यकता है।

जहां तक सहकारी ऋण एवं बैंकिंग की योजना का सवाल है, हम सभी जानते हैं कि इनसे देशवासियों का हित हुआ है, लेकिन उनमें इतने ऐब आ गये हैं जिसके कारण हित के बजाय अहित हो रहा है। जो रुपया किसान लेने के लिये जाता है, सुपरवाइजर, बैंक का मैनेजर और उसके डाइरेक्टर उसमें से लगभग २० प्रतिशत रुपया ले लेते हैं। यह सभी जानते हैं कि अगर कोई ५ हजार कर्ज लेता है तो उसको साढ़े तीन हजार ही मिल पाता है। डेढ़ हजार भ्रष्टाचार में चला जाता है। किसान को उस वक्त जरूरत होती है इसलिये उसको जो कुछ मिल जाता है वह उसको ले लेता है, परेशानी के कारण उसको समझ नहीं पाता है कि इसे उसको कभी वापस करना है। किसान तब चिल्लाना शुरू करता है जब उसको रुपया वापस करना पड़ता है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऋण और बैंकिंग के बारे में जो फर्जी आंकड़े चलते हैं, फर्जी अदायगी दिखाई जाती है, यह नहीं होने चाहिये। मई और जून के महीने में देखा जाय जब कलेक्शन का मौका आता है, अदायगी हो नहीं पाती है और फर्जी इन्ट्रीज हो जाती हैं। वहां के मैनेजर, कैशियर और डाइरेक्टर मिल कर अपना प्रतिशत तय करते हैं। कोई चीज न आती है और न जाती है। लेकिन कागजात में इन्ट्री पूरी हो जाती हैं।

यह बात प्रमाणित करती है कि हमारा काम ठीक ढंग से नहीं चल रहा है और जो रुपया हम बांटते हैं और जिसका ब्याज देना पड़ता है वह कभी भी वापस नहीं होता है लेकिन रिश्वत के रूप में जरूर बैंक के कर्मचारियों के पास चला जाता है और किसानों का कोई लाभ नहीं होता है। अलीगढ़ में एक सासनी समिति है। वहां आज तक कोई वार्षिक मीटिंग नहीं हुई है। वहां सरपंच और सेक्रेटरी के पास कागज रहते हैं और नाम लिखकर घर से दस्तखत करा लेते हैं और ट्रांसफर इंट्री करते हैं लेकिन किसी सदस्य को पता नहीं होता कि क्या हुआ, किसने रुपया जमा किया और कहां क्या हुआ? इन सब बातों से हो सकता है आगे चलकर सहकारी बैंक दिवालिया हो जायं और इस तरह से जनता का विश्वास टूट सकता है और किसानों को जिस भावना से ऋण दिया जाता है उससे वह लाभ न हो। सरपंच अपने संबंधी और दोस्तों के नाम से रुपया ले लेते हैं और अपने उपयोग में लाते हैं लेकिन सदस्यों को

नहीं बांटा जाता । गरीब और साधारण आदमी का दुबारा नम्बर नहीं आता कि उसको रुपया मिल सके।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सहकारी बैंकों का भ्रष्टाचार नहीं रोका गया और ऋण के बारे में और समितियों के बारे में जो फर्जी कार्यवाही होती है, उसको नहीं रोका गया तो सहकारिता की मूल भावना नष्ट हो जायगी और गरीब और किसान का कोई फायदा नहीं होगा। जहां तक किसानों का सवाल है श्रीमन्, उनको इस तरह से बंधन में जकड़ा जाता है कि वह परेशान हो जाता है और मजबूर होकर कह देता है कि ५० रु० कम मिल जाय लेकिन हम को रुपया मिल जाय। उनको खसरा खतौनी लाने के लिए कहा जाता है और जहां चकबन्दी होती है वहां तो उसको और परेशानी होती है। उसमें लगान नहीं लिखा होता। सी० ओ० का दफ्तर भी लोकल तहसील में नहीं होता। ज्यादातर जिलों में चले गये हैं। किसान को लेखपाल और कानूनगो के बार-बार चक्कर काटने पड़ते हैं। और उसको इतनी दिक्कत होती है कि वह सुपरवाइजर से कह देता है कि तुम्हीं इन्तजाम कर दो और १००-५० रुपये ले लो। नो ड्यूज सर्टीफिकेट जो तहसील से दिया जाता है वह भी बहुत बड़ी समस्या है। मेरा निवेदन है कि तहसील को आदेश होने चाहिए कि वह खसरा खतौनी की नकल और नो ड्यूज सर्टीफिकेट अपने आप दे दिया करे। उसको ब्लाक को भी भेज दिया जाना चाहिये और वहां से तशदीक हो जाना चाहिए। अगर यह कर दिया जाय तो बहुत बड़ी दिक्कत किसानों की हल हो जायगी।

जहां तक ब्याज की दर का सवाल है श्रीमन्, रिजर्व बैंक से केवल दो प्रतिशत ब्याज पर रुपया मिला करता है। किसानों से ६ प्रतिशत और सवा ८ प्रतिशत सूद लिया जाता है। उद्योग के लिए सूद की दर कम है। वही दर किसानों के लिए भी होनी चाहिए। सरकारी हस्तक्षेप भी कभी-कभी बड़ी गड़बड़ी करता है। उदाहरण के लिये जालौन का बोर्ड सुपरसीड किया गया जैसा कि माननीय कृष्णानन्द राय जी ने मिर्जापुर के बारे में बताया। सरकार द्वारा अगर अपने हितों को अपने आदमियों को लाभ पहुंचाने के लिये यह किया जायगा तो लोगों को इससे बड़ा असन्तोष होगा। इसका फल यह होगा कि पूरी व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा हो जायेगी और भ्रष्टाचार पनपेगा।

सरकारी क्रय-विक्रय योजना के सम्बन्ध में हमारे मंत्री जी ने बताया था। हम सब जानते हैं कि मार्केटिंग सोसाइटीज जो बनाई गई हैं वहां पर चुनाव ठीक ढंग से नहीं हो पाते हैं। हम देखते हैं कि जो डाइरेक्टर बनाने के लिये वोटर्स हुआ करते हैं उनको इसमें बहुत कम रुचि होती है और सुपरवाइजर्स को इसमें अधिक रुचि होती है। हम सभी अनुभव करते हैं कि उसमें जो भी डाइरेक्टर या प्रेसीडेंट होना चाहता है वह ४,६ सुपरवाइजरों को अपने हाथ में कर लेता है जिससे वह समझता है कि उसकी विजय निश्चित होगी। सुपरवाइजरों को इस भट्ठी में झोंकना और उनको अपना मतलब सिद्ध करने का साधन बनाना गलत है। सुपरवाइजर भी यह समझते हैं कि डाइरेक्टर या प्रेसीडेंट उसका खयाल रखेंगे। इस प्रकार से मनमानी ढंग से काम होने लगता है। इस प्रकार से सरकारी आदमियों अथवा अर्ध सरकारी आदमियों के द्वारा भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है और उसमें ऐसी बहुत सी बातें निकल आती हैं जिससे आम जनता के कष्ट बढ़ते चले जाते हैं। इससे मार्केटिंग सोसाइटीज में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ता है। बोरियां तौल कर नहीं दी जाती हैं और काश्तकार तो यह समझता है कि जो कुछ उसको मिल रहा है उसको ले लो। इस प्रकार से मार्केटिंग सोसाइटीज भी ठीक से नहीं चल पातीं और उनको घाटा होने लगता है। ओपेन मार्केट में इसी कारण से वह नहीं ठहर पाते हैं। मार्केटिंग सोसाइटीज का फर्ज है कि हर-एक को सन्तुष्ट रखें, प्रसन्न रखें परन्तु वह वहां पर अपना-अपना लाभ देखने लगती हैं और इसका नतीजा होता है कि कोआपरेटिव सोसाइटीज फेल हो जाती हैं और उनको उतना लाभ नहीं होता जितना कि होना चाहिये। अगर हम चाहते

[श्री सतीशचन्द्र]

है कि कोआपरेटिव सोसाइटीज ठीक ढंग से चलें तो जो सी० ओ० और सुपरवाइजरों को हम चुनाव से दूर रखें ताकि वे उसका दुरुपयोग न करने पावें। अगर सरकार इस तरफ ध्यान नहीं देगी और इसको बन्द नहीं करवायेगी तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा।

सहकारी प्रक्रिया योजना का जहां तक सम्बन्ध है उसको भी हम सब जानते हैं। इसकी इकाइयां जो उत्तर प्रदेश में हैं वह "सहकारिता" नामक पत्रिका में स्पष्ट हैं। इसमें इकाइयां जो हैं उनको ९० हजार रु० तक प्राप्त हो सकता है, फिर भी ये इकाइयां अभी तक नहीं कार्य कर पा रही हैं। गन्ना, मूंगफली, बाल आदि के लिये जो जो रुपया प्राप्त हो सकता है वह कार्य रूप में नहीं आ पा रहा है। यह लिखा है कि धान प्रक्रियात्मक इकाइयों में १६ में से १० ही कार्यरत हैं। मूंगफली में १७ में से ५ ही कार्यरत हैं और इसी प्रकार और दूसरे में भी है। कहां पर यह गड़बड़ी है जबकि साधारण व्यापारी वर्ग यह चाहता है कि हमको सुविधा मिले ताकि वह एक से अनेक कार्य करने लगें, एक मिल के स्थान पर दो या तीन मिलें चलाने लगें परन्तु इन इकाइयों की निष्क्रियता इसी से साबित हो जाती है कि जो कुछ है उसी को ठीक से संचालित नहीं कर पाते हैं। इसका कारण है गड़बड़ी और भ्रष्टाचार जिसके कारण ये इकाइयां समाप्त होती जाती हैं। जो कार्यरत नहीं हैं उनको तो छोड़ दिया जाता है और जो कार्यरत हैं उनको समाप्त करने की, इन वजूहात के सबब से, आवश्यकता है।

सहकारी शीतगृह योजना की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जिस जिले में शीतगृह खोला जाता है उस जिले के डायरेक्टर, डी०सी०डी० एफ० के प्रेसीडेन्ट समझते हैं कि हमारे लिए कोई सोने की चिड़िया आ गयी है। यदि हमारी आडिट संस्था अच्छी तरह से कार्य नहीं करेगी तो शीतगृह में इतना अधिक भ्रष्टाचार होता है कि जहां सौ-सौ लाख की योजना हो वहां लाख-दो लाख का क्या पता चल सकता है। हमारे जिले में शीतगृह का निर्माण हुआ। कुछ दिन पहले चुनाव हुआ। मंत्री और अध्यक्ष एकमत से चुने गए। लेकिन कुछ ही दिन हो पाए थे जो ठेकेदारी वगैरह की बात होती है उसकी वजह से सेक्रेटरी साहब को निकाल दिया। तो भ्रष्टाचार के कारण ही वैमनस्य भी होता है और कर्तव्य में भी बाधा आती है। तो जहां शीतगृह से बहुत लाभ हो सकता है वहां उसके निर्माण में बड़ा सचेत रहने की भी आवश्यकता है।

बुलन्दशहर की टेक्सटाइल मिल के बारे में मंत्री जी ने बताया लेकिन वह यह बताना भूल गए कि इसमें आडिट रिपोर्ट यह बताती है कि पिछली बार मशीनों में जितना खर्च हुआ उससे ज्यादा उनके लाने और ले जाने में दिखाया गया है और इतना अधिक दिखाया गया है कि मालूम पड़ता है कि बहुत घोटाला है। इसको चेक करने की आवश्यकता है। अगर प्रारम्भ होने से पहले ही इतनी गड़बड़ी है तो हो सकता है कि बीच में ही उसका अन्त हो जाय। सहकारी उपभोक्ता भंडारों की जहां तक बात है, मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है इस पुस्तिका में कि इनमें जितनी सफलता मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिल रही है। जहां तक सुपर मार्केट का सवाल है, यदि हम उसकी कमियां दूर नहीं कर सकते और हानि के बदले लाभ में नहीं चला सकते तो इतना रुपया उसमें फसाना कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। बाजार में जो चीज अवेलेबिल हैं उसी को हम सुपर मार्केट में बेचते हैं और हानि उठाते हैं, तो यह कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। अगर उनसे लाभ नहीं हो सकता तो उनको चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

जहां तक लखनऊ के सुपर मार्केट का सवाल है, बीस हजार रुपया महीना का घाटा है। माननीय सदस्यों को सभी जगह का अनुभव होगा कि सुपर मार्केट में ८० से ९० प्रतिशत ऐसी चीजें होती हैं जिनका भाव बाजार से कम नहीं होता है बल्कि ज्यादा ही होता है। दो-चार-बस चीजें ऐसी भी होती हैं जो सस्ती मिल जाती हैं। तो बाजार से तेज भाव पर कौन वहां लेने जाएगा? इसीलिए वह नहीं चल पा रहे हैं। जो कर्मचारी वहां रखे जाते हैं वह इस बात की चिन्ता ज्यादा करते हैं कि हमें तनख्वाह मिलनी चाहिए। ठीक समय से आने के बदले पांच मिनट देर

से आएं और पांच मिनट पहले चले जाएं। ग्राहकों को सन्तुष्ट रखने, उन्हें अच्छी चीज देने, बाजार भाव से कम्पटीशन करने आदि की बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया जाता है। उनमें दुकानदारी की योग्यता बिल्कुल नहीं होती भले ही उनको कोई शिक्षा दी जाती हो। पता नहीं उन्हें कैसी शिक्षा दी जाती है? यहां के सुपर मार्केट का समय भी कुछ सूट नहीं करता है। बाकायदा दो घंटे का लंच ब्रेक होता है। ग्राहक तो कभी भी आ सकता है। बाजार साधारणतः जितने समय खुलता है उससे कम समय यह खुलता है। तो जब सुपर मार्केट ठीक नहीं चलते हैं और लाभ नहीं होता है तो उन्हें शीघ्र बन्द कर देना चाहिए।

जहां तक सहकारी बीज भंडार का सवाल है, यह बात माननी पड़ेगी कि हमारे देश में हरी क्रान्ति जो आयी है, गेहूं आदि के जो उन्नत बीज दिये हैं उसके कारण उपज में बढ़ोत्तरी हुई है, लेकिन यह एक पक्ष है, दूसरा पक्ष भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। जब बीज की वसूली होती है तो सुपरवाइजर या जो दूसरे कार्यकर्ता हैं, वह सस्ते भाव पर खराब बीज खरीद लेते हैं और बाद में ऊंचे भाव पर बेंचते हैं।

(इस समय २ बजकर ३० मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगवीर सिंह पीठासीन हुए)

तो भले ही कुछ रुपया उनकी जेब में चला जाता हो लेकिन प्रदेश का बड़ा अहित होता है। जिस बीज पर आसरा करके किसान अपने खेत को ४ बार जोतता है, मेहनत करता है और आशा लगाता है कि इससे हम १० मन पैदा करेंगे और अपनी हालत को अच्छा बनायेंगे। अगर वह बीज नाकामयाब होता है तो उसको बड़ी निराशा होती है। जो उसका मनोबल ऊंचा होना चाहिये उस मनोबल के पक्ष में उतना असर नहीं हो पाता है। इन सब बातों की ओर सरकार की जांच और आंख होनी चाहिये कि जो बीज बीज भंडारों में वापस आता है वह अच्छा होना चाहिये। वह किसी तरह से भी खराब नहीं होना चाहिये। उसके रखने का स्थान सुरक्षित होना चाहिये ताकि बीज के अन्दर कोई खराबी पैदा न हो। हमारा देश और प्रदेश कृषि प्रधान है। उसमें अच्छे बीज किसान को मिलने चाहिये। बीज का अच्छा प्रतिफल होना चाहिये। अगर इस ओर हमने अपना पूर्ण प्रयास नहीं किया तो ये हमारे सहकारी बीज भंडार फेल हो जायेंगे।

कुछ बीज ऐसे चले हैं जिनका प्रतिफल अपेक्षा अनुसार किसानों को नहीं मिल पाता है। उदाहरण के तौर पर बताऊं कि शंकर बाजरा और शंकर मक्का यहां पर अच्छी साबित नहीं हुये हैं जितना कि और हुये हैं। इसलिये जहां तक बीज का सवाल है जो बीज अच्छे प्रतिफल नहीं देते हैं उनकी रिपोर्ट करके दूसरा बीज मंगाना चाहिये और जो बीज अच्छे नहीं हैं उनको जबरदस्ती से किसानों को नहीं देना चाहिये। कई बार ऐसा होता है कि किसान गेहूं लेने के लिये आता है लेकिन साथ में उसको सनई का बीज भी दे दिया जाता है। सनई बरसात में बोई जाती है और गेहूं क्वार में बोया जाता है। तब उस समय उसको सनई का बीज देना उसका मजबूरी का फायदा उठाना है। ऐसा नहीं होना चाहिये। किसानों में इस प्रकार का प्रचार होना चाहिये कि वह समय से बीज ले लेकिन जबरदस्ती से उसको खाद या बीज दिया जाता है तो यह उसकी इच्छा के विरुद्ध होता है। इसका किसानों के ऊपर अच्छा असर नहीं पड़ता है।

यही कारण है कि बहुत से किसान इस बात को अच्छा समझते हैं कि यहां से न लें और प्राइवेट दूकान से लें। वह समझने लगते हैं कि यहां पर बड़ी दिक्कत होती है। क्यू लगानी पड़ती है तो वह दूसरी जगह प्राइवेट फर्म पर जाता है और वहां से बीज लेते हैं या प्राइवेट दुकानों से लेते हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि किसानों को असन्तोष की बात इन बीज भंडारों में नहीं होनी चाहिये। इसके लिये सरकारी कार्यकर्ताओं की ओर से बहुत ध्यान होना चाहिये। सहकारी खेती के बारे में भी यहां जिक्र किया गया। सहकारी खेती के बारे में यह लिखा है कि भारत में छोटे प्लाट हों, छोटे किसान हों उनको लाभ पहुंचाने के लिये और तेजी से उनकी उपज बढ़ाने के लिये सहकारी खेती अच्छी चीज है। मैं भारतीय जनसंघ की ओर से कहना

[श्री सतीश चन्द्र]

चाहता हूं कि भारतीय जनसंघ सहकारी खेती को प्रदेश के हित में नहीं समझता है। उसका कारण यह है कि सहकारी खेती के बारे में यह कहा गया है कि :

(Hindustan Year book 1969, page 284).

"Main defects of Co-operative farming are :—

1. Co-operative farming is alien to the genius of the people;
2. There is a strong attachement to land among the peasants;
3. It would lead to the creation of communism;
4. It would hinder the growth of the a farme's personality;
5. It would destroy the farme's initiative and also lead to the fall in production."

इसमें पहला कारण यह बताते हैं कि किसानों की रुचि कोआपरेटिव फार्मिंग के कारण कम हो जाती है। किसान जब यह समझता है कि उसका अपना खेत है तो वह अधिक मेहनत करता है और अधिक पैदा करता है। जब वह शामिल हो जाता है तो उसकी उतनी रुचि नहीं रहती है। दूसरा कारण यह बताया है कि किसान इसलिये भी सहकारी खेती को पसन्द नहीं करता है कि उसे अपनी खेती से अधिक प्यार होता है। वह समझता है कि अपना ही खेत भला है, वह थोड़ा १९ होता है तब भी किसान को अपना ही खेत प्यारा होता है और दूसरों का अच्छा भी खेत वह नहीं लेना चाहता क्योंकि एक पुरानी भावना उसमें होती है, एक सैन्टीमेंट होता है कि हमारे बाप-दादों की जमीन है और वह उस को किसी तरह से भी छोड़ना नहीं चाहता, यह भावनायें उसका अटेचमेंट अपने निजी खेत से ही अधिक रहती हैं और किन्हीं सहकारी खेतों के साथ अपनी खेती को मिलाना पसन्द नहीं करता।

तीसरा कारण यह है इस हिन्दुस्तान ईयर बुक के हिसाब से कि सहकारी खेती कम्युनिज्म की ओर ले जाती है और उस से अपने खेत और परिवार की ओर व्यक्तिगत रुचि कम होती जाती है। सहकारिता के आगे सरकारी और सरकारी के आगे साम्यवादी, यह एक नेचुरल ग्रोथ के रूप में आती है जिससे आज हमारा छोटा किसान डरता है। इसी तरह की भावना चकबन्दी के विरुद्ध भी पनपी थी, वह समझता था कि अभी तो चकबन्दी हो रही है और फिर सरकारी खेती हो जायगी। इसी तरह से सहकारी खेती के विषय में भी उसकी यही भावना रहती है कि कहीं बाद में यह सहकारी खेती सरकारी खेती न हो जाय।

चौथी बात यह है कि किसान का व्यक्तित्व भी उसमें दब जाता है। किसान जितनी जानकारी रखना चाहता है, जो फसल बोना चाहता है, पानी के लिये जो प्रबन्ध करना चाहता है, जितनी मेहनत करना चाहता है, किसान अपने निजी खेत के लिये पानी देने के वास्ते जाड़े की रात में भी जुटा रहता है लेकिन सहकारी खेती में इस तरह की भावना का उदय नहीं होता और सब से प्रमुख बात तो यह है कि सहकारी खेती में खेतों की उपज भी कम होती चली जाती है। यह बात प्रमुख देशों के आंकड़ों से भी सिद्ध हो सकती है, यहां तक कि साम्यवादी रूस का भी यही अनुभव है कि जितनी ज्यादा सहकारी खेती होती है उतनी ही प्रति एकड़ उपज भी अपेक्षाकृत घटती चली जाती है।

इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जहां तक उपज का प्रश्न है वह सहकारी खेती से बढ़ेगी नहीं वह और घटेगी ही क्योंकि उसमें कोई व्यक्तिगत दिलचस्पी किसान की निजी तौर पर नहीं रह जाती है। इसका हमारे चौधरी साहब ने भी नागपुर अधिवेशन में विरोध किया था। मैं नहीं समझता कि अब उन की राय बदल गई है या नहीं, वह यहां इस समय नहीं हैं लेकिन अगर आप प्रदेश की उपज बढ़ाना चाहते हैं और यदि आप चाहते हैं कि आप का किसान खेती में मन लगा कर काम करे और यहां की पैदावार अधिक से अधिक बढ़े और किसानों में किसी तरह की गलत भावनायें न पनपें, उनमें असन्तोष न हो तो हमें सहकारी खेती को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिये। इस सहकारी खेती से उपज नहीं बढ़ सकती। आज संसार की और देश की अधिक बढ़ती हुई जनसंख्या इस बात की साक्षी है और अगर उपज हमारे यहां से कम होती गई

तो बाहर से कहां तक निर्यात आप करेंगे और हो सकता है कि किसी आड़े समय में आप को विदेशों से भी अनाज न मिल सके।

आवश्यकता इस बात की है कि हम अधिक से अधिक उपज कर के स्वयं देश को आत्मनिर्भर बनावें। लेकिन यह बगैर किसान में रुचि पैदा किये नहीं हो सकता इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि व्यक्तिगत खेती का ही मार्ग अपनाया जाय, छोटे किसानों को यह महसूस नहीं होने देना चाहिये कि उनका पूर्ण अधिकार उनके खेत पर, उनके परिश्रम के फल पर नहीं होगा। उनकी पूरी रुचि अपने खेत में मन लगा कर काम करने में रहने देनी चाहिये, वह समझे कि जितनी मेहनत हम करेंगे उस के फल के, उस की उपज के हम मालिक होंगे। हमारे यहां छोटे खेतों में ही पैदावार अधिक होती है और जो १००–१०० एकड़ के बड़े खेत होते हैं उनमें पैदावार कम होती है। अब तो ट्रैक्टर भी बड़े लोगों के पास हो गये हैं लेकिन छोटा किसान अपने ५ बीघा के खेत में अपने हल, बैल और फावड़े से जितनी गुड़ाई और मेहनत करके काम करता है और वक्त से पानी देकर अधिक उपज कर लेता है। उसके पास साधन कम होता है लेकिन श्रम वह अधिक करता है और इस तरह से इस व्यक्तिगत खेती में श्रम भी अधिक कार्यशील होता है। अपने छोटे-छोटे खेतों पर किसानों को पूरा अवसर तरक्की करने का, मेहनत करने का मिलना चाहिये जो सहकारी खेती में नहीं मिलता।

श्री माता प्रसाद––

यह जानते हुये कि छोटी जोतों में पैदावार अधिक होती है तो क्या आप अपनी पार्टी में प्रयास करेंगे कि जोतों की हदबन्दी छोटी से छोटी हो?

श्री सतीश चन्द्र––

सरकारी आंकड़े भी बताते हैं कि सहकारी खेती के मामले में सदस्य संख्या घटी है। ६६–६७ में सदस्य संख्या थी २८,१५६ और ६७–६८ में २७,२४८ और ६८–६९ में उतनी ही रही यानी २७,२५१। सदस्य संख्या में बढ़ोत्तरी नहीं हुई है, इसका यह प्रमाण है। सदस्य संख्या और जो एकरेज यानी क्षेत्रफल सहकारी खेती में लाया गया है वह देखते हुए यह बात साबित हो जायेगी कि सहकारी खेती में उन्हीं लोगों ने रुचि ली है जो बड़े काश्तकार हैं।

जब बड़े आदमियों को कहा गया कि सीलिंग से भी बच जाओगे और लखनऊ में रहने में भी बाधा नहीं पड़ेगी तो चूंकि वे खुद तो पैदावार कर नहीं सकते थे, सहकारी खेती से कुछ तो बचेगा, तो बड़े काश्तकारों को ही आकर्षित किया जा सका है। सन् ६०–६१ में सदस्यता थी ८,४०० और क्षेत्रफल था ८३ हजार एकड़ और सन् ६६ में सदस्यता थी २६,४८७ और क्षेत्रफल १६३ हजार एकड़ था। इससे यह लगता ह कि अगर एवरेज लगाया जाय तो ८ या ९ एकड़ के बीच में यानी इससे नीचे का काश्तकार इसमें शामिल नहीं हुआ है, भले ही कहीं-कहीं मजबूर कर दिया गया हो। करौली गांव में ऐसा ही फार्म बनाया गया। चारों तरफ के गांव के लोग कलेक्टर तक पहुंच गये कि सहकारी संघ बनाया जा रहा है। उसमें किसान अपनी मर्जी से शामिल नहीं होता, यह निर्विवाद है। इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि सहकारी खेती का उपयोग हमारे देश में नहीं है।

जहां तक सहकारी दुग्ध योजना का प्रश्न है––कानपुर तथा अन्य स्थानों पर दूध का अच्छा उत्पादन हो रहा है और वास्तव में उसके लिये प्रचार भी किया जा रहा है। यह बहुत अच्छा है। लेकिन जो दूध हमें मिलता है वह प्योर नहीं होता है। एक साठ पैसे की बोतल मिलती है जिसमें तीन परसेंट फैट होता है और दूसरी ६५ या ७० पैसे की बोतल होती है जिसमें साढ़े चार परसेंट फैट होता है। इस फैट को निकाल कर जिस भाव दूध दिया जाता है वह उचित नहीं है।

श्री राम प्यारे (जिला भिर्जापुर)—

इस कटौती के प्रस्ताव पर कितना समय बोलने को देंगे ताकि हम उसी के अनुसार . . .

श्री अधिष्ठाता—

बोलने दीजिये।

श्री सतीशचन्द्र—

जहां तक भाव का सवाल है उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। इस क्वालिटी को या तो अच्छा करना चाहिये या भाव का खयाल रखना चाहिये। सवा रुपये और डेढ़ रुपये किलो ऊंचा भाव है। गांव में एक रुपये से ज्यादा नहीं है। शहरों में अमीर परिवार सौ में दस ही होते हैं। गरीब बच्चों के लिये दूध चाहिये व उनको सस्ते भाव पर मिलना चाहिये। जहां तक सहकारी शिक्षा, प्रशिक्षण और विस्तार योजनायें हैं, सहकारी किताब में इसको स्वीकार किया गया है कि इस सम्बन्ध में जितनी प्रगति होनी चाहिये थी वह नहीं हुई है। कोई भी पुस्तक और साहित्य अच्छा नहीं प्रकाशित हुआ यह दूसरी बात है। आप कोई लीफलेट ही भेज दीजिये, पर अच्छा साहित्य भेजना चाहिये जिस का जनता में भी प्रचार हो सके और वे सहकारिता के विषय को समझ सकें। अभी तक शिक्षा के नाम पर जो खर्च किया जा रहा है वह सब अधिकारियों की ट्रेनिंग पर खर्च किया जा रहा है। सहकारिता में ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। छोटे-छोटे कन्ज्यूमर्स स्टोर के लोग ही ओपन मार्केट में कम्पटीशन के आधार पर अपने ग्राहकों को कितना खुश कर सकते हैं। अपनी ट्रेनिंग तो किसान की है, मजदूरों की है, इस देश के निवासियों की है। उनको शिक्षित करना चाहिये कि सहकारिता से ये ये लाभ हैं।

मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि शिक्षा के नाम पर इतना खर्च किया जाता है लेकिन फिर भी साधारण आदमी को एक प्रतिशत भी लाभ नहीं पहुंचाया गया है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं अलीगंज सहकारी संघ के बारे में भी माननीय मंत्री जी जांच करा कर देखें। उसके द्वारा एक भट्टा चला करता था और भी कुछ काम उस संघ ने किये थे। भट्टा खत्म हो गया, वह दिवालिया हो गया, एक भी ईंट उसमें नहीं है, रिपोर्ट यह लिखा दी कि चोरी हो गयी, सारे कागजात संघ के चोरी चले गये। उसमें बड़ा गड़बड़ घोटाला हुआ है। आज भी वहां एक चौकीदार का रखा जाना दिखाया जाता है, उसके नाम से वेतन आदि लिया जाता है, और वह एक साहब की जेब में चला जाता है। इस बारे में एक प्रार्थना पत्र भी दिया गया था मंत्री महोदय को, मैं चाहूंगा कि आप उसका आडिट करायें और पूरी तरह से अलीगंज संघ की जांच करायें। उसमें लाखों रुपये का घपला है।

मंत्री जी ने कहा कि पूरे प्रदेश में केवल १२ लाख का गबन है, उनको पूरी सूचना नहीं है। अगर सारे गबन के केसेज उनके सामने लाये जायं तो यह फीगर करोड़ों में पहुंचेगी। उनके सामने २–४ केसेज ही लाये गये हैं। अगर सहकारिता विभाग से भ्रष्टाचार को दूर करना है तो मैं सुझाव दूंगा कि आप योग्य आडिटर्स को रखें और उनको ए० आर० के० सुपरवीजन में न रख कर, एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश के सुपरवीजन में रखें। अगर आप सहकारिता को ठीक तरह से चलायेंगे तो निश्चय ही उससे प्रदेश का लाभ होगा, अन्यथा इससे प्रदेश को नुकसान ही होगा। ठीक तरह से इस विभाग को चला कर आप प्रदेश का भला कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपना कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री रामपाल त्रिवेदी (जिला लखनऊ)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध और इस अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। हमारे प्रदेश में सरकार सहकारिता आन्दोलन को चलाने के लिये हर प्रयत्न कर रही है। इसके

द्वारा प्रदेश की जनता को लाभ हुआ है। किन्तु मैं एक चीज कहना चाहता हूं। इनके जो संचालक मंडल बनाये जाते हैं वे कोआपरेटिव सोसाइटियों को अपने घर की दौलत समझ कर धन को लुटाते हैं। मैं पूरे सूबे की बातों को न कह कर केवल अपने यहां की बात को कहूंगा।

(व्यवधान)

आप सुनिये।

मैं लखनऊ जिले और मोहनलालगंज की कोआपरेटिव सोसाइटी के बारे में कहूंगा। मान्यवर, यहां की कोआपरेटिव सोसाइटियों के संचालक मंडल का चुनाव हुआ, उस चुनाव में जो पुराने संचालक थे वे नहीं आ सके। उसका कारण यह था कि हमारे सहकारिता मंत्री चाहते थे कि चूंकि पुराने संचालक ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उनकी दाल नहीं गल रही है, इसलिये उन्होंने उनको चुनाव में आने ही नहीं दिया। उनको खड़े होने की इजाजत नहीं दी। उसके बाद सन् ६२ या ६३ में नये संचालक मंडल का चुनाव हुआ। उस चुनाव में बसें चलीं, तांगे चले, एक्के चले और जीपें चलीं, किन्तु उसमें उनकी सदस्य संख्या कम हुई, तो भूतपूर्व सहकारिता मंत्री ने कलेक्टर को बुलाकर यहां तक किया कि कुछ सदस्य मनोनीत किये। कलेक्टर के स्थान पर शाम को ५ बजे मीटिंग हुई, तब जाकर उनकी संख्या पूरी हुई और दूसरे पक्ष से ज्यादा इनके सदस्य हुए। इस प्रकार से जो फिर इन्होंने अपने पक्ष के संचालक मंडल के और मैनेजिंग डाइरेक्टर का चुनाव करा लिया, जोकि एक विधायक थे। उस समय जो पिछला संचालक मंडल था सन् ६१–६२ में, उसने २२ लाख ५२ हजार रुपया वितरित किया था और उनका कुल खर्च ५६१४ रुपया सालाना हुआ था और उनका बकाया २ लाख कुछ हजार पड़ा था। उसके बाद जो नया संचालक मंडल बना, उसने क्या किया? यह जरा सुनिये, उन्होंने यह किया, उनकी जो पहली रिपोर्ट आई उसके अनुसार उन्होंने २६ लाख ७७ हजार रुपया वितरित किया और मैनेजमेंट के खर्च के ऊपर ८२,६८० रुपया खर्च किया। कहां एक तरफ ५,६१४ रुपया और कहां दूसरी तरफ ८२,६८० रुपया और उसके अतिरिक्त २१,७७३ रुपया उनको जीप खरीदने के नाम से खर्च किया गया।

श्री सूरजलाल गुप्त (जिला गोंडा)––

श्रीमन्, सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रामपाल त्रिवेदी––

तो इस बैंक में एक खुले तौर से डकैती हुई, लूट हुई। सारा धन इस बैंक का बर्बाद हुआ। यह बैंक 'बी' क्लास था और आज वह 'सी' क्लास हो गया है। अभी महानुभाव कटौती का प्रस्ताव पेश कर रहे थे, तो उन्होंने अधिकारियों के संबंध में कहा, मैं कहना चाहता हूं इस लखनऊ जिले में जो संचालक मंडल बना, उसने माननीय चन्द्रभानु गुप्त को बदनाम करके सारे जिले में शोहरत की कि हम जो कुछ कर रहे हैं, उसमें यदि किसी सरकारी अधिकारी ने हस्तक्षेप किया तो उसकी तुरन्त बदली हो जाएगी। वह लखनऊ में टिक नहीं सकता। इस संबंध में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि एक ए० डी० ओ० (कोआपरेटिव) श्री मिश्रा ने १८,७०० रुपये की गबन और गड़बड़ी की रिपोर्ट की, अपने अधिकारियों से। तो उसकी बदली के लिए फौरन रजिस्ट्रार महोदय से कहा गया। इस पर मैंने मंत्री महोदय से कहा कि इसने गबन की बात कही थी, इसलिये इसको बदला जा रहा है। उन्होंने रजिस्ट्रार से कहा और रजिस्ट्रार ने कहा कि मैनेजिंग डाइरेक्टर ने कह दिया है, तो वह विधना का लेख हो गया है और उसकी बदली होगा। इस प्रकार से बैंक की लूट हुई। मंत्री जी ने सूबे भर में १२ लाख रुपया

[श्री रामपाल त्रिवेदी]

का गबन बताया है, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ९ लाख रुपये का गबन केवल मेरे लखनऊ में है ।

आपको भी मालूम होगा कि इस बैंक से पिछले साल २९ हजार रुपया निकाला गया । जब कि इसकी चाभी मैनेजिंग डाइरेक्टर और खजांची के हाथ में रहती है तो २९ हजार रुपया कैसे निकाला गया ? उसकी रिपोर्ट करने वाले कौन महोदय हैं, जिन्होंने यह गड़बड़ी की उन्होंने ही पुलिस में रिपोर्ट लिखायी । आज तक इनक्वायरी की रिपोर्ट सरकार के पास नहीं आयी । सरकार चाहती है कि इससे किसानों का लाभ हो । लाभ होने के बजाय किसानों की लूट हो रही है । मुख्य गड़बड़ी क्या है ? रुपया नहीं वसूल होता है । फर्जी प्रोनोट लिखे जाते हैं, पेपर ट्रांजेक्शन होता है और किसानों से पेपर एंट्री के ऊपर १५ रुपये सैकड़ा वसूल किया जाता है । मैं इसका उदाहरण देता हूं जनवरी, १९७० में मोहनलालगंज बैंक है, उसकी शाखा लखनऊ और मलिहाबाद में है, १४ बार अधिक रुपया रखा रहा और बैंक में जमा नहीं किया गया । मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि मैं पिछले साल से कह रहा था कि यह लूट हो रही है, कृपया इसको बन्द कराइये ।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय सदस्य मेरे माध्यम से कहें जो कुछ कहें ।

श्री रामपाल त्रिवेदी---

जनवरी में १४ बार जो निर्धारित रकम थी उससे अधिक रुपया बैंक में रखा रहा । क्यों रखा रहा ? डिप्टी मैनेजिंग डाइरेक्टर का पता ही नहीं लगा कहां चले गये । जब बैंक में २९ हजार रुपया निकाला गया तो रिपोर्ट करने के लिये पहुंच गये । लेकिन जब वह रुपया नहीं जमा हुआ तो रिपोर्ट यह लिख कर भेजी गयी कि डिप्टी मैनेजिंग डाइरेक्टर लापता थे । फरवरी में २३ दिन रुपया पड़ा रहा । ३० या ३१ दिन का महीना, उसमें चार-पांच छुट्टियां उसके बाद २३ दिन तक रुपया रखा रहा, जमा नहीं हुआ । यह पेपर ट्रांजेक्शन की मिसाल है । रुपया बैंक में नहीं था । फर्जी आंकड़े भरे गये थे । इसी प्रकार इन फर्जी आंकड़ों की बुनियाद पर आप को बतलाता हूं सरई, गोंसौली, मोहाली खुर्द कोआपरेटिव सोसाइटी में १८ हजार ७ सौ रु०, मऊ सोसाइटी में ४० हजार रुपया, हरौनी सोसाइटी में २२ हजार रुपया और जुग्गौर सोसाइटी में १८ हजार रुपया का गबन है । इसकी रिपोर्ट उस कोआपरेटिव ए०डी०ओ० ने की । मैंने आपसे निवेदन किया था कि इसने ईमानदारी से रिपोर्ट की थी उसका ट्रांस्फर हुआ । रिपोर्ट थाना गोसाईगंज में दर्ज हुई । तब से मैनेजिंग डाइरेक्टर और उनके भाई सेक्रेटरी चार धावे कर चुके हैं पुलिस स्टेशन इंचार्ज के पास कि इसकी चार्जशीट न जाने पाये । यह सहकारिता लखनऊ जिले की है । चिराग के नीचे अंधेरा और झंडा उठता है माननीय सी० बी० गुप्ता का कि वह हमारे सरपरस्त हैं, किसी अधिकारी ने नुक्ता लगाया तो यहां रह नहीं पायेगा, जेल की हवा खायेगा ।

तो इस तरह से लखनऊ जिले को बरबाद किया गया, सारा धन चौपट किया गया, जीप खरीदी गई । आपके विभाग ने इंश्योरेंस बिजनेस करने के लिए एक रिपोर्ट दी कि यह बिजनेस सहकारी संघ द्वारा चलाया जाय लेकिन हुआ क्या ? हमारे भूतपूर्व सहकारिता मंत्री श्री बनारसीदास ने उत्तर प्रदेश की न खोलकर बम्बई की फर्म की शाखा लखनऊ में खोल दी और उस शाखा का इंचार्ज अपने सुपुत्र को बना दिया और उस में लाखों की आय होती है । इस प्रकार उत्तर प्रदेश में यह सहकारी आन्दोलन सरकार की नाक के नीचे तबाह किया गया । क्या मंत्री महोदय इसकी जांच करायेंगे उच्च पुलिस अधिकारियों के द्वारा ताकि जिले के काश्तकारों का कल्याण हो सके । हजारों प्रोनोट फर्जी सरपंचों के पास पड़े हैं वह रुपया कहां जायेगा और काश्तकार से रुपया वसूल नहीं हो सकेगा । पहले जो रजिस्ट्रार साहब थे वह आनाकानी

करते थे लेकिन मुझे आशा है कि जो नये रजिस्ट्रार साहब आये हैं वह आनाकानी नहीं करेंगे, उस भ्रष्टाचार को मिटाने में आपकी सहायता करेंगे। यह भी आपको ज्ञात है कि उनकी वजह से ५, ६ डिप्टी रजिस्ट्रार अपना पिंड छुड़ा कर और अपनी बदली करा कर लखनऊ से बाहर चले गये और पिछली दफा आपकी ही तरफ के एक डिप्टी रजिस्ट्रार थे जिनके बारे में मैंने कहा था कि यह अधिकारी बड़ा ईमानदार है और आपने कहा था कि इस दलदल से छुट कर भागना चाहता है तो वह छूट कर भाग गये।

मैं ज्यादा न कह कर एक बात और आपके सामने रखना चाहता हूं। लखनऊ में लैंड मार्गेज बैंक है जिसकी सराहना आपने अपने वक्तव्य में की है। लैंड मार्गेज बैंक द्वारा किसानों को जो ऋण दिया जाता है उसमें ३०० रुपया ए० डी० ओ० और ३०० रुपया मैनेजमेंट पर खा जाते हैं और ऋण का चेक काश्तकार को न मिल कर पंपिंग सेट्स वालों को मिलता है और उनको मिलता है जो घटिया किस्म का माल देते हैं लेकिन कमीशन जिनसे ज्यादा मिलता है। इस प्रकार के एक चेक के सिलसिले में मैनेजर रायबरेली गिरफ्तार हुए हैं जो कमीशन खा रहे थे। सरकार इसकी व्यवस्था करे कि किसानों को अच्छा माल मिले और जब उनके खेत पर माल पहुंच जाय, और लग जाय तब उनको रुपया मिले।

*श्री विश्वनाथ कपूर––

अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं और इस सम्बन्ध में मैंने भी एक प्रस्ताव दिया था कि सम्पूर्ण अनुदान की धनराशि को घटाकर एक रुपया कर दिया जाय और इसका उद्देश्य था विभागीय नीतियों की आलोचना करना। माननीय मंत्री जी ने भी इसे स्वीकार किया है कि विभाग में भ्रष्टाचार और गबन हो रहा है किन्तु मंत्री जी ने यह नहीं बताया कि गबन कहां-कहां पर है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता था कि जो गबन हो रहा है वह आपके पी० सी० एफ० के सीड स्टोर्स पर चल रहा है। वहां पर बहुत ज्यादा गबन हो रहा है और वहां पर पी० सी० एफ० के जो सीड स्टोर्स हैं उनके जो सुपरवाइजर्स हैं, व असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार हैं और डिप्टी रजिस्ट्रार्स के चार्ज में है गबन कर रहे हैं। यदि मंत्री जी मुझे पूछना चाहते हों तो मैं उन्हें अपने जिले के कई एक १० सीड स्टोर्स का नाम बता दूं कि वे कौन-कौन से सीड स्टोर्स हैं। मान्यवर, वह हैं––माया बाजार, भीटी, बसखारी, टांडा, रामनगर, मकदूमनगर, रनीवां और बकौली वगैरह। इन में हर सीड स्टोर में गबन हो रहा है। मान्यवर, होता क्या है कि पी० सी० एफ० को जो खाद जाती है वह इनके जो सुपरवाइजर्स हैं वे इसे उल्टा सीधा करके इसे बराबर कर देते हैं। इनकी देखरेख करने वाले जो इन्चार्ज साहब हैं वे हैं मान्यवर, सहायक निबन्धक सहकारी समितियां।

मैं मानता हूं कि थोड़ा-सा भ्रष्टाचार प्रारम्भिक समितियों में भी है। ऐसी बात नहीं है कि उनमें न हो, उनमें भी है। जैसा कि त्रिवेदी जी ने कहा है कि मंत्री जी ने कहा है कि १२ लाख का गबन है, वह गलत है। मैं भी कहता हूं कि गबन हो रहा है किन्तु जितना मंत्री जी ने बताया है उतना सही नहीं है। इस गबन की सारी जिम्मेदारी विभाग पर है और विभागीय अधिकारियों पर है। मान्यवर, इस तरह से मैं अपने जिले की सारी स्थिति बता रहा हूं। प्लानिंग डिपार्टमेंट के प्रेसर, असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार के प्रेसर और ए० डी० एम० पी० के प्रेसर से अधिअ से अधिक कम्पोनेन्ट दिये जाते हैं और जो रूप–पत्र का सिटस्म आपका निकला है उससे अधिक गबन हो रहा है। मान्यवर, इस तरह से यदि आप इसके इन्स्टान्सेज चाहेंगे तो मैं इन्सटांसेज भी आपको दे सकता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री विश्वनाथ कपूर]

जहां से खाद सप्लाई होती है वहां भी बहुत ज्यादती होती है। वह खाद सीड स्टोर के सुपरवाइजर की अथारिटी पर दे दी जाती है। मान्यवर, यही नहीं दूसरी चीज में यह निवेदन करना चाहता था कि मुझे अफसोस है कि हमारे सहकारिता मंत्री बैठे रहे और हमारे वित्त मंत्री महोदय ने सहकारी समितियों के ऊपर टैक्सेशन लगा दिया। मैं तो यह कहुंगा कि अगर हमारे सहकारिता मंत्री इस टैक्सेशन को रिमूव नहीं कर सकते तो उन्हें तुरन्त त्याग-पत्र दे देना चाहिए। इसलिये उन्हें त्याग-पत्र दे देना चाहिये कि जो हमारे बैंक की आडिट की फीस १ हजार रुपया साल थी। सूबे में ५५ बैंक हैं किन्तु अब ५ हजार, १० हजार, १५ हजार, और २०-२० हजार तक कर दिया और हमारे सहकारिता मंत्री बैठे देखते रहे। उनका काम था कि वे इसको देखते अन्यथा उन्हें त्याग पत्र दे देना चाहिये था। उन्होंने जो रखा है कि ५० लाख पर ५ हजार रुपया, १ करोड़ पर १० हजार रुपया और २ करोड़ से ऊपर २० हजार रुपया, यह बड़ी ज्यादती हो रही है।

इसकी दूसरी ओर भी आप देखें यदि आप किसी आडीटर को लेते हैं तो आप उसको ढाई या तीन या चार सौ रुपये माहवार देंगा और इस प्रकार उसका खर्च ४ या ५ हजार रुपया सालाना पड़ेगा। लेकिन हमको १०, १५ और २० हजार रुपये तक टैक्सेशन देना पड़ रहा है। यही नहीं आपको और भी इस तरह की खामियों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। विभाग का इंटरफियरेंस किस तरह से होता है, मैं आपके सामने एक पत्र पढ़ रहा हूं जिसमें कहा गया है कि जिन सोसाइटीज के जिम्मे ७५ परसेंट से कम बकाया हो या जो नान-डिफाल्टर हो उनको लोन दे दिया जाय। सरक्यूलर में यह स्पष्ट है कि जिन से पैसे वसूल हो जाने की आशा हो उन्हीं को लोन दिया जाय लेकिन निबन्धक महोदय ने ६-११-६९ को यह आदेश भेजा कि आंखबन्द कर उसका पालन किया जाय। अब अगर आंख बन्द कर उसका पालन हो तो उसका क्या नलीजा है यह भी आप सुन लें।

एल० एल० एस० एस० बीकापुर और पुरा बाजार सहकारी सोसाइटी पर बकाया पैसा पड़ा था फिर भी उसे बैंक ऐडवांस दे दिया गया है। मेरा निश्चित मत है कि उस में गबन किया गया लेकिन डिपार्टमेंटल इंटरफियरेंस किया गया जिससे इस तरह की चीजें होती हैं। अगर रुपया वसूल नहीं होता है तो वह विभाग की जिम्मेदारी होनी चाहिये न कि बैंक की। उस पत्र की दो लाइनें मैं पढ़ देता हूं

Please refer to your letter no. Nil, dated October 27, 1969 regarding advancement of loans to societies having bank overdues against them.

In this connection your attention is invited to this office Circular No. C-151/52-1(1)/Bkg., dated April 7, 1969 on the subject of eligibility of primary agricultural societies for borrowing from the Dist. Central Co operative Banks. These instructions clearly provide for advancement of loans by the Central Bank to the primary Societies not in default of more than 75%. They also provide for grant of accommodation by the Central Banks for advancement of loans to H. V. P., participants of primary Societies irrespective of the extent of default of such societies to the Bank concerned. These instructions may please be followed strictly.

अब अगर इस इन्टरफियरेन्स को हम पालन करें तो ज्यादा गबन होगा। फिर उसके लिये कौन जिम्मेदार होगा, अगर पैसा वसूल नहीं होगा तो उसके लिये कौन जिम्मेदार होगा? इसी तरह से पोलिटिकल इंटरफियरेंस भी होता है। रिजर्व बैंक ने स्टण्डर्ड यार्ड स्टिक फिक्स कर दिया है कि अगर इतने तक के काम करने वाले बैंक होंगे तो वे 'ए' क्लास के होंगे, इससे नीचे के होंगे तो वे बी क्लास के होंगे और उसके नीचे के हुए तो 'सी' क्लास के होंगे। लेकिन रजिस्ट्रार साहब ने 'जो' चिट्ठी भेजी उसका नतीजा यह होगा कि कोआपरेटिव मूवमेंट बहुत पीछे चला जायेगा और माननीय सहकारिता मंत्री से मैं निवेदन करूंगा कि वे वह कर्म न करें जो संविद के जमाने में सहकारिता ने किया था। अगर निबन्धक महोदय के आदेश का पालन किया तो सहकारिता का मूवमेंट ही समाप्त हो जायेगा।

हमारे सहकारिता मंत्री ने कहा कि वे निष्पक्ष अधिकारियों से चुनाव कराते हैं लेकिन आपको मैं एक जिन्दा मिसाल फैजाबाद की एक सहकारी समिति का देना चाहता हूं जिस पर श्री जयराम वर्मा का सन् ४७ से ६९ तक प्रभुत्व रहा जिसका चुनाव हुआ तो उनके १३ कंडीडेट चुनाव हार गये। उसके बाद प्रेसिडेंट का चुनाव ९ अप्रैल को होना था तो हाकिम परगना पर इतना प्रेसर डाला गया कि वे चुनाव कराने के लिये नहीं आये लेकिन एक चिट्ठी लिख कर चले गये कि अभी यह चुनाव न कराया जाय। अगर इस तरह की चीजें होने लगें और ऐसे चुनाव अधिकारियों के ऊपर छोड़ दिया जाय तो फिर पार्लियामेंट या असेम्बली के चुनाव कभी होने ही न पावें। चुनाव की डेट फिक्स करने के बाद भी चुनाव न कराया गया तो उस अधिकारी के खिलाफ ऐक्शन लेना चाहिये। उसके बाद इन सोसाइटी वालों ने एक दावा कर दिया मुंसिफ के यहां। मुंसिफ ने यह आर्डर दे दिया कि स्टे नहीं दिया जायगा लेकिन अगर चुनाव हो जाय तो डायरेक्टर फंकशन नहीं करेंगे लेकिन बाद को मुंसिफ ने उस अपने आर्डर को वापस ले लिया। लेकिन उसके बाद जिलाधीश के यहां याचिका दे दी गयी। क्या यह पोलीटिकल इन्टरफियरेन्स नहीं है, पोलीटिकल प्रेशर नहीं है और वहां से वही हो गया कि जब तक कि इसका फैसला न हो जाय तब तक संचालक मंडल की बैठकें न बुलायी जायं।

२३ अप्रैल को यह आदेश दे दिया कि संचालक मंडल की कोई मीटिंग अध्यक्ष के चुनाव हेतु न बुलाई जाय। एस० डी० एम० का यह आर्डर कि अध्यक्ष का चुनाव न किया जाय, हालांकि मीटिंग पहले ही बुलाई जा चुकी थी फिर एक प्रार्थना-पत्र दिया गया कि अध्यक्ष का चुनाव कराया जाय। लेकिन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ने नहीं कराया और मीटिंग स्थगित हो गयी। शासन ने एस० डी० ओ० को वहां का प्रशासक नियुक्त कर दिया। चुनाव अधिकारी ही प्रशासक हो गया। जब इस बात की शिकायत की गयी तो दूसरे एस० डी० ओ० को कर दिया गया। क्या यह स्वच्छ प्रशासन की बात है? क्या मंत्री जी ने चुनाव प्रणाली को इसी प्रकार से स्वच्छ किया है? यही क्या स्वच्छ प्रणाली है? बाद में इसके ऊपर प्रश्न किया गया जिसके उत्तर में बताया गया कि जिलाधीश द्वारा आदेश दे दिये गये थे इसलिये चुनाव नहीं हुआ, मीटिंग स्थगित हो गयी। लेकिन ऐसा कोई आदेश नहीं है। अगर माननीय मंत्री जी ऐसा कोई आदेश दिखा दें तो मैं असेम्बली की मेम्बरी से इस्तीफा दे सकता हूं अथवा मंत्री जी चुनाव सही सही करा दें और उस एस० डी० एम० को सख्त सजा दें।

इसके बाद एक दूसरी बात पोलीटिकल इन्टरफियेरेन्स की बताता हूं। एक दुद्धी सहकारी विकास संघ लिमिटेड, मिरजापुर है। वहां एक बोर्ड था। अभी नये बाईलाज एडाप्ट नहीं हुए थे। उसका प्रेसीडेंट कलेक्टर था। कलेक्टर साहब प्रेसीडेंट थे और एक वाइसप्रेसीडेंट था। वाइस प्रेसीडेंट साहब को ए० आर० साहब ने एक चिट्ठी लिखी। उसको मैं पढ़ देना चाहता हूं। वह इस प्रकार है:

"जिला नियोजन कार्यालय, मिर्जापुर। दिनांक १४–५–७० अध्यक्ष, दुद्धी सहकारी एवं विकास संघ लि० दुद्धी, जिला मिर्जापुर।

कृपया अपने आदेश संख्या २८५, दिनांक १४–५–७० का अवलोकन करने की कृपा करें जिसके द्वारा आपने संचालक मंडल के समस्त अधिकार अपने हाथ में ले लिये हैं। उक्त तिथि से संचालक मंडल की कोई बैधता नहीं रहेगी और सभी काम आपको स्वेच्छापूर्वक संस्था के हित में संचालक मंडल के सभी अधिकारों का प्रयोग करते हुए करना है। मुझे आशा है कि समिति का कार्य सुचारु रूप से चलता रहेगा जब तक नया चुनाव नहीं हो जाता।

जैसा कि आपने पत्र द्वारा मंत्री की नियुक्ति हेतु निबन्धक सहकारी समितियों से निवेदन किया है, तदनुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। निबन्धक, उप निबन्धक से स्वीकृति मिलते ही मंत्री की नियुक्ति नियमानुसार कर दी जायगी। श्री रामप्यारे अब मंत्री नहीं रहे क्योंकि निबन्धक, सहकारी समितियों ने उनकी मंत्रि पद हेतु स्वीकृति नहीं दी है।

[श्री विश्वनाथ कपूर]

कृपया उनसे समिति का कोई भी कार्य निबन्धक सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की स्वीकृति के अभाव में अवैधानिक होगा ।"

यह वाइस प्रेसीडेंट वही हैं जिनका चुनाव आब्जेक्शन से अवैध घोषित हो गया था । जिसके बारे में माननीय कृष्णानन्द राय जी ने सवाल किया था, यह वह पत्र है ।

इस संबंध में मैं एक बात और कह दूं कि निबन्धक महोदय के पास कोशिश की गयी कि दूसरे सेक्रेटरी को नामांकित कर दिया जाय । लेकिन उन्होंने नहीं किया । अब प्रश्न यह है कि निबन्धक कहां तक इस चीज को रेजिस्ट कर सकते हैं । क्या यही लक्षण स्वच्छ प्रशासन का है ।

यह बड़ी अजीब-सी बात है कि सरकार के पास बड़ी लंबी सारी फौज ए० डी० ओज० की है, सो० ओ० (II) हैं जिनके पास प्रदेश में कोई इसकिये काम नहीं है..... कोई काम इसलिये नहीं है कि पहले बैंक उनके जरिये जो समितियों को कर्जा दिया जाता था उसकी वह रेकमेंडेशन करते थे, उसको चेक करते थे, उसकी वसूली कराते थे । अब रिजर्व बैंक के आदेश से न कर्जे की दरख्वास्तों को रेकमेंड कर सकते हैं और न वसूली से उनका कोई सम्बन्ध है । इस सम्दन्ध में जो रजिस्ट्रार भी ए० पी० सिंह साहब ने मनेजिंग डायरेक्टर को लिखा था कि वसूली की जिम्मेदारी आपकी है, हमारे विभाग की नहीं है । वह चिट्ठी २१-३-६९ को लिखी गयी था, उसका नम्बर सी-१४० है । यह डी० ओ० श्री ए० पी० सिंह साहब ने हर मनेजिंग डायरेक्टर को लिखा था । हर ब्लाक में एक-एक दो-दो ए० डी० ओ० हैं और और एक दर्जन हेडक्वार्टर पर हैं । इनका क्या काम रह गया ? हमारे जिले में ४५ सुपरवाइजर हैं जो बैंक का सारा काम कर रहे हैं । फैजाबाद में करीब ४५ इंस्पेक्टर हैं । उनके पास कोई काम नहीं है । इस विषय को मंत्री जी देखलें । या तो उनकी छटनी हो जाय नहीं तो उन्हें बैंक को दे दिया जाय । जहां सुपरवाइजर काम कर रहे हैं वह भी उनके अन्डर में काम करें तब तो गाड़ी चलती है वरना चलने वाली नहीं है ।

सभी विद्यार्थियों ने कहा है कि इसका प्रसार होना चाहिये, शिक्षा देनी चाहिये, लीडरशीप क्रियेट करनी चाहिये । इन ए० डी० ओज० को इंस्ट्रक्शन्स हों कि सोसायटीज का मुआयना करें और जनरल बाडी की मीटिंग बुलायें, रूल्स रेगुलेशन्स बतायें, सहकारिता के बारे में ट्रेनिंग दें ताकि लीडरशीप डेवलप हो सके और जो कुछ शिकायतें हैं वह दूर हो सकें । लेकिन मुझे शक है कि चौधरी चरणसिंह जी के मुख्य मंत्रित्व काल में जो स्वच्छ प्रशासन की दुहाई देते हैं यह यह सब काम हो भी पायेगा । हमारे गेंदा सिंह जी तो इस स्वच्छ प्रशासन से ऊब कर चले गये क्योंकि वह समझ रहे थे कि वह फेल हो जायेंगे, कुछ काम नहीं कर पायेंगे । अब हमें देखना है कि श्री लक्ष्मी शंकर जी यादव अलग होते हैं या नहीं । अगर नहीं अलग होते हैं तो मैं उनका विश्वास दिलाता हूं कि कुछ दिन बाद आपको इस्तीफ देना पड़ेगा ।

*श्री कन्हैया लाल (जिला मथुरा)---

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सहकारिता के ऊपर बोलने का अवसर दिया । सहकारिता ऐसा आन्दोलन है जिसके ऊपर हमारी समाजवादी व्यवस्था की नींव है । अगर सहकारिता के आन्दोलन को सुचारु रूप से, सही माने में चलाया जाय तो जो हम समाजवाद कहते हैं उसका कुछ रूप हमको दिखाई दे सकता है । लेकिन बड़े खेद का विषय है कि इस आन्दोलन को ठीक से नहीं चलाया जा रहा है । इसमें बड़ी कमियां हैं, बड़ी बड़ी खामियां हैं । पिछले दिनों इन कमियों के कारण हमारे कोआपरेटिव ऐक्ट को नये सिरे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण, नहीं किया ।

से बनाया गया लेकिन उस आमूल चूल परिवर्तन के बाद भी मैं समझता हूं कि जिस प्रकार यह विभाग चलता रहा है उसमें जरा भी कमीबेशी नहीं हुई ।

हमारे मंत्री जी ने ही अभी फरमाया था कि अभी करप्शन है । लेकिन करप्शन को दूर करने के लिये कोई समुचित कदम नहीं उठाये गये हैं । मैं आप निवेदन करूं कि जो इसमें भ्रष्टाचार है वह दो तरह से है । एक तो ट्रांसफर एन्ट्री से होता है जैसा तिवारी जी ने कहा था दूसरा भ्रष्टाचार गलत प्रलोभन से होता है । जो पहला भ्रष्टाचार है वह हर बैंक में और हर सोसायटी में हो रहा है और उसकी रोक थाम का कोई उपाय नहीं है । जब उनसे कहते हैं कि ऐसा क्यों करते हो तो कहते हैं कि सोसाइटी का रुपया है। जिस सदस्य से १५, १६ या या १८ परसेंट लिया जाता है उसका रुपया बैंक से दूसरे दिन निकल आता है और जिस सदस्य का नकद रुपया जमा होता है उसका एक, डेढ़ महीने के बाद निकलता है । क्या कारण है?

अगर इसको हमारे अधिकारी वर्ग चेकिंग करें कि जिसका रुपया जमा हो उस कम ३–४ दिन के बाद, ७ दिन के बाद निकाला जाय.....

एक सदस्य—

श्रीमन्, मंत्री जी हाउस में नहीं हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

मंत्री जी बैठे हुए हैं.....

श्री कन्हैया लाल—

तो मैं अर्ज कर रहा था कि एक सी परिपाटी हो । जब सदस्य नकद रुपया जमा करता है और एक डेढ़ महीने के बाद मुलतवी । तो प्रश्न पैदा होता है कि जब रुपया जमा करता है, फिर नहीं करता और इस तरह बेईमानी को जन्म देता है, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोई ऐसा तरीका निकले ताकि यह तरीका खत्म हो और जो भी रुपया बैंक निकले वह जमा होने के दो चार दिन बाद निकले और एक सा तरीका अपनाया जाय, उसमें कोई उलट-पुलट न हो ।

दूसरी बात यह है कि प्रोनोट गलत भरे जाते हैं । मंत्री जी ने कहा कि १२ लाख का गबन है, मैं कहता हूं कि वह गबन तो केवल वह है कि जो सोसायटी में केवल एक एक, दो दो केसेज पकड़े गये हैं । हजारों ऐसे हैं कि जो प्रोनोट में गये हैं वह वसूल नहीं हुए हैं, आदमी है ही नहीं और निशानी अंगूठा बने हुए हैं । अगर वह सब चेकिंग किया जाय तो १२ लाख क्या, वह अमाउन्ट गबन का १२ करोड़ से भी अधिक होगा । तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इसका चेकिंग करवायें । उसका फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता है । पहले आडिटिंग के लिये लोग जाते थे, हर सोसायटी के सदस्यों से वेरिफिकेशन करते थे । वह नहीं हो रहा है । उसका एक कारण यह है कि सोसायटियों का रूप बहुत बढ़ गया है इसकी वजह से फिजिकल वेरिफिकेशन असंभव है ।

पिछली बार चला था कि बड़ी-बड़ी सोसाइटियों को छोटा किया जाय । आज एक सोसाइटी २०–२० मील के दरमियान में है । एक गांव यहां है और दूसरा २० मील पर है । तो एक दूसरे के सदस्यों को कोई नहीं जान सकता । एक गांव का नाम लेकर दूसरे गांव का आदमी जो चाहे लिख सकता है, प्रोनोट भर सकता है । तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि हमारे विभाग वाले मंत्री जी इस तरफ देखते नहीं हैं कि यह करेप्शन किस तरह से दूर हो । मंत्री जी कह रहे थे कि जिला बैंकों की ब्रांचेज ज्यादा से ज्यादा खुलनी चाहिये, ज्यादा से ज्यादा बढ़ानी चाहिये, उससे भ्रष्टाचार को समाप्त करने में मदद मिलेगी ।

एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि गरीब किसान बगैर पढ़े-लिखे जो इस सहकारिता में सब से ज्यादा पिसता है उसका एक कारणों यह है कि जो बड़ा हास्यास्पद है । जो रुपया वसूल करने वाला होता है, जो साहूकार होता है, जो कर्ज देता है वही मुंसिफ का, जज का काम करता है । यह बात सहकारिता में मिलेगी । सी० ओ० एस०, ए० डी० ओ० जो होते हैं उन्हीं

[श्री कन्हैया लाल]

पर रुपया वसूल करने का जिम्मेदारी होती है और वही आर्बिट्रेशन में बैठते हैं और डिग्रियां देते हैं। वह नहीं देखते कि रुपया किस ने लिया या नहीं लिया, सिगनेचर जेनुइन हैं या नहीं हैं। जैसे ही केसेज आते हैं तो वह फौरन् डिग्री दे देते है। इस तरह से बहुत से, लाखों आदमी ऐसे होंगे, ७५ लाख बताया गया, तो मैं अर्ज करता हूं कि उसमें से लाख, पचास हजार आदमी ऐसे होंगे जिन पर डिग्री हो गयी जिनको रुपये के बारे में कुछ पता ही नहीं और जिनको निशानी नहीं, किसी और ने दस्तखत कर दिये।

इसका एक कारण यह है कि वही ए० डी० ओज० और वी० डी० ओज० आरबिट्रेशन के अधिकारी होते हैं और वही डिग्री लेने के अधिकारी होते हैं। इसके लिये मेरा निवेदन यह है कि यह प्रथा अगर समाप्त कर दी जाय और इन कामों को अलग-अलग बांट दिया जाय, हर एक की एजेन्सी अलग हो, तो इसमें कुछ खर्च तो जरूर अधिक करना पड़ेगा लेकिन इससे बहुत फायदा होगा। जिस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट लेविल पर चुनाव के लिए अलग से मशीनरी बनाई गई है उसी प्रकार से इन केसेज को सुनने के लिये अलग मशीनरी बना दी जाय तो जो सच्चाई है वह सामने आ जायेगी और गबन के केसेज निकल आयेंगे। ऐसे हजारों केसेज पड़े हुए हैं जिन में मसनवी आदमी हैं और मसनवी दस्तखत हैं।

लैन्ड डेवलपमेंट बैंक के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि जब किसान कर्ज लेता है तो अपने खेत को गिरवीं रखता है, अपना निशानी अंगूठा लगाता है और अगर रुपया वसूल न हो पाये तो उसका खेत नीलाम हो जाता है लेकिन चेक किसान को नहीं मिल पाती। इसमें होता यह है, जैसा कि त्रिवेदी जी ने बताया कि ए० डी० ओ०, बी० डी० ओ० और इन्स-पेक्टर मिल कर २००–३०० रुपया खाते हैं। उसके बाद लैन्ड डेवलपमेंट बैंक के मैनेजर कुछ धंधा करते हैं। जब रुपया सेंक्शन हो जाता है तो कम्पनी को भेज दिया जाता है और वहां से ५,००० के इंजन के बजाय किसान को डेढ़ हजार का इंजिन मिल जाता है और उसको लेना पड़ता है। सब का कमीशन तय होता है। इस प्रकार के उदाहरण आपको कहीं नहीं मिलेंगे। मैं बड़े जोरदार शब्दों में कहूंगा कि इस परिपाटी को खत्म किया जाय। रुपया जो हो, जिसके नाम चेक बने उसी किसान को दिया जाय। इसको भी देखने की आवश्यकता है।

अब मैं श्रीमन्, एक बात और निवेदन कर दूं। हमारे यहां के जो बैंक के डाइरेक्ट होते हैं वह यद्यपि कुछ बदल गये हैं, पहले ६, ६ साल तक चलते रहते थे, बदले नहीं जाते थे। एक डाइरेक्टर डी० सी० एफ० में हो सकता था, वही मार्केटिंग में हो सकता था और वही बैंकों में हो सकता था। इस प्रकार की परम्परा थी। इससे उनकी मानोपली हो जाती थी। अब इस परम्परा को समाप्त कर दिया गया है और अब डिस्ट्रिक्ट लेविल पर दो संस्थाओं में एक आदमी डाइरेक्ट रह सकता है यह अच्छा किया है। अक्सर यह देखा जाता है कि गांव में छोटी-छोटी सोसाइटीज होती हैं जिनमें हरिजन सदस्य अधिक होते हैं, वे पढ़े-लिखे होते हैं इसलिये गलत-सलत जितनी कार्यवाही होती है सब उनके सिर पर होती है। कम से कम दो हरिजन डाइरेक्टर होने चाहिये जिससे उनका इन्टरेस्ट वाच करते रहें। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के नियम बनाये जायें जिससे हर बैंक में कुछ न कुछ उनका प्रतिनिधित्व हो सके ताकि हरिजन थोड़ा-बहुत अपने को सुरक्षित समझें जिसके झूठे अंगूठा निशान लगा कर मकान और जायदाद सब छीना जा रहा है। श्रीमन्, इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आप का शुक्रगुजार हूं जो आप ने मुझे सहकारिता के अनुदान पर बोलने का समय दिया। श्रीमन्, सहकारिता जो सहकारी क्षेत्र मे चलती हैं इस सरकारी

क्षेत्र में ही चलने के कारण ही भ्रष्टाचार से ग्रस्त है और यह महकमा भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। अगर यह स्वतन्त्र रूप से बिना सरकारी हस्तक्षेप के चले तो उनका बहुत बड़ा उपयोग हो सकता है और इससे जनता को लाभ हो सकता है। देश के गरीबों के जीवन स्तर को उठाने में और गांवों की उन्नति करने में इससे बड़ी मदद मिल सकती है लेकिन जब तक यह सरकारी क्षेत्र में रहेंगे मैनेजर सेक्रेटरी, सुपरवाइजर, रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार और असिस्टेंट यह सब मिल कर खाते रहेंगे, गांवों को लूटते रहेंगे और गरीबों का कुछ भला नहीं होगा। और इन्हीं लोगों के पेट में रुपया हजम होता जायगा। इस भ्रष्टाचार में संचालक मंडल भी रहता है और संचालक मण्डल व सुपरवाइजर दो मिल कर गरीबों को लूट रहे हैं सहकारिता के नाम पर। यह सारे के सारे अफसर व अधिकारी सहकारिता के नाम पर हैं। मान्यवर सहकारिता में बट्टेखाते की एक मद होती है। बोगस कर्जे दिए जाते हैं, बोगस कोआपरेटिव सोसाइटीज बनाई जाती हैं और ऐसे नाम से कर्जे दिए जाते हैं जिनका कहीं अस्तित्व ही नहीं होता है। कर्जे कागज पर दिए जाते हैं योजना बना कर कर्जे की रकम को खाने की गरज से दिये जाते हैं और कुछ दिन के बाद हजम करना होता है उस रुपये को तो वसूल न होने के बहाने ये लोग उसे बट्टे खाते की मद में डाल देते हैं। चाहे वह भट्टे हों ईंटों के या चूने की भट्ठी हों बहुत सी सोसाइटीज और संस्थायें बोगस व कागजी चल रही हैं इस तरह से रकम हजम करने के लिए। मैं जिला मेरठ की मिसाल देना चाहता हूं। मेरठ में इस तरह की बहुत सी सोसाइटीज बनी हैं जो ९० प्रतिशत कागज पर चलती हैं उनमें कुछ कैलाश प्रकाश जी कुछ बनारसी दास जी के और कुछ श्रद्धा जी के आदमी थे और उन सभी ने मिल कर कोआपरेटिव संस्थाओं को गंदा किया है और लाखों का पेट काटा है। श्रीमन्, मैं गांवों की याद दिलाना चाहता हूं। वहां १० रु० के शेयर पर १०० रु० से ज्यादा कर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन मैंने देखा है ५०० रु० से १२०० रुपये तक १० रुपये के शेयर पर कर्जा दिया जाता है तथा ऐसे नामों पर कर्जा दिया जाता है जिन्होंने कर्जा नहीं लिया इसकी शिकायत १९६७ में तत्कालीन मंत्री श्री गंगाभक्त सिंह जी से की गई लेकिन बावजूद इसके कि उन्होंने डी० आर० को इन्क्वायरी के लिए आदेश दिया लेकिन आज तक इन्क्वायरी में कुछ नहीं हुआ। ५०,००० रु० का गबन था और वह गबन हो कर रह गया। आप के माध्यम से मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मेरठ जिले में खेडा हिसौली साधन सहकारी समिति में संचालक मंडल ने ५०,००० रु० का गबन किया और करीब दो वर्ष पूर्व ३०,००० रु० की डिग्री ए० आर० और दूसरी अदालतों से उस संचालक मण्डल पर हो चुकी है लेकिन आज तक कोई वसूली नहीं की गई क्योंकि ऐसे आदमी जो इतना बड़ा गबन करते हैं वह बस, बीस हजार रुपया अधिकारियों की जेब में डाल देते हैं जिससे उनकी सारी जांचों को दबा दिया जाय जांच न हो। तो मैं आप के माध्यम से निवेदन करूंगा कि यह ३०,००० रु० तुरन्त वसूल किये जाने चाहिये मय सूद के। श्रीमन् हमारे यहां मेरठ जिले में एक कोआपरेटिव सोसाइटी है डासना में। उसके सन् १९६८ के सुपरवाइजर ने १२ हजार रुपये का गबन किया। १९६९ में जो सुपरवाइजर आया उसने पहिले सुपरवाइजर पर १२००० रु० का गबन निकाला लेकिन श्रीमन्, १९६८ वाला नहीं पकड़ा गया उस सुपरवाइजर के विरुद्ध कार्रवाई नहीं हुई और १९६९ वाला सस्पेंड कर दिया गया। श्रीमन्, यह इसलिये हुआ कि १९६८ वाला संचालक मंडल व जिले के उन नेताओं से मिला हुआ था जो सहकारी मुहकमे पर छाये हुये हैं। हमारे यहां इंडिकेट कांग्रेस के जिला संगठन के प्रेसीडेन्ट है हलीम साहब। वह मेरठ के ही नहीं बल्कि मेरठ कमिश्नरी की सहकारी समितियों पर छाये हुए हैं। सारे अफसरो पर उनका रोब है, जिसका चाहे तबदला करवा दें। जो उन्हें हिस्सा देता है वह चाहे कुछ भी करे उसके लिए सब छूट है। और जो उनके आदमी के खिलाफ कोई गबन निकालता है तो उसे अपने आदमी को बचाने के लिये सस्पेंड करा देते हैं, नौकरी से निकलवा देते हैं। यह इंटीकेट के अध्यक्ष हलीम साहब के कारनामे हैं।

[श्री प्यारे लाल]

श्रीमन्, बीज गोदाम से बीज और खाद मिलता है। बीज गोदाम के सुपरवाइजर, कामदार, इंस्पेक्टर, बी० डी० ओ० और बी० एल० डब्लू० कुछ आदमियों को मिलाकर बीज और खाद जाली नामों से इश्यू करा देते हैं। दो-चार साल बाद जब वसूली आती है तो उनसे वसूली होती है जिन्होंने कभी कुछ लिया ही नहीं बेगुनाह फंस जाते हैं नहीं देते हैं तो जेल में बन्द होते हैं। अपनी इज्जत बचाने के लिये देना पड़ता है। पूर्वी जिलों में ऐसी बात हो तो शायद जेल चले जायं लेकिन पश्चिमी जिलों में जेल नहीं जाना चाहते हैं। इसलिए अपनी इज्जत बचाने के लिये अपना जेवर, अपनी जमीन गिरवीं रख कर देते हैं। और मौज मारते हैं वह भ्रष्ट कर्मचारी और उनके दलाल। इस तरह से साजिस कर गरीब किसानों को लूटते हैं। मंत्री जी इस बात की जांच कराएं और ऐसे कर्मचारियों और दलालों से गरीब किसानों का पीछा छुड़ाने की कृपा करें। जो बीज और खाद गोदामों से दिया जाता है उसमें बड़ी मिलावट होती है। खाद में भट्ठे की राख, रेह और नमक मिलाकर दिया जाता है। उससे जमीन की पैदावार की शक्ति खत्म हो जाती है और जमीन बंजर हो जाती है। इसी तरह से बीज में भी मिलावट होती है। ऐसे केसेज की मंत्री जी जांच कराएं और दोषी अधिकारियों को दण्ड दें। श्रीमन्, मेरठ जिले के गाजियाबाद में रजापुर ब्लाक में बी० डी० ओ० पकड़े गए इसी प्रकार का खाद बेचते हुए। शिकायत की गयी। नन्दा साहब तक शिकायत की गयी। लेकिन कुछ नहीं हुआ उन कर्मचारियों का और जिन्हें खाद दी गयी थी उनसे पैसा वसूल लिया गया। यह भी नहीं हुआ कि वह खराब खाद थी उसका पैसा वसूल न किया जाता। तो इतनी बड़ी मिलावट खाद और बीज में होती है। मंत्री जी इसकी जांच कराएं।

श्रीमन्, जितने भी सुपरबाजार, उपभोक्ता भंडार और उपभोक्ता कमेटी है यह सब लूट के अड्डे हैं। वहां बहुत बड़ी मिलावट होती है और चीजों के दाम भी ज्यादा होते हैं उन्हें सारे सरकारी कोटे मिलते हैं जिन्हें चोर बाजार में बेच कर अपनी जेब में डालते हैं। लखनऊ सुपरबाजार में आप कोई चीज खरीदने जाएं बहुत ऊंची कीमत है। बाजार में चीज सस्ती मिल जाएगी। दिल्ली में, मेरठ में, सब जगह सुपर बाजार में दाम ज्यादा है। उपभोक्ता भंडारों में नमक, मसाले, दाल, आंटा में मिलावट रहती है। हजारों आदमियों के स्वास्थ्य पर उसका बुरा असर पड़ता है। इसलिए मिलावट होती है, अच्छा हो सुपर-बाजार और उपभोक्ता भंडार खत्म कर दिये जायं। और खुले बाजार में चीजें बिकें। सुपर-बाजार और उपभोक्ता भंडार में जो चीजें बिकती हैं उनका सैम्पुल भरा जाना चाहिये और वह फेल हों तो उन अधिकारियों को सजा मिलनी चाहिए जो मिलावट करते हैं और ऐसी चीजों को बेचते हैं तथा जो सरकारी कोटे से मिलने वाली वस्तुओं का ब्लैक करते हैं।

गांव के किसानों को जो कर्जा मशीनरी खरीदने के लिये बैंकों के माध्यम से मिलता है, उसमें किसान अपनी मर्जी से मशीन नहीं खरीद सकता। बैंक के मैनेजर की मर्जी से खरीदना पड़ता है। उनका कमीशन तय होता है। जिस कम्पनी से कमीशन मिलता है उसी से खरीदने को कहते हैं। जिससे नहीं मिलता उससे खरीदने को मना करते हैं और अगर किसान उससे खरीद लेता है तो कम्पनी को चैक नहीं देते, किसान को कर्जा नहीं मिलता। और अगर चैक मिल भी जाता है तो जब तक वह कमीशन नहीं देते उसका भुगतान नहीं मिलता। तो किसान को गुलाम बना दिया है कोआपरेटिव बैंक के मैनेजर का। इसलिए अगर कर्जा दिया जाय तो सीधा दिया जाय, बैंक के माध्यम से नहीं मिलना चाहिए। इसी के साथ-साथ एक बात और कहना चाहता हूं...बैंकों के माध्यम से या कोआपरेटिव लैंड मोरगेज बैंक के माध्यम से जो कर्जा किसानों को मिलता है वह उसमें किसानों की सारी जमीन को बन्धक बना लेते हैं। जो उन्हें मशीनरी लेनी होती है उसे बन्धक बना लेते हैं। किसानों को ३० फीसदी रिश्वत में देना पड़ती है कर्जा लेने के लिये तब कहीं उनको रुपया दिया जाता है। १० फीसदी तो वह शेयर का लेते हैं और २० फीसदी नजराना कर्जा देने का लेते हैं। अगर किसी समय मजबूरी में

किश्त टूट गई तो ५, ७ फीसदी उसका अलग से ले लिया जाता है जिस प्रकार भी बन पड़े—यह ३० प्रतिशत रिश्वत बन्द कराई जाय। मैं मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि मंत्री जी इस साल कोआपरेटिव बैंक से कर्जा बन्द कर दें और उस साल केवल वसूलयाबी ही करें तो सारे किसान और मजदूरों को जिनको कर्जा दिया जाता है सुपरवाइजर और संचालक मंडल जो कर्जा देते हैं की सारी पोल ही खुल जाय। जब कर्जे की वसूली की तारीख आती है और किसान के पास और मजदूर के पास रुपया न हो और वह कहे कि आज हमारे पास पैसा नहीं है। तो सुपरवाइजर और कोषाध्यक्ष कहते हैं कि तुमको रुपया देने की जरूरत नहीं, हमें ६ प्रतिशत दो और ६ फीसदी देने पर उनको वही कर्जा पुनः दे दिया जाता है यानी ५ परसेंट सूद का तथा १० परसेंट कर्जा चढ़ाने का, तो इस तरह से किसानों को यह कर्जा बहुत महंगा हो जाता है। इस सबके लिये यह अफसरशाही जिम्मेदार हैं जो इस सारी मुसीबत को उन गरीबों के ऊपर लादे हुये हैं। रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, सुपरवाइजर यह सारे अफसर इस बात के लिये जिम्मेदार हैं, नीचे से ऊपर तक कोई सुनने वाला नहीं है क्योंकि नीचे से ऊपर तक रिश्वत बंटती है। छोटे-छोटे कर्मचारियों ने विभाग में लूट मचा रखी है। उनके खिलाफ शिकायत की जाती है तो ये अफसर कोई कार्यवाही नहीं करते। भू० पू० डिप्टी रजिस्ट्रार जो मेरठ में थे यहां पर बैठे हुये हैं मेरे सामने जिनकी उस ५० हजार के गबन की जांच दी गई थी लेकिन उन्होंने जांच नहीं की, गबन में हिस्सा बांट लिया फिर भी उनको तरक्की देकर यहां लखनऊ में भेज दिया गया है। तो फिर इस महकमे में सुधार कैसे सम्भव होगा। इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री चंचलसिंह (जिला रामपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मंत्री महोदय के अनुदान संख्या २४ सहकारिता के बजट को ताईद करने का मौका दिया। यह कोआपरेटिव ऐसी पवित्र मूवमेंट है, ऐसा पवित्र आन्दोलन है कि उसमें गलत आदमियों के आ जाने की वजह से उसको बदनाम किया जा रहा है। मुझे यह अर्ज करना है कि यह सहकारिता मूवमेंट ऐसी चीज है जिसमें चन्द गरीब इकट्ठा होकर अपने बल पर थोड़े से सरमाये से इनकलाब ला सकते हैं जिसको देख कर सरमायेदार चकाचौंध हो जाते हैं। छोटे-छोटे आदमी थोड़ी थोड़ी पूंजी को लेकर आज सहकारिता में बड़ी-बड़ी मिल भी जगह ले रही है। सरमायेदारों को अब यह इतमिनान होने लगा है कि सहकारिता की मदद लेकर यह गरीब जनता ऊपर उठ जायगी और इस सहकारिता से कैपिटलिस्टों का मुकाबला करने के लिये ये मैदान में आ जायेंगे। जो ज्यादा सूद पर रुपया देते थे और सूद खोर लोग थे उन्होंने इस मूवमेंट के खिलाफ बहुत बड़ा शोर मचाया और इसको बदनाम करने की कोशिश की। तरह तरह के प्रोपेगन्डा किया। ताकि किसान कम सूद पर कोआपरेटिव से कर्जा न ले सके और वे साहूकार जो सूदखोर लोग हैं वह किसानों को अच्छी तरह से लूटते रहें और उनका काम चलता रहे। लेकिन यह सहकारिता मूवमेंट आगे बढ़ी और किसानों को कम सूद पर कर्जा मिलने लगा।

गलती हमारे किसानों ने की कि कर्जा जिस काम के लिये लिया और जहां पर उसको लगाना था वहां पर उसका इस्तेमाल नहीं किया जिसकी वजह से वह नहीं दे पाये। उस रुपये का सूद बढ़ता चला गया और साथ ही हमारे कर्मचारी जो उसमें लगे हुये थे वह भी अपना गोल माल करते रहे जिसका नतीजा यह हुआ कि किसानों के ऊपर इतना कर्जा हो गया कि जिसको मैं समझता हूं वह कभी उतरेगा नहीं जब तक कि गवर्नमेंट सोचने की कोशिश नहीं करेगी कि इतना बढ़ता हुआ यह कर्जा कैसे कम होगा।

पूर्व के किसानों के साथ ऐसा अगर हो जाता तो इस पर शोर मच जाता लेकिन यह तो हमारे यहां के किसान हैं जो कम से कम किसी के कर्जे को खाते नहीं हैं। लेकिन इस पवित्र आन्दोलन के इम्पलीमेंटेशन में कुछ खराबी जरूर आई है और उसमें कुछ अफसरान की भी

[श्री चंचल सिंह]

कमजोरी है और कुछ कसर हमारी भी है, हमने भी कुछ सोसाइटियों में गड़बड़ की है, हमारे कार बार व धन्धे बहुत बढ़ गये हैं उसके मुकाबले में करेप्शन ज्यादा तो नहीं है लेकिन जो भी है वह नहीं होना चाहिये। लेकिन हम इस सब से डरना नहीं चाहिये और न हमें सहकारिता से ही डरना चाहिये और जतन करना चाहिये कि हमारा यह पवित्र आन्दोलन आगे बढ़ें। ऐसी पवित्र चीज से हमें फायदा ही होगा इसलिये इससे घबराना नहीं चाहिये। यह ठीक है कि जो खराबी हैं उसमें आफिशियल और नान आफिशियल, सब शामिल हैं और लोग हर चीज पर कब्जा करने का जतन करते रहते हैं और ऐसे लोगों की वजह से इम्पलीमेंटेशन ठीक तरह से नहीं हो रहा है जैसा कि होना चाहिये था।

इसके अलावा मैं निवेदन करूंगा कि यही एक रास्ता सोशलिज्म की तरफ जाने का है, यही एक प्रैक्टिकल तरीका है जो हमें उस ओर ले जा सकता है। यह एक ऐसा इन्कलाब है कि जो गरीब किसान, गरीब मजदूर और छोटे लोगों को एक जगह बैठने का गुर सिखाता है और सब को साथ इकट्ठा करके आगे बढ़ने का जतन बताता है। इसलिये सोशलिज्म से पहले अगर हम स्टार्टिंग के लिये सहकारिता पर अगर अमल नहीं करेंगे तो सोशलिज्म का नारा बेकार हो जायगा। सोशलिज्म का नारा आप बेशक लगायें लेकिन हम उधर बढ़ नहीं सकते जब तक हम सहकारिता के द्वारा गरीब जनता की एकनामिक हालत को ऊपर नहीं उठाते और उस वक्त कोई भी सोशलिज्म जिसको कि हम लाना चाहते हैं, उसको हम देश में ला नहीं सकते।

इस वक्त जितने भी धन्धे छोटे पैमाने पर चल रहे हैं उनमें हमें एक ऐसा परिवर्तन लाने की जरूरत है, उनके बारे में ऐसी एक्सपर्ट राय लेना चाहिये, इस तरह से विचार होना चाहिये, ऐसी कमेटियां और कमीशन मुकर्रर होने चाहिये जिनके जरिये से जो आज कोआपरेटिव के खिलाफ विचार चल रहे हैं वह खत्म हों और उनको दूर करने का हमें जतन करना चाहिये ताकि सहकारिता आगे बढ़े।

इस के साथी ही मैं यह भी कहूंगा कि किसानों को जो सब से बड़ा डिस्सेटिसफेक्शन है, उनका जो रोना है वह उन की जो ट्रान्सफर एन्ट्री हर साल होती है उससे है। जो सुपरवाइजर होते हैं वह उन से पैसा लेकर एन्ट्री करते हैं और इसकी वजह से जो बैंक का कारबार है वह भी खतरे में पड़ गया है। साथ ही किसानों का भी इससे बहुत नुकसान हो रहा है और वह बेचारे नहीं समझ सकते कि कब भाव मन्दा हो गया और उनकी यह हालत हो जाती है कि उनका कर्जा कभी नहीं उतर सकता।

क्रेडिट के मुताल्लिक भी मेरी अर्ज है कि गवर्नमेंट का कर्जा जो किसानों पर है, वह बराबर बढ़ रहा है और उस की अदायगी वह नहीं कर पा रहा है, यह एक बहुत फिक्र की बात है और इसके मुताल्लिक खासतौर पर मंत्री जी को सोचना चाहिये। हमारे इस मूवमेंट में एक बात यह पाई जाती है कि कुछ सोसाइटियां बन जाती हैं और बाद में कुछ दिन चल कर उनकी और शक्ल बन जाती है। फिर पहली सोसाइटी छोड़ दी जाती है और फिर नई बना ली जाती है, वह डिफाल्टर होकर दूसरे नामों से नई बन जाती हैं जिस तरह से हमारे यहां एक कहावत है कि "अग्गे दौड़ तां पिच्छे चौड़"। हमारी जो पुरानी सोसाइटियां हैं जिन को आप अच्छा नहीं समझते उनको अलग डिसटिंगुइश करना चाहिये और पब्लिक क्षेत्र में जिन को रखना चाहिये उन्हें अलग रखें। हमारे देश के प्रधान मंत्री जी ने एक सहकारिता खेती संबंधी आन्दोलन चलाया लेकिन कुछ हद तक चलने के बाद वह जोश ठंडा हो गया और उसके फायदे को लोगों ने नहीं समझा।

मेरा कहना है कि जो लोग कहते हैं कि इतने एकड़ की जमीन अन एकनामिक है लेकिन वह उसका कोई सुझाव या रास्ता नहीं बताते कि क्या किया जाय। कम होलडिंग वाले किसान २ एकड़, ६ एकड़ या १० एकड़ वाले कैसे काम करेंगे इस महंगाई के जमाने में। उनके लिये क्यों यह सुझाव नहीं दिया जाता कि वह इस आन्दोलन में कोआपरेटिव के तरीके पर इकट्ठा हों।

वे इसमें क्यों नहीं आते। उनकी ये कमजोरी है। अपनी कमजोरी को छिपाने की वजह से यह नहीं कहते कि हम कोआपरेटिव बेसिस पर खेती बाड़ी करें। वह किसान जनता का दुश्मन है जो छोटी छोटी होल्डिंग्स को रखना चाहता है। इसे मेकेनाईज्ड नहीं करना चाहते। वे लोग भी किसानों के दुश्मन हैं, हमदर्द नहीं कहे जा सकते जो उनको बताते हैं कि कोआपरेटिव फार्मिंग से लाभ नहीं होगा। मेकेनाईज्ड इस तरीके से हो सकता है कि वह उन पर ट्रैक्टर लगा सकें और वहां उतने आदमी काम करें जितने जरूरी हैं। बाकी और धन्धों में लगाये जायं। ताकि जोत पर से आदमी कम हों और गरीबी दूर हो।

अभी-अभी जो किताब (लाल) मिली है उसमें लिखा है कि १९५०-५१ में जो सोसाइटियां बनी थीं उसमें १,३८८ मेम्बर थे और उनके पास जो जमीन थी वह १४,६६९ एकड़ थी। इसका एवरेज निकाला जाय तो फी मेम्बर दस एकड़ जमीन आती है। जब यहां सीलिंग लगाई गयी और सीलिंग के बाद सब सोसाइटियां बनायीं हैं तो मुझे समझ मे नहीं आता कि सोसाइटियां जमीन कहां से लायें जब सीलिंग हो गयी थी। आज १९६८-६९ में सोसाइटियों की गिनती १३,०९८ है और मेम्बर २७,२५१ हैं और जमीन १,९६ एकड़ है जिसमें ७.२५ परसेन्ट एक मेम्बर को जमीन आती है। समझ में नहीं आता कि जो पचास लाख रुपये शेयर मनी है और गवर्नमेंट से मदद अलग मिलती है और उसके अलावा जो सीलिंग लगी है उसमें १० एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं आती थी और अब सात एकड़ आती है। मैं तो कहूंगा कि कोआपरेटिव फार्मिंग ने ही गल्ले की बहुतायत कर दी है। आप इस बात को समझिये कि जब तक किसान मेकेनाईज्ड नहीं होगा उसकी उपज नहीं बढ़ेगी और वह तरक्की नहीं कर सकता। मैं तो यह निवेनदन करूंगा कि जो किसान लैन्डलेस हैं और जो जमीन देने के हक में हैं वह दस या पन्द्रह एकड़ से कम की जमीन किसी किसान को नहीं मिलनी चाहिये। दो या चार एकड़ की जमीन जो लैन्डलेस को देने की बात करते हैं मैं उनको उन किसानों का दुश्मन समझता हूं। शहर वाले किसान को गरीब रखना चाहते हैं। उसके पास दो दो एकड़ रख कर उसको गरीब रखना चाहते हैं। किसानों की जमीन मेकेनाईज्ड होनी चाहिये, कोआपरेटिल फार्मिंग होनी चाहिये और नये तरीके अपनाकर इस सूबे में गल्ले की बहुतायत करनी चाहिए ताकि गिरानी खत्म हो मैं कुछ और भी कहना चाहता था पर समय नहीं है। जय हिन्द।

(माननीय अधिष्ठाता द्वारा श्री गिरजा शंकर तिवारी का नाम पुकारने पर)

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)---

अधिष्ठाता महोदय, यह ठीक है कि आपको अधिकार है जिसको भी बोलने का मौका दें। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की ओर से जो सामान्य प्रणाली है वक्ताओं की वह भेज दी गई थी। मुझे दुख है कि इस बात का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष महोदय जन परम्पराओं का पालन करते हैं उसकी जानबूझ कर अवहेलना की जा रही है। यह कैसे होगा।

श्री अधिष्ठाता---

आपकी पार्टी को समय मिलेगा।

श्री रामधारी शास्त्री---

मैं समझता हूं कि आपका रूख पक्षपात पूर्ण है। आप जान बूझ कर चाहते हैं कि संसोपा का कोई न बोले। मैं इसका सख्त विरोध करता हूं। इस कुर्सी पर बैठ कर इस तरह का पक्षपात पूर्ण कार्य नहीं होना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता---

कोई पक्षपातपूर्ण नीति नहीं है, आपको भी समय मिलेगा।

एक सदस्य---

हमारे दल की तरफ के दो नाम भेजे गये थे, एक को भी समय नहीं मिला है।

*श्री गिरजा शंकर (जिला बाराबंकी)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, जिस समय सहकारिता आन्दोलन को चलाया गया था और उसकी योजनाओं को गांव-गांव में प्रसारित किया गया था तो गांव के लोगों में, गरीब किसान और मजदूरों में आशा का एक संचार हुआ था कि अब उनका जीवन स्तर ऊपर उठेगा, उनको लघु उद्योगों के लिये ऋण मिलेगा, बेरोजगारों के लिये रोजगार मिल सकेगा, मगर आज जो लोग इस सहकारिता में फंसे हैं वे दुखी हैं और यह सोचते हैं कि हम इसमें कैसे फंस गये। केवल कुछ लोग ही हैं जो इसका लाभ उठा रहे हैं। आज राजनीति इस सहकारिता में पूरे प्रदेश में घुस गयी है। अधिकारियों को आज इस तरह के निदेश दिये जाते हैं कि सहकारिता आज राजनीति का अड्डा बन गयी है। जो कर्मचारी आपके जाते हैं सहकारिता को प्रोत्साहन देने, गरीबी को मिटाने, भुखमरी को दूर करने, वे जाकर पैसा खाते हैं, दंगा कराते हैं और अय्याशी करते हैं।

इसके अलावा उनका और कोई काम नहीं रह गया है। मैं अपने बाराबंकी जिले के सहकारी बैंक और सहकारी समिति के बारे में कहना चाहूंगा। हमारे चौधरी चरण सिंह जो स्वच्छ प्रशासन का बड़ा ढोल पीटा करते थे, जब से वे आये हैं तब से क्या हो रहा है वह मैं बताऊंगा। हमारे यहां इन्डीकेट के जिला कांग्रेस कमेटी के एक अध्यक्ष हैं श्री पुत्तूलाल वर्मा। वे डी० सी० डी० एफ० के कई भट्टों आदि को चला रहे हैं। उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया मगर इस सरकार के किन्हीं आदेशों के द्वारा उसको दबा दिया गया। जब मैंने अधिकारियों से पूछा कि आप इस केस को क्यों नहीं चलाते, क्यों इसे दबा दिया, उन्होंने उत्तर दिया कि आप जानते नहीं कि आज कल किस की सरकार है? यही नहीं हमारे यहां के एक श्री खलीलुर्रहमान जो मोहसिना किदवई के हस्बैंड हैं, उनके खिलाफ एक मुकदमा चल रहा था, वे जमानत पर छूटे हुये थे, मगर चरण सिंह जी की सरकार आते ही उस मुकदमें को दबा दिया गया और जो जांच चल रही थी उस तक को दबा दिया गया।

अब मैं कोआपरेटिव बैंक की बात बताऊंगा जो हमारे यहां चल रही है। मान्यवर, मैं पूरी ताकत के साथ और पूरी सही जानकारी के साथ स्पष्ट कहना चाहता हूं कि ९५ प्रतिशत सोसाइटियों के सालाना जल्से नहीं होते और उनके पदाधिकारी, अधिकारियों और सुपरवाइजरों की कृपा पर होते हैं। उनके दलाल और मुख्तार होते हैं। जितना पैसा आज बैंक के जरिये से गांवों में जाता है, उसमें से ९५ प्रतिशत रुपया फिर बाद में वापस हो जाता है और काश्तकार को रुपया नहीं मिलता है। सोसाइटियों का पल्टा हो जाता है और वह बेबाक नहीं होता है। गांव के बड़े आदमी, गुंडे-बदमाश के हाथ में सोसाइटियां चली गई हैं, जिनको उनके हाथ से निकालना मुश्किल हो गया है। आज सोसाइटियों की बैठकों में भी परदा कर दिया जाता है। जिसको चाहते हैं चुनाव के लिए उसको-डेलीगेट बनाते हैं। जो थोड़ा बहुत रुपया वसूल होता है, उसकी हालत बड़ी बदतर है। कर्जा वसूल करने में हमारे यहां के एक आदमी को मुर्गा बनाया गया। मैंने कहा क्या कर रहे हो। वह हरिजन था एक ठाकुर साहब ने उसको मुर्गा बना दिया क्योंकि उसने कर्जा नहीं दिया, वह चाहते थे कि वह उसके साथ हो जाए। मान्यवर, यही नहीं होता है, ऐसे लोगों के हाथ में सोसाइटियां हैं कि ऐसे लोगों के नाम कर्जा निकाल दिया जाता है, जिनको कि कर्जे की वसूली के समय ही पता चलता है कि उनके नाम कर्जा है, उनके नाम से कोई कर्जा ले लिया गया है। एक एक सोसाइटी में ४०-४० और ५०-५० आदमियों के नाम से फर्जी रुपया निकाल लिया जाता है, उनके फर्जी अंगूठे लगा लिए जाते हैं। उनके नाम से रुपया निकाल कर खर्च कर लिया जाता है। आज बैंक का सुपरवाइजर हैसियत में दरोगा से भी बढ़ कर हो गया है, इतना उनका भ्रष्टाचार बढ़ गया है।

सोसाइटियों के जो एकाउन्टेंट रखे जाते हैं उनका अंतर यह है कि पैसा उनको बैंक से मिलता है, लेकिन उनको उन्हीं के माध्यम से पैसा जाता है। एकाउन्टेंट को कहीं किसी प्रकार का प्रशिक्षण

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं दिया जाता है। कर्जे के प्रार्थना पत्र को भरने और उसको पास करने में बैंक के कर्मचारियों का हिस्सा रहता है और इसके बिना कई कई बार उसे वापस करते हैं। नतीजा यह होता है कि पैसा बेकार जाता है। मंत्री जी यदि चाहते हैं कि बैंक ठीक से काम करें तो उनको सचिवों और कर्मचारियों का समय समय पर तबादला करते रहना चाहिए।

अब मैं कुछ बातें बैंक के चुनाव में बताना चाहता हूं कि चुनाव में कोई व्यक्ति सक्रिय रूप से हिस्सा नहीं ले सकता है। सचिव तथा कर्मचारी जिसे चाहते हैं डेलीगेट एप्वाएन्ट करते हैं, जो अन्य लोग बैंक का चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके नाम से बकाया कर दिया जाता है, उनको सोसाइटी का या खुद का बकायेदार बना दिया जाता है, नतीजा यह होता है कि किसी भी प्रकार से यदि कोई चाहे तो वह बैंक के प्रशासन में भाग नहीं ले सकता है। मेरे जिले में भी ऐसा हुआ कि एलेक्शन की डेट तक, नामिनेशन की डेट तक, डेलीगेटों की सूची ही नहीं बन पाई, और वहां के अधिकारी जिस तरह से चाहते रहे काम कराते रहे। इस प्रकार बैंकों का आज बुरा हाल हो रहा है। जो विकास बैंक खोले गये हैं जिसके माध्यम से किसानों को कर्जा दिया जाता है. . . .

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो गया।

*श्री रामधारी शास्त्री—

मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने हमें भी सहकारिता पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, जहां तक सिद्धान्त का प्रश्न है मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी सहकारिता के सिद्धान्त में और अधिकाधिक जीवन के बढ़ते हुए हिस्से में सहकारिता को लागू करने में विश्वास रखती है। संसोपा सहकारिता आन्दोलन पर नौकरशाही का प्रभाव बढ़ने नहीं देना चाहती है कि सहकारी समितियां सरकार की सेवक बन कर रहें। हमारी पार्टी समझती है कि सामाजिक महत्व में सहकारिता का महत्वपूर्ण योगदान होगा। जहां तक सहकारिता का प्रश्न है, हमारा दल समझता है कि इसका अधिकाधिक विकास होना चाहिए। इसके साथ संयुक्त सोशलिस्टपार्टी कलेक्टिव ऐग्रीकल्चर और कोआपरेटिव ऐग्रीकल्चर में बराबर अन्तर रखती है। सहकारिता कृषि के भी हम हामी हैं, देश की मौजूदा परिस्थितियों में।

मंत्री जी ने कुछ सुधार का जिक्र किया। यह सरकार जो यहां मौजूद है वह ठीक वैसी है जैसे घोड़ों पर चलने वाला सवार। उसकी जो भयावह स्थिति रहती है वही स्थिति इस सरकार की है। मंत्री जी के भाषण में सन्तोष भी था लेकिन बजट पर ध्यान देंगे तो पिछले साल और इस साल का जो बजट है उसमें कोई आधारभूत अन्तर नहीं है न कोई नयी योजना है जिसके द्वारा कोई नया काम कर सकें। जहां तक मैंने देखा है इस साल दो काम नये होंगे। एक तो एक लाख का आवर्तक अनुदान है जो फैजाबाद में दुग्ध परियोजना के लिए और १५ लाख रुपये का अनावर्तक अनुदान है लेखा परीक्षा संगठन के लिए। इसके अलावा कोई नयी बात नहीं है। गत वर्ष तीन करोड़ से ज्यादा पैसा सहकारिता के लिए बजट में रखा गया लेकिन २ करोड़ से कुछ ऊपर से ज्यादा रुपया नहीं खर्च कर पाये। इसमें भी २ करोड़ ५७ लाख में मैं तीन चौथाई सरकारी नौकरों पर या भत्ते में खर्च किया है। कोई नयी योजना के सम्बन्ध में नहीं है।

ऐक्ट का जिक्र किया गया। मैं मंत्री जी से सहमत हूं कि जो नया ऐक्ट आया उसमें तब्दीलियां हुई लेकिन जहां यह कहा गया कि उसके अध्यक्ष गैर सरकारी आदमी होंगे, कोई सरकारी अधिकारी नहीं होगा वहां दूसरी तरफ गैर सरकारी पोस्ट मैनेजिंग डाइरेक्टर की थी उसके

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामधारी शास्त्री]

स्थान पर खिड़की के दरवाजे से सचिव की एक नयी पोस्ट क्रिएट कर दी। मौजूदा कानून में बैंक का सारा कारोबार, मैनेजिंग डाइरेक्टर के सारे अधिकार सचिव के हाथ में चले गये हैं। यह अच्छा नहीं है। अगर आप सहकारिता आन्दोलन का स्वस्थ विकास चाहते हैं तो इसमें आवश्यक परिवर्तन होना चाहिए। वहां मैनेजिंग डाइरेक्टर के अधिकार एक वेतन भोगी कर्मचारी सेक्रेटरी रखे मैं समझता हूं कि यह अच्छा नहीं है। सहकारी समितियों की स्थिति क्या है। इसमें व्यक्ति का प्रभाव कितना है। मैं लोक लेखा समिति के १९६५ के प्रतिवेदन से दो लाइनें पढ़ कर सुना देना चाहता हूं।

(इस समय ४ बजकर १५ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

वह यह है "बस्ती (पश्चिम), गोंडा (दक्षिण) सहकारी विकास संघ, बभनान, जिला बस्ती को १६.५० लाख रुपये के दो ऋण (मार्च १९५३ में १०.५० लाख रुपये तथा मार्च, १९५५ में ६ लाख रुपये) उस भाग के सामान्य विकास की एक योजना के कार्यान्वयन हेतु, जो १९५२ में आरंभ की गई, दिये गये थे। संघ ने ऋण तथा ब्याज की किस्तों का भुगतान नहीं किया है, ३१ मार्च, १९६४ की कुल बकाया धन १२.७४ लाख रुपये था। ६.९७ लाख रुपया मूलधन तथा ५.७७ लाख रुपया ब्याज।"

समिति के समक्ष दिये गये लिखित स्पष्टीकरण तथा साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि यह ऋण राज्य के हितों की रक्षा के निमित्त आवश्यक ध्यान दिये बिना दे दिये गये। संघ को १६.५० लाख रुपये का एक ऋण दे दिया गया जबकि उसके पास केवल ३.५० लाख रुपये की पूंजी थी। यह एक अस्त व्यस्त तथा अनियोजित योजना थी। समिति को बताया गया कि यह ऋण संघ की प्रार्थना पर नहीं दिये गये थे किन्तु कुछ स्थानीय नेताओं के कहने पर दिये गये थे। ऋणों के दिये जाने के उपरान्त भी प्रशासकीय विभाग ने यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व नहीं लिया"। यह एक नमूना है। १९५२-५३ में केशव देव मालवीय, जो अपने को बड़ा भारी समाजवादी कहते थे और जो उस समय उद्योग मंत्री थे, ने यह योजना चलाई थी और आज तक वह अस्त व्यस्त पड़ी हुई है और जो धन सरकार का लगा उसकी वसूलयाबी की कोई संभावना नहीं है और लोक लेखा समिति की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि कुछ स्थानीय नेताओं के कहने पर इतनी लम्बी रकम दी गयी। लिहाजा इस बात की संभावना को समाप्त किया जाय सहकारी समितियां कुछ नेताओं अथवा सरकारी अफसरों के प्रभाव में रहें।

इसी तरह से गन्ना समितियां भी मनमानी ढंग से काम करती हैं। उनका भी अपना एक इतिहास है। जहां तक आडिट का सवाल है लोक लेखा समिति ने बार-बार कहा कि केन के आडिट सेक्शन को केन कमिश्नर से निकाल कर स्वतंत्र कर दिया जाय लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। इस पर अविलम्ब ध्यान दिया जाय।

इस प्रकार दुग्ध सोसाइटियों की बड़ी चर्चा की गई। लोक लेखा समिति ने १९६७ में अपने प्रतिवेदन में यह सिफारिश की है "समिति समझती है कि दुग्धशालाओं को चालू करने में काफी विलम्ब हुआ है और फलस्वरूप सरकारी विनियोजन पर कोई लाभ नहीं मिल रहा है। समिति चाहती है कि कानपुर मिल्क बोर्ड को भी शीघ्र चालू किया जाय तथा सरकारी विनियोजन का लाभांश सुनिश्चित किया जाय।"

"इसमें भी १६.७७ लाख रुपये की पूंजी तीन चार जगह लगाई गई और समिति का कहना है कि कोई लाभांश प्राप्त नहीं हुआ। समिति को विभाग द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण से संतोष नहीं है। जनता के धन के इस प्रकार हानि कारी विनियोजन की समिति निन्दा करती है। समिति सिफारिश करती है कि हानि तथा गबन के मामलों की यथाशीघ्र जांच करा कर विभाग दोषियों को उचित दण्ड दे तथा मूलधन की वसूली का प्रयास करे।"

मैंने ये दो नमूने समक्ष रखे और यही स्थिति अन्य तमाम स्थानों पर है। गन्ना सोसाइटियों के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि गोंडे से लेकर बाराबंकी, पश्चिमी पीलीभीत और आगे नैनीताल तक आप चले जायं तो आप देखेंगे कि गन्ना समितियों की धांधली, अदूरदर्शिता से, आंकड़े ठीक न होने से और ठीक ढंग से कार्य न करने से आज ४० लाख क्विन्टल गन्ना खेतों में खड़ा है और इससे ४ करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान किसानों को होगा और उस गन्ने का कोई नाम लेवा नहीं है। मिल मालिकों को बिक्री कर में छूट दीजिए लेकिन किसानों के गन्ने की गारंटी करने वाला कोई नहीं है। दो रुपये प्रति क्विन्टल के हिसाब से अतिरिक्त बान्ड पर जमा होने के बावजूद उनका गन्ना खरीदे जाने की कोई गारंटी नहीं है। इन सोसाइटियों की तरफ सरकार जरा कृपा करे और मैं यह समझता हूं कि इस साल का जो बजट आयेगा तो सहकारिता कुछ नये क्षेत्रों में प्रविष्ट करेगी। इसका कदम कुछ नये क्षेत्रों की तरफ जायेगा लेकिन बजट को देखने से निराशा होती है।

एक बात विभाग ने और की कि जहां विभाग ने शहरों में सहकारी उपभोक्ता भण्डार खोले हैं वहां देहातों की तरफ कुछ ध्यान नहीं दिया है। उसके लिये यह सरकार बहाना बना देगी। जहां साधन सहकारी समितियां हैं उन्हें काम करने की पूरी इजाजत होनी चाहिये। इसमें भी पक्षपात होता है। मान्यवर, मैं देवरिया जिले के दो उपभोक्ता भण्डारों का उल्लेख यहां पर कर देना चाहता हूं। वहां पर एक डिस्ट्रिक्ट होल सेल कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव सोसाइटी है जिसमें सरकार का कोई हिस्सा नहीं है जिसे वहां के डाइरेक्टर्स चलाते हैं। यह उत्तर प्रदेश में दूसरे नम्बर की सोसाइटी है। वहां पर मंत्री जी ने तीन वर्ष बाद एक दूसरी संस्था की स्थापना कराई और इसका नाम उन्होंने जनता केन्द्रीय सहकारी भण्डार रखा। उसमें एक लाख रुपये की पूंजी लगाई है किन्तु आडिट रिपोर्ट जो है उसमें १ लाख ४२ हजार रुपये के गबन का गोलमाल दिखाया गया है।

इसे मकान बनाने के लिये जमीन भी दी गई किन्तु अभी उसकी सरकार से आज्ञा नहीं मिली। ७५ हजार रुपये दफ्तर बनाने के लिये दिये गये। यह सब रुपया खर्च हो गया। यह तो इस विभाग का हाल है और मैं जानता हूं कि विभाग कहता है कि आपकी समिति में सरकार का हिस्सा नहीं है अतः तुम अपनी सोसाइटी को छोड़कर कर हमारी सोसाइटी में मिल जाओ ताकि उसका जो देय (लाइबिलिटीज) हैं वह भी शामिल हो जाय और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो हम तुम्हें रजिस्टर्ड नहीं करेंगे। तो मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि इस प्रकार की धांधलेबाजी नहीं होनी चाहिये।

दूसरी कानपुर में एक जिला रूरा क्रय विक्रय समिति है इसमें १९६७–६८ में १ लाख २५ हजार कुछ रुपये का घाटा हुआ था। इसमें अधिकारियों ने यह बयान दिया कि घाटा इसलिये हुआ कि भाव गिर गये थे। कुछ दिनों के बाद जब जांच हुई तो उन्होंने कहा कि यह घाटा भाव गिरने के कारण ही नहीं हुआ अपितु कुछ अन्य कारण भी घाटे के होने के थे जो कि अस्पष्ट हैं और वहां के लोगों का कहना यह है कि हमारी सूचना के अनुसार कोई वाकया नहीं हुआ केवल फर्जी ट्रांजेक्शनन्स कागजों पर हुए हैं जिसके कारण घाटा हुआ है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार सरकारी धन का दुरुपयोग होता है। इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि सहकारी समितियों का स्वस्थ विकास होना चाहिये। मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)––

मान्यवर, इस तरफ के माननीय सदस्य भी बोलने में हिस्सा लेना चाहते हैं। हमें भी बोलने का मौका दें.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष––

समय कम है और काफी सदस्य बोलने के लिये खड़े हो जाते हैं ... (व्यवधान)

श्री नेतराम सिंह (जिला एटा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। देश प्रदेश में सहकारिता का प्रथम चरण १९०४ में आया, सन् १९१२ में इस प्रदेश में सहकारिता का दूसरा प्रतिवेदन बना। माननीय मंत्री जी के कहने के आधार पर इस प्रदेश में विभिन्न प्रकार की ३८,३७० सहकारी समितियां हैं जिसके कि ७५ लाख ४० हजार सदस्य हैं और जो इस उद्देश्य से सामान्य सारे प्रदेश में कार्य कर रही हैं समिति का कार्य कृषकों को ऋण देना, उनको उन्नत बीज, खाद कृषियंत्र आदि का वितरण करना है किन्तु देखने में कुछ और ही आता है।

मान्यवर, मैं कृषकों को ऋण देने के संबंध में आपके द्वारा इस बात पर प्रकाश डालना चाहता हूं कि सहकारी समितियां तीन प्रकार के ऋण बांटती है—अल्पकालीन ऋण, मध्य कालीन ऋण और दीर्घकालीन ऋण। अल्पकालीन ऋण के संबंध में आपको मैं बतलाना चाहता हूं कि उसके लिये इस प्रकार का कायदा है कि जिस आदमी का १०० रु० का शेयर होता है उसको ५०० रुपया कर्ज दिया जाता है। ५०० रु० ऋण लेने पर उसे सोसाइटी के खर्च के नाम पर ५ रु० से १० रु० सैंकड़े के हिसाब से रिश्वत देनी पड़ती है, कभी कभी तो उसे इससे भी अधिक रुपये खर्च कर देना पड़ता है। देते समय किसान को जब रुपया नहीं होता है तब उसकी सुपर वाइजर ट्रांसफर इन्ट्री के रूप में २५, ३० रु० लेता है। अब अगर इस तरह से उसे ३५—४० रु० सैंकड़ा ब्याज ही देना पड़ जाय तो किसान का कैसे भला हो सकता है। मान्यवर, पिछले महाजनों से भी अधिक काश्तकारों को सूद देना पड़े तो आपका सहकारिता आन्दोलन में किसान कैसे सफल हो सकता है।

इस संबंध में मेरा सुझाव यह है कि मध्यकालीन ऋण देने में किसान की स्थिति बहुत खराब हो जाती है। मेरे ख्याल से ७५ प्रतिशत काश्तकार इसका शिकार हो चुका है। बहुत से किसान ऐसे हैं जिनकी जमीन बिक चुकी है, बहुत से किसान बेघर हो चुके हैं। इस संबंध में मेरा सुझाव यह है कि बैंकों के साथ किसानों का सीधा संबंध होना चाहिये जिससे बीच वाले बैंक जो किसान से अधिक व्याज लेते हैं, उनसे किसान की बचत हो सके। रिजर्व बैंक उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक को २ १/२, ३..परसेन्ट ब्याज पर रुपया देता है। जिला कोआपरेटिव ४ रु० प्रतिशत पर उत्तर प्रदेश बैंक से लेता है और फिर वह सहकारी समिति को ६ परसेंट पर ऋण देता है और सहकारी समितियां किसान को फिर ९ परसेंट पर ऋण देती है। अगर किसानों का सीधा संबंध बैंक से हो जाय तो बीच की कड़ी जो शोषकवर्ग की है वह आप से आप समाप्त हो जाये। साथ ही अगर चेक के जरिये किसानों को रुपया मिले तो सुपरवाइजर के लिये जो उसे बैंक को ५ परसेंट देना पड़ता है वह न देना पड़ेगा। इस प्रकार से कानूनी तौर पर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि अगर कोई भला आदमी किसी वजह से समय पर पैसा न अदा कर सके तो उसे कर्ज मिल जाया करे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि वक्त पर पसा न मिलने की वजह से बड़ी परेशानी होती है। इसलिये मेरा सुझाव है कि किसान को ही इकाई मान कर रुपया दिया जाय। जिस तरह से बिजली विभाग में यह कायदा है कि बिजली का बिल न अदा करने पर कनेक्शन काट दिया जाता उसी तरह जो आदमी सहकारी समितियों का पसा न अदा कर सके उसे पसा न दिया जाय।

अब मैं बीज गोदामों के संबंध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। जहां बीज गोदाम होते हैं वहां पर कृषकों को उन्नतशील बीज, यंत्र व कीटनाशक दवायें दी जाती हैं। जिस समय किसान बीज लेने के लिये जाता है उस समय फी बोरी में दो एक किलो बीज कम तोलना तो ईमानदारी मानी जाती है, और जब किसान देने जाता है तब एक दो किलो गल्ला आपके प्रति बोरी ले लेना भी ईमानदारी ही समझी जाती है। किसान जब गेहूं लेने जाता है तो उसके साथ उसमें भूसा और रेत मिला हुआ मिलता है और जब देने जाता है तो उसके बीज की ऐसी छटाई होती है कि उसे एक का डेढ़ यानी ५० प्रतिशत ब्याज का देना पड़ जाता है। अब आप समझ लें कि अगर ५० प्रतिशत ब्याज देना पड़ जाय तो उस किसान का किस प्रकार से

भला हो सकता है। जब बीज गोदाम से वह बीज लेने जाता है तो उसे मिक्श्चर बीज ही मिलता है। मेरा सुझाव है कि २५ प्रतिशत किसानों से न लिया जाय, उसके बजाय १० प्रतिशत लिया जाय। उन्नतशील बीजों को हर साल बदलवाया जाय और पुराने बीज को मारकेट में बेंच दिया जाय।

जहां क्रय-विक्रय सोसाइटीज का सवाल है। यह फर्जी बनी हुई है। इन में न कोई गल्ला आता है और न बेचा जाता है। सब कागजी कार्यवाही होती है और किसानों का गला घोंटा जाता है। क्रय-विक्रय सोसाइटीज तीन प्रकार के काम करती है। एक तो सीधी खरीद करना दूसरे काश्तकारों का माल प्लेज करना और तीसरे कमीशन का काम काश्तकारों का माल तो जीरों के बराबर प्लेज होता है। केवल बड़े-बड़े व्यापारियों का माल प्लेज होता है, किसानों को उनसे कोई लाभ नहीं होता।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप जल्दी समाप्त कर दीजिये।

श्री नेतराम सिंह—

भूमि बन्धक बंक से भी किसानों को रुपया दिया जाता है जिसकी ब्याज खर्चा लगाकर ३० फीसदी के करीब पड़ जाती है। पहले उसको अपनी जमीन और जोत को गिरवी रखना पड़ता है। रुपया चेक से दिया जाता है लेकिन अगर वह कूपर इंजिन लेना चाहता है तो उसको किर्लास्कर दिया जाता है। इसके बारे में माननीय मंत्री जो कुछ प्रबन्ध कर दें जिससे काश्तकारों को सही लाभ हो सके।

अतरौली जिला अलीगढ़ में एक तेगते समिति है जिसमें किशनलाल शर्मा व रामफल शर्मा ने लाखों रुपये का गबन कर लिया है लेकिन सारा दोष बांकेलाल और ड्यौदान पर मढ़ दिया गया है। क्या मंत्री जी इसमें तहकीकात करावेंगे। अन्त में मैं सतीशचन्द्र जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपना कथन समाप्त करता हूं।

*श्री हबीबुर्रहमान (जिला आजमगढ़)—

मोहतरिम सदर साहब, मैं इसलिये खड़ा हुआ हूं कि सरकार के जरिये जो अनुदान मांगा गया उसका समर्थन करूं। इस सिलसिले में मैं बहुत ज्यादा न कह कर सिर्फ इतना ही कहूंगा कि गांवों में जो साधन सहकारी समितियां बनाई गई हैं उनके बारे में भी चर्चा करूंगा। जिस वक्त ये साधन सहकारी समितियां बनाई जा रही थीं, खुद मैंने भी उनके बनाने में बहुत दिलचस्पी ली। हमने समझा कि गांवों के गरीब और परेशान हाल लोगों को अपनी मजदूरी से कर्जा लेना पड़ता है और खूंख्वार महाजन को ऊंची ब्याज पर लेना पड़ता है, उससे वह बच जायगा। हमारे यहां फैजाबाद और बनारस की तरफ के लोग आते हैं और अगर वे १०० रु० देते हैं तो कमीशन वगैरा काट कर ६० रु० ही किसान को मिल पाता है। और १२ महीने में १२० रु० वसूल करते हैं। इस तरह से ३० फीसदी का ब्याज पड़ता था।

हम लोगों ने यह सोचा कि जब यह साधन सहकारी समितियां बन जायेंगी तो किसान को आसानी हो जायेगी और उसको ६ फीसदी पर ही रुपया मिल जायगा। लेकिन व्यवहार में जो चीज आई उसको देखकर ताज्जुब होता है। मैं खासतौर से माननीय मंत्रीजी की तवज्जह इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि आज गांव के किसान को यह मालूम नहीं होता कि कितना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हबीबुर्रहमान]

कर्जा उसके नाम में है। अगर वह १०० रु० लेता है तो उसके नाम में ५०० रु० लिख दिया जाता है। इसलिये लोग महाजन से ज्यादा इन समितियों से परेशान हैं।

आपको ताज्जुब होगा कि मैं विधायक हूं। पढ़ा लिखा आदमी हूं लेकिन मेरे गांव की साधन समिति ने मेरे नाम में कर्जा निकाल दिया, निशानी अंगूठा फर्जी लगा कर। यह मेरी मिसाल है। तो इस तरह कोई गांव बाकी नहीं है जहां के १०, २०, ५० आदमी परेशान न हो, बल्कि बाज बाज गांवों में तो पूरी की पूरी लिस्ट १००/५० आदमियों की है जिनके नाम कर्जा निकाल लिया गया, लोगों से दस्तखत बनवा लिये गये लेकिन उनको रुपया नहीं मिला और साल, दो साल के बाद उनके नाम वसूली आती है, कुर्की आती है। एक परेशानी है साधन समितियों की वजह से। गवर्नमेंट ने तो यह समझकर किया था कि गरीब आदमियों को जो मजबूरी से कर्जा लेते हैं उनको आसानी होगी लेकिन आज यह उनके लिये मुसीबत बन गई है। तो मैं मंत्री जी का खासतौर से इस तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं और चाहता हूं कि जितनी भी साधन समितियां हैं उनके खातों में जिनके जिम्मे रुपया निकला है उनकी तहकीकात कराई जाय और जब तक ठीक ठीक पता न चल जाय कि वाकई जिस आदमी के जिम्मे रुपया बकाया है उसने रुपया लिया है तब तक यह वसूली बन्द की जाय और इस वक्त देहाती क्षेत्र में जो एक परेशानी पैदा है उसको रोकने की कोशिश की जाय। तो मैं बड़े अदब के साथ यह कहना चाहता हूं कि जब तक यह इन्क्वायरी मुकम्मल न हो जाय तब तक यह वसूली बन्द की जाय और किसानों को इस मुसीबत से नजात दिलायी जाय। इन्हीं चन्द सुझावों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री राम करन (जिला गोरखपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, इस सहकारिता विभाग के ऊपर जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया है उसके लिये मैं आपको बधाई देता हूं। आपके माध्यम से मैं सहकारिता मंत्री का ध्यान कुछ चीजों की तरफ खींचना चाहता हूं। यह सही है कि सहकारिता विभाग जनतंत्र की बुनियाद है। सहकारिता विभाग से ही जो यह इतना बड़ा सूबा है, इतनी बड़ी जनसंख्या है और इतनी बड़ी गरीबी और बेकारी है इसका उद्धार हो सकता था। लेकिन यह खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि २२ वर्ष की आजादी के बाद सहकारिता विभाग, जिससे इतनी उम्मीदें थीं, उसके ऊपर आज जितने भी साथी बोल रहे हैं उनको केवल एक ही दृष्टि है कि सहकारिता विभाग के अन्दर भ्रष्टाचार है।

मैं इसकी तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान खींचना चाहता हूं कि सहकारिता विभाग ने जो यह तमाम बहुधन्धी योजनाएं खोल दी हैं, कोआपरेटिव बैंक, लैंड मार्गेज बैंक, कोआपरेटिव फेडरेशन, कन्ज्यूमर्स सोसाइटी, ये जो सारी चीजें अलग अलग हैं इन सबका कोआर्डिनेशन होना चाहिये।

दूसरे, बैंकों का नेशनलाइजेशन हो जाने के बाद कोआपरेटिव बैंक का भविष्य खतरे में दिखता है। किस कारण? साढ़े ६ परसेंट तो सूद देगा और साढ़े ६ परसेंट पर किसान को जायगा। इस तरह से अगर बैंकों के नेशनलाइजेशन से किसान को सस्ते रेट पर कर्जा मिलेगा तो फिर कोआपरेटिव बैंक का क्या फ्यूचर होगा, सहकारिता मूवमेंट का क्या फ्यूचर होगा, यह बात समझ मे नहीं आती। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इधर ध्यान दें। पिछली बार को-आपरेटिव की एक स्टैंडिंग कमेटी बनी और उसमें यह सारे प्रश्न आये, कोआपरेटिव डिपार्टमेंट के संचालन के बारे में, कोआपरेटिव बैंक का सुधार कैसे किया जाय, बैंक में जो फर्जी तरह से लोगों को लोन मिलता है, आदि-आदि, ये सारी चीजें उसके सामने आयीं। मुझे खेद के साथ कहना पड़

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रहा है, मंत्री जी इस बात को नोट कर लें और अपने डिपार्टमेंट्स से इस बात को पूछें कि तीन महीने का मौका मिला था कि यह कमेटी रिपोर्ट बना कर अपने सुझाव दे कि किस प्रकार से यह कोआपरेटिव मूवमेंट हमारे प्रदेश में आगे बढ़ सके ।

महाराष्ट्र के कोआपरेटिव मूवमेंट को, मद्रास के कोआपरेटिव मूवमेंट को देखा जाय, दोनों प्रदेशों में काफी तरक्की हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जहां सबसे गरीब और खेतिहर लोग रहते हैं उनकी बड़ी दुर्दशा है। मैं कहना चाहता हूं कि अधिकारी जो कोआपरेटिव डिपार्टमेंट के हैं और सचिव जो हैं उन्होंने इस बात की कोशिश नहीं की बावजूद इसके कि ३–३, ४-४ बार मैंने निवेदन किया, टेलीफोन से कहा, लिख कर दिया। फिर भी सचिव महोदय ने मीटिंग नहीं बुलाई। उसका कारण था। मैंने चार्ज लगाया था कि कोआपरेटिव मूवमेंट गरीब का, किसानों का है उनका एक कोआपरेटिव बैंक बनाया जाय। आज किसान भूखों मर रहा है, उसके तन पर कपड़ा नहीं है और दूसरी तरफ पी० सी० यू० की बिल्डिंग खड़ी है जोकि किसानों के पैसे से बनायी गयी इसलिए कि किसान आयेगा तो वह उसका रेस्ट हाउस होगा, उसमें रह कर वह अनुभव करेगा कि हम सहकारी आन्दोलन में हैं। लेकिन उसे अफसरों ने ऐसी जगह बना दिया जो विलासिता की जगह है। कोआपरेटिव बैंक विलासिता की जगह बना है। अगर विलासिता का स्थान होगा तो किसानों और गरीबों का भला नहीं हो सकता । अगर इस मूवमेंट को ठीक ढंग से चलाना है तो इसका सर्वे कराया जाय, गड़बड़ियों को देखा जाय और छानबीन करायी जाय कि क्या कारण है कि चाहे कंज्यूमर स्टोर हो, सुपर मार्केट हो सब चीजों में घाटा हो रहा है।

एक बात कहना चाहता हूं कि कोआपरेटिव डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश का किस तरह से ठीक हो पायेगा? इतनी जबरदस्त शोहरत है कि कोआपरेटिव विभाग में अगर मंत्री घूस देकर मंत्री हो सकता है तो कोआपरेटिव डिपार्टमेंट, उत्तर प्रदेश में कभी भला नहीं हो सकता और न हो पायेगा। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री सतीशचन्द्र––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़े आनन्द का विषय है कि मेरे कटौती प्रस्ताव के बाद दोनों पक्षों के जितने व्यक्तियों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं उन सब में एक ऐसा साम्य है कि जो इस बात को प्रकट करता है कि सदन के सब माननीय सदस्य एक ही तरह से विचार करते हैं और प्रदेश की समस्याओं का एक ही हल सब के दिमाग में है। अब यह बात दूसरी है कि राजनैतिक कारणों से कोई किसी का विरोध करे या पक्ष करे । मैं सब से पहले लखनऊ के श्री रामपाल त्रिवेदी जी को बधाई दूंगा उन्होंने अपनी पूरी भावनाएं मेरे प्रस्ताव के समर्थन में व्यक्त की हैं और उन्होंने लखनऊ के बारे में विशेषतया जो बातें मंत्री जी को बतायीं वह सब सच हैं । लखनऊ कोआपरेटिव में इतनी ज्यादा गड़बड़ी चल रही है जिसको अगर ठीक तरह से नहीं देखा गया तो उसका नतीजा बहुत गलत होगा।

यहां पर डायरेक्टर्स ने जो छोटे-छोटे कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है वह भी देखने का विषय है। उनको तो जानबूझ कर परेशान किया जा रहा है और वह भी यह समझ कर कि उनकी पीठ पर कुछ बड़े लोग हैं। माननीय विश्वनाथ जी ने भी शासन के भ्रष्टाचार के विषय में जो बातें कह कर शासन को आगाह किया है जिससे सहकारिता ठीक तरह से चले उसके लिए भी मैं उन्हें बधाई देता हूं । माननीय कन्हैयालाल जी ने बहुत स्पष्टतया प्रस्ताव का समर्थन किया है और सभी समस्याओं के बारे में शासन को आगाह किया है। प्यारेलाल जी ने फर्जी कार्यवाही इत्यादि के बारे में आपको चेतावनी दी है अगर उसकी जांच नहीं करायी गयी तो वहां के विभाग में भ्रष्टाचार बढ़ता जायगा। सरदार जी ने जो सुझाव दिये हैं वह भी सही है और तिवारी जी ने ९५ परसेंट सोसाइटीज में सालाना जलसे नहीं होते हैं, यह कह कर बहुत बड़े तथ्य की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया है।

[श्री सतीश चन्द्र]

ये सब ऐसी बातें हैं जिनकी ओर अधिक ध्यान देना चाहिये नहीं तो मूवमेंट केवल मुंह पर और कागजों पर रह जायगा। माननीय शास्त्री जी ने जो बातें बताई हैं कि पुराने बजट में और नये बजट में कोई विशेष अन्तर नहीं है, समाजवाद के नाम पर और सहकारी आन्दोलन के नाम पर जो आगे बढ़ने वाली बात थी वह इसमें नहीं आई है उससे मैं सहमत हूं। नेतराम नोमानी और रामचरण जी ने जो बातें कहीं हैं उनसे मैं एक बात ही निकालता हूं कि वह कटौती के प्रस्ताव पर सहमत हैं और सब एक मत हैं कि जितना भ्रष्टाचार सहकारिता विभाग में व्याप्त है वह दूर होना चाहिये।

अब मैं बदायूं सहकारी उपभोक्ता भंडार के बारे में कहना चाहता हूं कि चार साल से उसके चुनाव नहीं हुये हैं और हिसाब-किताब सदस्यों को नहीं पहुंचे हैं। कोआपरेटिव की जो जीप है वह व्यक्तिगत कामों के लिये इस्तेमाल की जाती है और जब सरकारी कामों के लिये जरूरत होती है तो किराये पर ली जाती है। इस पर रोक लगाने की आवश्यकता है।

माननीय कन्हैयालाल जी ने जो सुझाव दिया उस को मैं पसन्द करता हूं और उस पर जोर देता हूं कि हरिजनों का प्रतिनिधित्व सहकारिता विभाग में किसी क्षेत्र में नहीं है। तो उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिये।

किसानों के नाम अभी तक जो रुपया दिया जाता है वह उनको न मिल कर कम्पनी को चला जाता है। मेरा निवेदन है कि उनको सीधे चेक मिलना चाहिये और उनको अधिकार दिया जाय जिससे उसको कैश में परिवर्तित कर सकें और जहां से चाहें अपनी तबियत से खरीद सकें। यह अगर किया गया तो मैं समझता हूं कि अच्छा परिणाम निकलेगा। इसलिये मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री लक्ष्मीशंकर यादव---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन तमाम माननीय सदस्यों को जिन्होंने इस विवाद में हिस्सा लिया और अपने कीमती सुझाव दिये धन्यवाद देता हूं। जितने भी सुझाव दिये गये हैं मैं उनको देखूंगा और उन पर विचार करूंगा और जहां तक संभव होगा उन पर अमल करने की कोशिश करूंगा। कई सुझाव आये हैं, उन पर मैं कुछ कह देना चाहता हूं। एक तो सूद के विषय में है। माननीय शर्मा जी ने कहा कि रिजर्व बक से २ फीसदी पर सूद लिया जाता है। ऐसी बात है नहीं। पूरी बात इस तरह से है कि ऋण रिजर्व बैंक से लिया जाता है, ३ और साढ़े तीन परसेंट पर फिर यू० पी० कोआपरेटिव बैंक पौने चार परसेंट पर जिला बैंकों को देता है और फिर जिला बैंक साढ़े छः प्रतिशत पर प्रारम्भिक सोसाइटीज को देता है और फिर वहां से प्रत्येक सदस्य को ९ प्रतिशत पर मिलता है। रिजर्व बैंक से जो यू० पी० कोआपरेटिव बैंक को धन मिलता है तीन और साढ़े तीन परसेंट पर वह केवल २६ करोड़ होता है और २८ करोड़ रुपया डिपाजिटर्स का जमा होता है जिस पर यू० पी० कोआपरेटिव बैंक को साढ़े तीन से साढ़े छः परसेंट तक देना होता है जो औसतन् पांच से साढ़े पांच परसेंट तक देना पड़ता है। तो इस तरह से यूनीफार्म रेट जिलों को देने के लिए पौने चार परसेंट पर बनाया गया है। इसलिए मैं यह समझता हूं कि यह नहीं कहा जा सकता कि इसमें कोई बेइन्साफी है।

दूसरी बात भ्रष्टाचार के बारे में कही गई। माननीय नोमानी जी, रामकरन जी और आखिर में शर्मा जी ने भी कहा लेकिन सबसे पहले तो मैंने ही कहा था यह कह कर कि भ्रष्टाचार है, खराबी है। परन्तु सभी माननीय सदस्यों ने बताया कि कोआपरेटिव मूवमेंट का महत्व है। जब इसका महत्व है तो अगर कोई खराबी इसमें आ गई हैं तो उसको निकालने की कोशिश होनी चाहिए। जैसा माननीय नोमानी जी ने बताया कि फर्जी तौर से उनका नाम दर्ज हो गया। मैंने तो पहले ही कहा कि फर्जी नाम दर्ज हो जाते हैं। इन सभी की दवा

है कि पैसा चेक से मिले। दूसरी बात जो और ज्यादा चर्चा में आई वह ट्रांस्फर इंट्री की या पेपर ट्रांजेक्शन की थी। पैसा वापस होता नहीं है और प्रोनोट बदल दिए जाते हैं। कुछ लोग कुछ प्रतिशत कमीशन खा जाते हैं, सूद जोड़ कर लगा लेते हैं लेकिन पैसा न वापस होता है और न कर्जा दिया जाता है। इसकी भी दवा वही चेक है। जितनी बातें बैंकों के बारे में कही गईं उनसे यह निष्कर्ष निकला कि अगर चेक से पेमेंट हो, चेक योजना सारे प्रदेश में हो सके तो यह सब गड़बड़ी बन्द हो जायंगी। इसमें दिक्कत है शाखायें कम हैं लेकिन जहां हो जायगा वहां उम्मीद है यह शिकायतें नहीं रह जायंगी। माननीय शास्त्री जी ने अशासकीय-करण के लिए कहा। इस ओर सरकार कितनी बढ़ी है इसको मैंने पहले ही कहा है। शास्त्री जी ने कहा कि इन संस्थाओं में जो सचिव होते हैं उनके अधिकार ज्यादा होते हैं। शायद शास्त्री जी को ज्ञात नहीं है कि बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स ही सचिव को मुकर्रर करते हैं। सरकार की तरफ से कुछ शर्तें हैं उन शर्तों पर जो नाम बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स भेजते हैं उस की स्वीकृति रजिस्ट्रार देता है। इसलिये जो सचिव है वह सरकारी अधिकारी नहीं है बल्कि संस्था के अधिकारी हैं और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि सरकार का उसमें कोई दखल है।

दूसरी चीज, फैजाबाद में, माननीय सदस्य कपूर जी ने कुछ सोसायटियों के लिए कहा कि सोसायटी डिफाल्टर होती है तो भी उनको बैंक से कर्जा देना पड़ता है। असल में जहां हाई ईल्डिंग वेरायटी का प्रोग्राम चलता है, वहां पर यह है कि खाली इस नाते कि कृषि उत्पादन का कार्य न रुके, थोड़े से लोग डिफाल्टर हो गए तो और लोगों को भी न मिले ऐसा न हो जाय, वहां के लिए यह जरूरी है कि किस प्रतिशत में वसूली हुई इसका बगैर ख्याल किये हुए, अगर कोई इंडिवीजुअल सदस्य बकायेदार नहीं है तो वह कर्जा पाने का मुस्तहक होता है।

बीज के बाबत कहा गया कि हाई ईल्डिंग वैराइटी का जो बीज है उसमें जो वापस होता है वह अच्छा नहीं होता हैं जितने हाई ईल्डिंग वैराइटी के बीज हैं वह अब नकद बेचे जाएंगे। अब उसका सवाल नहीं है। बीज एन० सी० डी० सी० का एप्रूव किया हुआ होता है, उसी को दिया जाएगा और नकद दिया जाएगा। तो खराब बीज का सवाल अब नहीं है। इसके अलावा दूसरे जो बीज होते हैं उनमें अगर सवाई में खराब बीज वापस होने का सवाल होता है तो खराब वितरित नहीं किया जाता, अच्छा लेकर वितरित किया जाता है। इसी तरह से और भी जो सुझाव है उन पर विचार किया जाएगा और जो कुछ हो सकता है वह सब किया जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या २४––सहकारिता के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २४––सहकारिता के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,७६,८०,७०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

आज नियम ५६ के अन्तर्गत तीन सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। एक माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी और....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, मेरा एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव है।

श्री उपाध्यक्ष—

वही बता रहा हूं।

(व्यवधान) आप लोग शान्त रहें।

माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी और माननीय हरीनाथ तिवारी ने मऊनाथ भंजन में नक्सलवादियों द्वारा गोपनीय शिविर का आयोजन तथा प्रदेश में नक्सलवादियों द्वारा हिंसक गतिविधियों के सम्बन्ध में दिया है। इसको नियम ५१ के अन्तर्गत स्वीकार किया है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी —

हमने एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया है कि २७ मई को ८ रोज तक नक्सलपंथियों का कैम्प.....

श्री उपाध्यक्ष—

इसके बाद आपको समय दिया जायगा।

दूसरा श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री राम विलास पांडेय और श्री राम कुंवर सिंह का है। वह कहते हैं कि १०-६-१९७० को कानपुर में एक व्यक्ति द्वारा विदेशों को २,५०० चिड़ियां तस्करी व्यापार के रूप में भेजे जाने के बारे में है। इसको स्वीकार नहीं किया गया है।

तीसरा श्री रामधारी शास्त्री का है। वह कहते हैं कि सूचना मंत्री द्वारा टाइम्स आफ इंडिया व नव भारत टाइम्स दैनिक पत्रों को विज्ञापन न देने के तथ्य को स्वीकार करने के सम्बन्ध में है। इसको भी स्वीकार नहीं किया गया है।

माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी और माननीय त्रिवेणी सहाय जी का खीरी नेपाल सीमा स्थिति सुरक्षित वन क्षेत्र की भूमि पर ३ हजार नक्सलपंथियों द्वारा कब्जा करने के बारे में है। इसको नियम ५१ में स्वीकार किया गया है।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सुरेन्द्र विक्रम, माननीय महरम सिंह और माननीय राजाराम यादव का श्री हाजी शहजाद खां द्वारा श्री इब्राहीम पुत्र श्री अहमद खां, मुहल्ला हाजीपुरा, थाना फिरोजाबाद, आगरा के घर में आग लगाना व गुन्डों द्वारा मरवाना तथा पिटवाने से आतंक के बारे में है। इसको स्वीकार नहीं किया गया है।

इसके बाद श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य और श्री शंकर प्रसाद जायसवाल जी का है कि अमरोहा मुस्लिम कमेटी के प्रधान श्री आफताब अहमद के कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा साम्प्रदायिक तनाव पैदा करने के सम्बन्ध में घोषणा किये जाने के विषय में है इसको स्वीकार नहीं किया गया है।

एक माननीय सुरेन्द्र विक्रम, माननीय विश्वनाथ कपूर, माननीय गिरजा शंकर तिवारी और माननीय कृष्णानन्द राय का है कि फैजाबाद जिले के अधिकारियों का टांडा उप चुनाव के उपरान्त भारी पैमाने पर तबादला के सम्बन्ध में है। इसको स्वीकार नहीं किया गया है ।

एक माननीय अनन्तराम जायवाल और माननीय मोतीलाल देहलवी का है कि २-६-१९७० को मुरादाबाद के गजरौला क्षेत्र के संसोपा के क्षेत्रीय मंत्री श्री शमसुल हसन पर ग्राम प्रधान गजरौला द्वारा प्राण घातक हमले के बारे में है। इसको भी स्वीकार नहीं किया गया है । एक माननीय हुकुम सिंह परिहार का है कि आगरा जिले की तहसील फिरोजाबाद में चेचक के प्रकोप से मृत्यु के सम्बन्ध में है । इसको भी स्वीकार नहीं किया गया है । एक श्री गोविन्द सिंह नेगी का है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत कार्य करने वाले मजदूरों का सन्तोषजनक रूप में स्थायी न करने के फलस्वरूप विधान भवन के समक्ष उत्तर प्रदेश पी० डब्लू० डी० फेडरेशन के दो नेताओं द्वारा अनशन के बारे में है। इसको भी स्वीकार नहीं किया गया है ।

एक श्री श्रीशचन्द्र अग्रवाल और श्री रघुनाथ सिंह जी का है कि जिला हरदोई के कस्बा माधव गंज में नक्सल पंथियों द्वारा श्री आदित्य नारायण पाठक की हत्या के बारे में है। इसको केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मैंने जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया वह बहुत गम्भीर है और महत्व का है। यह उसमें बताया है कि मऊनाथ भंजन में २७ तारीख से ८ रोज तक नक्सल पंथियों का शिविर लगा। ३०० आदमी वहां पर रहे। कानपुर से २०० विद्यार्थी वहां गये। ऐसे ही और जिलों से भी १००-५० आदमी वहां पर गये। वह संख्या बहुत थी पर ३०० अब बताई जाती है। असलहा भी वहां लाये गये और उनको उसको चलाने की ट्रेनिंग दी गई। वहां बध करने के लिए एक सूची बनी कि किस जिले में कितने योग्य आदमी हैं उनका बध किया जाय। उनकी हत्या की जाय। उनके आदमी सारे प्रान्त में फैले हुये हैं और लोगों के अन्दर एक आतंक पैदा हो गया है। हमारी पुलिस का ऐसा हाल है कि उसको पता भी नहीं है कि कितने आदमी वहां पर जमा हुये और कितने दिनों तक वहां पर शिविर चला। इनसे चारों तरफ आतंक फैल गया है। अगर इसको नहीं माना गया तो तो इससे महत्व का और कौन प्रश्न होगा ? इनका चारों तरफ प्रचार हो रहा है। और चारों तरफ ट्रेन्ड आदमियों को भेजा गया है। इससे अधिक और कोई महत्व का प्रश्न नहीं हो सकता है। उन्होंने एक लिस्ट बनाई है कि किन-किन लोगों की हत्या करना आवश्यक है।

श्री रघुनाथ सिंह (जिला कानपुर)—

मैंने एक नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना दी थी जिसका सम्बन्ध सारे सदस्यों के जीवन से है। उसमें और लखनऊ के बारे में भी समाचार पत्रों में निकला है। इसकी वजह से प्रदेश की शांति व्यवस्था को खतरा पैदा हो गया है ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो मैं ५६ और नियम ५१ के विषय में सुन रहा हूं। ५२ वाले तो बाद में लिये जांयगे।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

उपाध्यक्ष जी, मैंने भी एक नियम ५६ में दिया था कि हमारे प्रदेश से लाखों की तादाद में चिड़ियां पकड़ कर बाहर भेजी जा रही हैं, यह चिड़ियां फसल के लिये बहुत उपयोगी होती हैं .....।

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें ढाई हजार चिड़ियों का लिखा है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

यह तो एक बार का १० जून को भेजी गई चिड़ियों की संख्या है लेकिन इस के अलावा न मालूम कितनी चिड़ियां पकड़ कर भेजी जा रही हैं और उनसे लाखों रुपया कमाया जा रहा है और वह विदेशों को जा रही हैं। इससे हमारी फसल को भारी क्षति हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष—

इसके विषय में आप अल्पसूचित प्रश्न कर लें।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

श्रीमन्, आप देखें कि आज ही सदन में ३ सवाल नक्सलपंथियों के बारे में उपस्थित किये गये हैं, एक हरदोई का है और एक श्री माधव प्रसाद जी का है और इसी तरह से एक सवाल आज मेरा है। लखीमपुर खीरी में २० एकड़ जमीन पर नक्सलपंथियों ने कब्जा कर लिया है .....।

श्री उपाध्यक्ष—

आप का भी स्वीकार हुआ है और श्री माधव प्रसाद का भी नियम ५१ में स्वीकार हुआ है, जहां तक नियम ५६ में लेने की बात है वह अध्यक्ष जी से बात कर लेंगे।

श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)—

एक सूचना नियम ५१ में मैंने भी दी थी कि मुस्लिम कमेटी के चेयरमैन श्री आफताब अहमद के कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा साम्प्रदायिक तनाव पैदा करने के सम्बन्ध में घोषणा की है और वहां पर मुसलिम बन्धुओं और कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने मिलकर एक सिनेमा पर हमला किया जिसमें प्रेम पुजारी पिक्चर दिखाई जा रही थी और जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ कुछ दिखलाया गया है, वह सिनेमा बन्द पड़ा हुआ है, उसको खोला जाय और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय जो ऐसे उपद्रव करते हैं। हमारी सरकार इस तरह के साम्प्रदायिक दल और व्यक्तियों के खिलाफ और कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ कदम उठाने में उदासीन बैठी है और इस तरह के लोग प्रदेश की शांति और सुरक्षा को समाप्त करना चाहते हैं। यह मुसलिम लीग है, मुसलिम जमाअत और कम्युनिस्ट पार्टी तीनों मिलकर प्रदेश में उपद्रव कराना चाहते हैं। मेरा यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इस पर सरकार का ध्यान अविलम्ब जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

आप अल्प सूचित प्रश्न कर दें तो आप के सवाल का उत्तर आ जायगा।

श्री शिव कुमार (जिला सुल्तानपुर)—

मैंने भी श्रीमन्, नियम ४९ में एक प्रश्न चर्चा के लिये दिया था.....

श्री उपाध्यक्ष—

अभी तो नियम ५१ और ५६ पर चल रहा है, उस पर अध्यक्ष महोदय फैसला करेंगे तब निर्णय होगा ।

श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा-फतेहाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रश्न नियम ५१ का था जिसमें मैंने लिखा था कि आगरा जिले की तहसील फिरोजाबाद में १०० बच्चे चेचक के प्रकोप से पीड़ित हुये हैं और एक एक गांव में ६–६ बच्चों की मृत्यु हुई है।

श्री उपाध्यक्ष—

इस कार्य सूची में आज की आप का नहीं है ।

श्री हुकुम सिंह परिहार—

मेरा है आज की सूची में, वह आप नें बताया है। यह चेचक का प्रकोप फिरोजाबाद में बहुत व्यापक है और वहां एक एक गांव में ६–६ बच्चों की मृत्यु हुई है और जनता वहां पर बहुत अधिक परेशान है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप प्रश्न कर लें, सरकारी काम तो होगा ही, काम करने की जरूरत है ।

श्री हुकुम सिंह परिहार—

वहां पर लोगों की जिन्दगी खतरे में है और हजारों बच्चे चेचक से पीड़ित हैं, भारी प्रकोप वहां पर है और कोई समुचित इलाज की वहां व्यवस्था नहीं हुई है ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने कहा कि आप प्रश्न कर लें ।

श्री रघुनाथ सिंह—

श्रीमन्, मेरा प्रश्न नियम ५२ में विचाराधीन है ?

श्री उपाध्यक्ष—

वह अध्यक्ष जी के पास होगा, मैं नहीं कह सकता कि निर्णय उस पर हो गया या नहीं, अगर कर लिये होते तो वह आ जाता । इसलिये मैंने कहा कि वह अभी विचाराधीन है । अभी फैसला इधर या उधर नहीं हुआ है । वह आप को निश्चित सूचना देंगे इसके बारे में ।

राजकीय सीमेन्ट फैक्टरी डाला, मिर्जापुर के क्षेत्र में दो स्त्रियों के साथ सीमेन्ट फैक्टरी के तीन कर्मचारियों द्वारा कथित बलात्कार के बारे में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह उप मंत्री (श्री ओमप्रकाश सिंह)—

दिनांक ४–४–७० को श्रीमती कबूतरी पत्नी हरचन्द निवासी ग्राम जोगी डीह तथा श्रीमती विरंजिया पत्नी राम वृक्ष निवासी ग्राम मुरघवा हाल निवासी डाला जिला मिर्जापुर ने, एक प्रार्थना–पत्र पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर के सामने प्रस्तुत किया था जिसमें सीमेन्ट फैक्टरी डाला, मिर्जापुर के कतिपय कर्मचारियों के विरुद्ध बलात्कार करने आदि की शिकायत की गई थी ।

[श्री ओम प्रकाश सिंह]

उक्त प्रार्थना–पत्र पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर के आदेशानुसार थाना कोतवाली पर उसी दिन धारा ३७६/१४७/३४२/३८४ भा० दं० वि० के अन्तर्गत एक मुकदमा कायम किया गया और प्रार्थना पत्र देने वाली स्त्रियों का डाक्टरी परीक्षण भी कराया गया ।

उक्त मामले की जांच जारी है । अब तक की जांच से यह मामला झूठा प्रतीत होता है अतः कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है ।

(श्री हुकुम सिंह परिहार के वक्तव्य के मध्य ही व्यवस्था का प्रश्न उठाने के उपक्रम पर)

श्री उपाध्यक्ष---

जब माननीय मंत्री वक्तव्य पढ़ रहे हैं, उसके बाद ही आप कह सकते हैं ।

(वक्तव्य समाप्त होने पर)

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जांच क्या सीमेन्ट फैक्टरी डाला के सेक्योरिटी आफिसर करा रहे हैं और एक मुजरिम त्रिभुवनसिंह उनके क्लर्क हैं ?

श्री ओमप्रकाश सिंह---

इसकी जांच तो एस० ओ० करा रहे हैं ।

श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)---

क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बतायेंगे कि अभी यह सब घटना हुई । दो अढ़ाई महीने हो रहे हैं लेकिन उसमें चूंकि फैक्टरी के सेक्योरिटी आफिसर और वहां के डी० वाई० एस० पी० हैं उनमें दोस्ती है । सेक्योरिटी आफिसर ने डी० वाई० एस० पी० पर दवाब डाला है और जो जांच हो रही है जिनके विरुद्ध आरोप हैं उन अभियुक्तों ने उनकी झोपड़ियों को हटाकर वहां से भगा दिया है ताकि जांच ठीक ठीक न हो सके ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

श्रीमन, ऐसी कोई सूचना नहीं है कि जो कथित अभियुक्त हैं उन्होंने उनको भगा दिया है ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

श्रीमन, अभी वक्तव्य में कहा गया कि जांच जारी है और यह मामला झूठा है । तो यह जांच जो जारी है यह किसी तथ्यों के आधार पर करा रहे हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

अब तक की जांच से पता चला है कि वह मामला झूठा है । आगे भी जांच हो रही है ।

श्री रामप्यारे---

जो डाक्टरी मुआयना हुआ है उसकी क्या सूचना है ?

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)---

उपाध्यक्ष महोदय, एक रेप का मामला है, मामूली सा मामला । रोज ऐसे जुर्म होते हैं । हाउस में उठाया गया कि क्या मैडिकल रिपोर्ट आई है । मैं तो आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इसकी जांच हुई होगी । आपको यह अधिकार हासिल है, हम तो इसको पढ़ दें ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि [× × × ×] का मुख्य मंत्री ऐसा जवाब दे सकता है। स्त्री जाति का मामला है। मैं यह कहना चाहता हूं कि.....।

श्री उपाध्यक्ष—

आप सारे प्रदेश को जंगली बना देंगे। ये शब्द वापिस लें।

(व्यवधान व शोर)

आप प्रश्न करें। प्रश्न आक्षेपपूर्ण नहीं होना चाहिये।

(व्यवधान व शोर)

(अनेक सदस्यों का एक साथ बोलने का प्रयास करने पर)

(अत्यन्त शोर)

आप यह शब्द वापस लीजिये। अगर आप प्रश्न करना चाहें तो जो नियम हैं उनके अनुसार प्रश्न कर सकते हैं वक्तव्य की जानकारी के संबंध में। लेकिन जिस तरह से अदालत में कोई जानकारी की जाती है उस तरह से पूछने की इजाजत नहीं होगी।

श्री चरण सिंह—

सवाल यह है कि रोजाना यही बात होती है और इस तरह के आक्षेप लगाये जाते हैं जो नहीं होने चाहिये। सवाल यह है कि उन्होंने जो लफ्ज कहे वे उसे वापस लें।

(शोर)

श्री अनन्तराम जायसवाल—

इनको माफी मांगनी पड़ेगी सदन में। माननीय मुख्य मंत्री ने कैसे यह कहा कि रेप साधारण घटना है। ऐसी घटनायें हुआ ही करती हैं। मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि जिस देश में रेप जैसी घटना साधारण मानी जायेंगी.....

(व्यवधान)

जिसके लिये माननीय मुख्य मंत्री अपनी राय जाहिर करते हैं मान्यवर, जहां पर बिलकुल [× × × ×] रहती हैं, वहीं के लोग ऐसी राय रखते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

उन्होंने जो सामान्य स्थिति है उसको रखा।

(व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल—

यह सामान्य नहीं, असामान्य स्थिति है। (शोर)

श्री उपाध्यक्ष—

बुराई की जड़ के लिये आप, हम और सारा प्रदेश जिम्मेवार हो सकता है।

[× × ×] श्री उपाध्यक्ष की आज्ञानुसार निकाल दिया गया।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जो प्रदेश का मंत्रिमंडल संभालते हैं वे जिम्मेदार हो सकते हैं । (शोर) एक अबला का सतीत्व इस तरह से लूटा जाय और इस प्रदेश का मुख्य मंत्री [× × ×] यह कहे....

(अत्यन्त शोर)

उनको माफी मांगनी पड़ेगी क्या मजाक बना रखा है.....

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर २० मिनट पर बुधवार, १७ जून, १९७० के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
१२ जून, १९७० ।

[× × ×] श्री उपाध्यक्ष की आज्ञानुसार निकाल दिया गया ।

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३८(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५०९ पर]

तालिका "क"

मथुरा जिले के जू० हा० स्कूलों की सूची जिन्हें २३-११-६८ से अब तक (३०-४-७०) मान्यता प्रदान की गयी ।

क्रम सं०	विद्यालयों का नाम	मान्यता स्थायी अथवा अस्थाई
१	श्री कृषक जू० हा० स्कूल, बैरी	स्थाई
२	जमुनालय मनकामेश्वरी विद्यालय, राया	,,
३	जमुना प्रसाद श्री राम, सुरीर	,,
४	श्री हलधर विद्यापीठ जू० हा० स्कूल, बल्देव ..	,,
५	श्री लोक मान दास गनपत स्वरूप विद्यालय, आवरोखेड़ा ..	,,
६	ग्राम स्वावलम्बी जू० हा० स्कूल, सोंज ..	,,
७	श्री दीप बद्ध जू० हा० स्कूल, नौगांव	,,
८	आर्या विद्यालय ऊचा गावं, रसमई	,,
९	किसान जू० हा० स्कूल, नैरा	,,
१०	जनता जू० हा० स्कूल, न जंगली, नैनूपटीश	,,
११	आदंश जनता जू० हा० स्कूल, अड़ीग	,,
१२	आदर्श जू० हा० स्कूल, मिठौली	,,
१३	श्री लाल बहादुर शास्त्री, जू० हा० स्कूल, जलसररोड ..	,,
१४	श्री बृज हितकारी जू० हा० स्कूल, बाजमा	,,
१५	श्री राधाकृष्ण जू० हा० स्कूल, उसफान	,,
१६	श्री मूंल चन्द जू० हा० स्कूल, नीमगांव	,,
१७	श्री हरि प्रसाद जू० हा० स्कूल, बिसायर	,,
१८	श्री कृष्ण चैतन्य जू० हा० स्कूल, नन्द गांव	,,
१९	श्री जुगल किशोर आचार्य आवासिक जू० हा० स्कूल जमुना पार, मथुरा	,,
२०	शारदा क्रीड़ा व्यवस्थापिका जू० हा० स्कूल, बरोठ ..	,,
२१	लाखा जू० हा० स्कूल बीरवाला, हरनाल	,,
२२	राधा गोपाल जू० हा० स्कूल, राया	,,
२३	श्री बृज किसान जू० हा० स्कूल, टंटीगांव	,,
२४	श्री बछयन बिहारी ए० हा० स्कूल, सेही	,,
२५	जू० हा० स्कूल, सेरसा	,,
२६	जनता जू० हा० स्कूल, तसीगूं	,,
२७	जू० हा० स्कूल, दौलतपुर	अस्थाई
२८	श्री राधा कृष्ण जू० हा० स्कूल, मोदीपुर	,,
२९	किसान जू० हा० स्कूल, साहाबाद	,,
३०	सुबटी देवी झुंझनवाला, जू० हा० स्कूल, बृन्दावन ..	,,
३१	सरस्वती शिशु मंदिर जू० हा० स्कूल, बृन्दावन	,,

तालिका 'ख'

मथुरा जनपद के मान्टेसरी विद्यालयों की सूची जिन्हें २३-११-६८ से अब तक (३०-४-७०) मान्यता प्रदान की गई ।

क्रम-सं०	विद्यालय का नाम	मान्यता स्थायी अथवा अस्थायी
१	मध्य रेलवे मान्टेसरी विद्यालय, मथुरा	स्थाई
२	राम कृष्ण शिशु निकेतन, वृन्दावन	,,
३	आदर्श शिशु मन्दिर, कोसी कला	,,
४	सरस्वती शिशु मन्दिर, मथुरा	,,
५	ज्ञान दीप मान्टेसरी विद्यालय, मथुरा	,,
६	न्यू मान्टेसरी विद्यालय, मथुरा	,,
७	सुकटी देवी झुंझनू वाला शिशु मन्दिर, वृन्दावन	अस्थाई
८	सरस्वती शिशु सदन काजी पाड़ा, मथुरा	,,
९	सरस्वती शिशु सदन, वृन्दावन	,,

तालिका "ग"

मथुरा जनपद के जू० हाई स्कूलों की सूची जिनको मान्यता हेतु प्रार्थना-पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में विचाराधीन है ।

क्रम-सं०	विद्यालय का नाम	मान्यता स्थायी अथवा अस्थायी
१	श्री बैजनाथ माथुर चतुर्वेदी विद्यालय जू० हा० स्कूल, डैम्पियर नगर, मथुरा ।	

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३८ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५१४ पर]

विवरण

सुझाव	की गई कार्यवाही का विवरण
१—कुमाऊं वन तथ्य निरूपण समिति की संस्तुति पैरा १४४ के अनुसार लोगों को हक–हकूक मिलना चाहिये परन्तु ये वास्तव में नहीं दिये जा रहे हैं। फतेहपुर और कालाढूंगी के लोगों की शिकायतें हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है।	१—वन बन्दोबस्त में निर्धारित हक–हकूक व रियायतों को वनों की क्षमता के अनुसार दिया जा रहा है भरसक प्रयास यही किया जाता है कि इन हकूक व रियायतों में कोई कमी न की जाय। कालाढूंगी तथा फतेहपुर में स्थित ग्रामवासियों को पूर्ववत सालाना हकूक हर वर्ष दिया जा रहा है।
२—(क) उक्त समिति के पैरा १६३(५) व (८) के अनुसार १६६४ में हुये आदेशों के अनसार गांव वालों के हक–हकूक के लिये कमेटी बनाई जावेगी लेकिन कहीं भी इसका पालन नहीं हुआ।	२—(क) ऐसी कमेटियां जिले के सब गांवों में बना दी गई हैं।
(ख) जिन अधिकारियों व कर्मचारियों ने शासन को यह गलत रिपोर्ट दी है कि हक–हकूक मिल रहे हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जानी चाहिये।	(ख) यदि यह बतला दिया जाय कि किस गांव वालों के हक के बाबत अधिकारियों ने गलत रिपोर्ट यह दे दी है कि उनको हक-हकूक मिल गये हैं तो उसकी जांच की जायगी और आवश्यक कार्यवाही की जायगी।
३—पैरा २६१ के अनुसार गोठिया, कबाड़ी धमतप्पा आदि लोगों को झोपड़ियों के लिये कोरों, बल्ली, घास आदि उदारतापूर्वक दिये जाने की संस्तुति थी परन्तु अब शासन उसमें से "उदारतापूर्वक" शब्द निकाल रहा है।	३—गोठियों, घामतप्पा व कवाड़ियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार झोपड़ियों के लिये कोरों, घास, बल्ली इत्यादि दी जा रही है। इसलिए "उदारतापूर्वक" शब्द निकाल देने से उक्त लोगों की आवश्यकता की पूर्ति होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
४—पैरा २७८(६) में स्थानीय जनता को झापा मुण्डी एकत्र करने की सुविधापूर्ववत बनाये रखने की बात थी परन्तु अब ऐसा नहीं हो रहा है।	४—पैरा २७८ (६) के अनुसार स्थानीय जनता को झापा मुण्डी उठाने पर कोई रोक नहीं है और न ऐसी शिकायतें विभागीय अधिकारियों के पास आई हैं।
५—तराई भावर के लोगों के साथ विभाग अन्याय कर रहा है। वन बन्दोबस्त में प्रत्येक डिवीजन के अन्दर गोठ खत्ते वालों का नाम लिखा है परन्तु उन्हें वहां से उठाया जा रहा है जोकि उचित नहीं है।	५—तराई भावर क्षेत्र के लोगों के साथ कोई अन्याय नहीं किया जा रहा है। वन बन्दोबस्त में हल्द्वानी डिवीजन के कुछ खत्तों को छोड़कर किसी डिवीजन में अन्य खत्तों का उल्लेख नहीं है भरसक प्रयास तो यही किया जाता है कि खत्ते वालों

सझाव	की गई कार्यवाही का विवरण
	को उनके वर्तमान स्थान से न हटाया जाय और खत्तों के निकट पर्याप्त भूमि उनके मवेशियों की चराई के लिये छोड़ दी जाय। यदि किसी स्थान पर विशेष परिस्थितियों में खत्तें को हटाना अनिवार्य हो जाता है तो खत्ते वालों को निकटवर्ती सुविधाजनक स्थान पर बसा दिया जाता है।
६—लालकुआं में लोगों ने समितियां बना ली हैं और जानवर रखते हैं और यह उनका उद्योग सा हो गया है। अगर वहां भी वृक्षा-रोपण किया गया तो उनका बंधा खत्म हो जावेगा।	६—गोठों के नजदीक चराई के लिये पर्याप्त भूमि छोड़ दी गई है और यह व्यवस्था है कि इन चराई के रकबों को वृक्षारोपण के लिये तब ही लिया जायेगा जबकि उनके नजदीक के अन्य क्षेत्रों को. जिनमें वन रोपण हो चुका है चराई के लिये खोल दिया जाय।
७—टोंगिया काश्तकारों को लीज पर भूमि देने के जब आदेश हैं तो उनको मिलना चाहिए।	७—टोंगिया काश्तकारों को लीज पर जमीन देने के कोई आदेश नहीं हैं। जो आदेश हैं वह गोठियों के लिये हैं और उनसे प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर कार्यवाही की जाती है।
८—यह परम्परा गलत है कि यदि पिता के नाम लीज हो तो उसके बाद उसके पुत्र को न मिले।	८—भारतीय वन अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत वन भूमि पर किसी व्यक्ति का मौरूसी हक नहीं हो सकता। अतः पिता को लीज पर दी गई वन भूमि को आम तौर से पुत्र को दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५१७ पर)

प्रश्न संख्या १६ के उत्तर में संदर्भित सूची

दशमोत्तर कक्षाओं में दी जाने वाली छात्रवृत्तियों की दरों की सूची

क्रम-सं०	पाठ्य-क्रम	दर प्रतिमास	
		छात्रावास में रहने वाल	अन्य
१	आरम्भिक (प्रपेरेट्री) पूर्व विश्वविद्यालय, इन्टर विज्ञान इंटर कला, इंटर वाणिज्य, इन्टर विज्ञान (कृषि), स्नातक (विज्ञान, कला, वाणिज्य), समकक्षीयें, प्राच्य भाषा/ललित कला पाठ्यक्रम ।	४०.००	२७.००
२	स्नातकोत्तर (विज्ञान, कला, वाणिज्य) कानून और विशिष्ट पाठ्यक्रमों में तृतीय वर्ष/समकक्षीयें, प्राच्य भाषा/ललित कला पाठ्यक्रम ।	५०.००	३५.००
३	बी० एस०-सी०, डी० लिट०, पी-एच० डी० (शोध निबन्ध) ।	६०.००	४५.००
४	पूर्व चिकित्सा पाठ्यक्रमों, पूर्व इंजीनियरिंग, सफाई निरीक्षक पाठ्यक्रम, पशु चिकित्सा विज्ञान, लोक स्वास्थ्य एवं आरोग्य पाठ्यक्रम, कृषि पाठ्यक्रमों में सनद/प्रमाण-पत्र ।	४०.००	२७.००
५	भारतीय औषधि में स्नातक एवं सनद (डिप्लोमा) पाठ्यक्रम,	४०,००	२७.००
६	अध्यापक, दीक्षा (प्रशिक्षण) और शारीरिक शिक्षा:—		
	(क) अभिस्नातक पाठ्यक्रम ..	४०.००	२७.००
	(ख) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	५०.००	३५.००
७	स्नातक (कृषि) पशु चिकित्सा विज्ञान, नगर एवं ग्राम अभियंत्रण/ग्रामीण सेवाओं में पाठ्यक्रम ।	५०.००	३५.००
८	कृषि में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, सामुदायिक विकास/सहकारिता में सनदोत्तर पाठ्यक्रम ।	६०.००	४५.००
९	उपचार सेवा स्नातक और भेषज स्नातक ..	६५.००	५०.००
१०	औषधि, वास्तु, प्रोद्योग, अभियंत्रण में सनद/प्रमाण-पत्र ओर ओवरसियर, नक्शा नवीस, सर्वेक्षक, विद्युत का कला, एवं बेतार क तार का संचालन ।	६५.००	५०.००
११	औषधि, वास्तु, प्रोद्योग, अभियंत्रण में स्नातक एवं बी०ए०एम० एण्ड एस० इसी प्रकार के अन्य पाठ्यक्रम, भेषज में स्नातकोत्तर ।	७५.००	६०.००
१२	व्यवसाइक पाठ्यक्रम :—तार, पुस्तक रक्षण, आशुलिपिक टंकण, सिलाई, चमड़ा कमाना एवं चमड़े के सामान का निर्माण ।	२० रु० (शुल्क को मिलकर) प्रतिमास की दर से तदर्थ वित्तीय सहायता ।	

पी० एस० यू० बी०—ए० पी०—९८ एल० ए०—१९७१—८४५ ।